छत्तीसगढ़ शासन
गृह (पुलिस) विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2006-07

--:: प्रस्तावना ::--

छत्तीसगढ़ राज्य 1,37,798 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रदेश में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि व अन्य संसाधनों के वृद्धि के चलते अपराधों के तरीके एवं संख्या में उतार-चढ़ाव लगातार जारी है। वर्ष 2006 में विगत वर्ष 2005 की तुलना में अपराध में वृद्धि 3.53 परिलक्षित हुई है। वर्ष 2006 में भादवि के कुल 45,164 अपराध दर्ज किये गये। पुलिस द्वारा कई गंभीर अपराधों को खोज निकालने में सम्मानजनक सफलता प्राप्त की है। अच्छे अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप आम जनता का पुलिस में विश्वास बढ़ा है।

प्रदेश में कुल 04 पुलिस रेंज क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा एवं बस्तर हैं एवं 16 राजस्व जिलों के अतिरिक्त 04 पुलिस जिले एवं 01 इकाई शासकीय रेल पुलिस हैं। प्रदेश में अजाक, महिला, यातायात एवं अअवि सहित कुल 345 पुलिस थाने स्थापित हैं।

छत्तीसगढ़ पुलिस का कुल स्वीकृत बल दिनांक 31.12.2006 की स्थिति में 38,633 है। छत्तीसगढ़ में गत कुछ वर्षों से नक्सलवादी समस्या प्रदेश पुलिस के लिये एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर कर आई है, जिसका सामना छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा उपलब्ध संसाधनों के साथ दक्षता एवं सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

राज्य गठन के पश्चात् श्री ओम प्रकाश राठौर, राज्य के पांचवें पुलिस महानिदेशक के रूप में दिनांक 15 जुलाई 2004 से कार्यरत हैं।

पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता पर बल दिया गया है तथा पुलिस एवं जनता के बीच संबंधों को सुधारने के लिये सभी स्तर पर हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में पुलिस विभाग के विभागीय ढांचे, कानून व्यवस्था तथा विभाग में संबंधित आवश्यक जानकारी का समावेश किया गया है। पुलिस बजट तथा आधुनिकीकरण, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, पुलिस प्रशिक्षण तथा अन्य विषय पर संक्षिप्त सामग्री संलग्न की गई है। यह विभाग के कार्य-कलापों का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास है।

:::::

छत्तीसगढ़ शासन
गृह(पुलिस) विभाग
विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2006-07

विभाग का नाम	:	गृह(पुलिस) विभाग
गृहमंत्री का नाम	:	श्री रामविचार नेताम

सचिवालय

1.	अपर मुख्य सचिव	:	श्री बी.के.एस.रे
2.	प्रमुख सचिव का नाम	:	श्री सुभाष अत्रे
3.	सचिव का नाम	:	श्री आर.पी.जैन
4.	उप सचिव का नाम	:	श्री एस.पी.सोरी
5.	उप सचिव का नाम	:	श्री एन.एन. एक्का
6.	उप सचिव का नाम	:	श्री एस.आर. दिव्य

विभागाध्यक्ष

पुलिस महानिदेशक	:	श्री ओ0पी0 राठौर

-:: विभागीय संरचना ::-

पुलिस मुख्यालय, रायपुर का सुचारू कार्य संपादन हेतु मुख्य रूप से प्रशासन शाखा, योजना एवं प्रबंध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, गुप्तवार्ता शाखा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, पुलिस दूरसंचार एवं प्रशिक्षण शाखा में विभाजित किया गया है।

शाखावार संरचना निम्नानुसार हैः-

1. प्रशासन शाखाः-

श्री अनिल एम नवानी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इस शाखा के प्रभारी अधिकारी हैं, जिनके सहायतार्थ निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत हैंः-

अ) <u>प्रशासन</u>

श्री पी.एन. तिवारी, उप पुलिस महानिरीक्षक इस शाखा के प्रभारी अधिकारी हैं।

ब) <u>नामांकन/चयन/विभागीय जांच/निरीक्षण</u>

श्री एन.के.एस. ठाकुर, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, इस शाखा के प्रभारी अधिकारी हैं, इसके अतिरिक्त प्रशासन शाखा के कुछ उपखंडो का अतिरिक्त प्रभार भी है।

स) <u>लेखा/कल्याण</u>

श्री के.के. अग्रवाल, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, इस शाखा के प्रभारी अधिकारी हैं, इसके अतिरिक्त प्रशासन शाखा के कुछ उपखंडो का अतिरिक्त प्रभार भी है।

2. योजना एवं प्रबंध शाखाः-

श्री अनिल एम. नवानी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इस शाखा के प्रभारी अधिकारी हैं, इनके सहायतार्थ निम्नलिखित अधिकारी पदस्थ हैंः-

श्री रामनिवास, पुलिस महानिरीक्षक (योजना/प्रबंध), श्री आर.सी. शर्मा, उप पुलिस महानिरीक्षक (वित्त/प्रबंध) शाखा के अलावा यातायात के अतिरिक्त प्रभार में हैं। श्रीमती रीता मैनी, अपर संचालक वित्त के पद पर पदस्थ हैं।

3. अपराध अनुसंधान विभागः-

श्री एस.के.पासवान, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इस शाखा के प्रभारी अधिकारी हैं। इस शाखा में अपराध अनुसंधान विभाग से संबंधित कार्य जैसे शिकायत विरूध पुलिस/अंगुल चिन्ह, क्यू/डी, एस.सी.आर.बी., अजाक, मानव अधिकार आयोग संबंधी कार्य व्यवहृत होते हैं। इनकी सहायता हेतु श्री संजय पिल्ले, पुलिस महानिरीक्षक (अअवि), श्री आर.सी.पटेल, उप पुलिस महानिरीक्षक (मानव अधिकार आयोग/अजाक/शिकायत), श्री आर.के. देवांगन, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो) तथा श्री एस. कम्ठान एवं श्री ओ.पी. बिलगैया पुलिस अधीक्षक (क्यू/डी) के रूप में पदस्थ हैं।

4. विशेष शाखाः-

इस शाखा के प्रभारी श्री ए.के.श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता) हैं। इनके अधीन श्री डी.एम.अवस्थी, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), श्री पी.एस.बारा पदस्थ हैं।

5. छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल/दूरसंचार शाखा/प्रशिक्षण शाखाः-

श्री आर.एल.आम्रवंशी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इन शाखाओं के प्रभारी हैं, इनके अधीनस्थ श्री गिरधारी नायक, पुलिस महानिरीक्षक छ.स.बल एवं छ.स.बल प्रशिक्षण पदस्थ हैं, इनके अधीनस्थ छ.स.बल की समस्त सशस्त्र बल वाहिनीयां क्रमांक 1 से 13 तक कार्यरत हैं, इनमें क्रमांक 8, 11, 12 एवं 13 भारत रक्षित वाहिनी हैं।

6. दूरसंचार शाखाः-

इस शाखा में श्री. आर.एल.आम्रवंशी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार), श्री पी.एस.ठाकुर, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार) पदस्थ हैं। प्रशासनिक दृष्टि से दूरसंचार शाखा को राज्य में दो जोन भिलाई एवं बिलासपुर में विभाजित किया गया है। इनमें पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ हैं।

7. प्रशिक्षण शाखाः-

श्री मो.वजीर अंसारी, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) एवं श्री पी.एस.ठाकुर, सहायक पुलिस महानिरीक्षक(प्रशिक्षण) के पद पर पदस्थ हैं।

अ) <u>राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी</u>

इसके निदेशक/पुलिस महानिरीक्षक के रूप में श्री मो.वजीर अंसारी पदस्थ हैं। इस संस्थान में उप पुलिस अधीक्षक/उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जावेगा। वर्तमान में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 9 अधिकारियों एवं सहायक पुलिस अधीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ब) <u>सीटीजेडब्ल्यू कालेज, कांकेर</u>

इसके प्रभारी अधिकारी निदेशक/पुलिस महानिरीक्षक श्री व्ही.के. पोनवार हैं। इस संस्थान में जंगल युद्ध पद्धति, गुरिल्ला वारफेयर, विस्फोटक पदार्थों की पहचान एवं निष्प्रभावी करने का प्रशिक्षण अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया जाता है। इस संस्थान में अन्य राज्यों के पुलिस कर्मचारी भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

8. जिला कार्यपालिक बलः-

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग को प्रशासनिक दृष्टि में निम्नानुसार चार पुलिस रेंज में विभाजित किया गया है। प्रत्येक रेंज के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी हैंः-

<u>रायपुर रेंजः-</u>

रायपुर रेंज के प्रभारी श्री वाय.के.एस.ठाकुर पुलिस महानिरीक्षक हैं। इनके अधीनस्थ निम्नलिखित जिले हैंः-

1. रायपुर 2. दुर्ग 3. राजनांदगांव 4. कबीरधाम
5. धमतरी 6. महासमुंद

<u>बिलासपुर रेंजः-</u>

बिलासपुर रेंज के प्रभारी श्री आर.सी.श्रीवास्तव, पुलिस महानिरीक्षक हैं। इनके अधीनस्थ निम्नलिखित जिले हैं-

1. बिलासपुर 2. जांजगीर 3. कोरबा 4. रायगढ़

<u>सरगुजा रेंजः-</u>

सरगुजा रेंज के प्रभारी ए.एन.उपाध्याय पुलिस महानिरीक्षक हैं। इनके अधीनस्थ निम्नलिखित जिले हैं-

1. सरगुजा 2. कोरिया 3. जशपुर 4. बलरामपुर
5. सूरजपुर

बस्तर रेंजः-

बस्तर रेंज के प्रभारी श्री आर.के.विज हैं। इनके अधीनस्थ निम्नलिखित जिले हैंः-

1. जगदलपुर 2. कांकेर 3. दंतेवाड़ा 4. बीजापुर
5. नारायणपुर

उपरोक्त में से बीजापुर, नारायणपुर, बलरामपुर एवं सूरजपुर पुलिस जिला है।

प्रशासन शाखा द्वारा मुख्य रूप से व्यवहृत कार्यों का विवरण

भा.पु.सेवा संवर्ग

राज्य के भापुसे संवर्ग के अधिकारियों का संवर्ग 59 से बढ़ाकर भारत शासन, गृह मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 30.1.2004 द्वारा 81 किया गया है। वर्तमान मं उपलब्ध संख्या 67 है, इनमें से 04 प्रशिक्षु भापुसे अधिकारी जिला प्रशिक्षण पर पदस्थ हैं, इन पदों में से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर 06 अधिकारी पदस्थ हैं। 08 अधिकारी श्री राजीव माथुर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन, श्री सुभाष अत्रे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/प्रमुख सचिव, गृह(पुलिस) विभाग, श्री अशोक जुनेजा, पुलिस महानिरीक्षक/अपर आयुक्त परिवहन, श्री संजय पिल्ले, पुलिस महानिरीक्षक/संचालक, खेलकूद विभाग, छ.ग.शासन, श्री ए.के. तिवारी पुलिस महानिरीक्षक, एसीबी/ईओडब्ल्यू, श्री मुकेश गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड, श्री राहुल शर्मा, एडीसी राजभवन तथा श्री वी.पी.पौषार्य, पुलिस अधीक्षक मानव अधिकार आयोग के पद पर पदस्थ हैं। वर्ष 2006 में राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के 06 अधिकारियों को भापुसे संवर्ग में पदोन्नति प्रदान की गई है।

रा.पु.सेवा संवर्ग

रा.पु.से. के अंतर्गत प्रथम श्रेणी अधिकारियों के कुल 74 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 62 अधिकारी पदस्थ हैं। इनमें से 10 अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक/सेनानी के पदो ंके विरूद्ध पदस्थ किया गया है। 04 अधिकारी केन्द्रीय बलों से राज्य में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है।

रा.पु.से. द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत 249 पद स्वीकृत हैं। इनमें से वर्तमान में 142 अधिकारी पदस्थ हैं। स्वीकृत पदों में से सामान्यतया 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। विगत 01 वर्ष के दौरान 22 निरीक्षकों को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है।

निरीक्षक, सूबेदार तथा उपनिरीक्षक संवर्ग

निरीक्षक, रक्षित निरीक्षक, सूबेदार संवर्ग की वरिष्ठता सूची 01.04.2006 की स्थिति में जारी की जा चुकी है। वर्ष 2006 में 47 उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद पर तथा 67 सहायक उप निरीक्षकों को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है।

आरक्षक से प्रधान आरक्षक (अ) वर्ग में 180, आरक्षकों से प्रधान आरक्षक (ब) वर्ग में 270, प्रधान आरक्षक से सहा.उप निरीक्षक (अ) वर्ग में 83 तथा प्रधान आरक्षक से सहा.उप निरीक्षक (ब) वर्ग में 50 कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है।

अनुसचिवीय संवर्ग

मुख्य लिपिक से आडीटर के पद पर 02, उप निरीक्षक (अ) से आंकिक के पद पर 07, आरक्षक(अ) से सहा. उप निरीक्षक (अ) के पद पर 01 को पदोन्नति प्रदान की गई। सूबेदार (अ) स्टेनोग्राफर के 12 तथा सहा.उप निरीक्षक (अ) के 67 पदों पर भर्ती की गई।

निरीक्षण शाखा

इस शाखा द्वारा पुलिस इकाईयों में होने वाले निरीक्षणों संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत इनका परीक्षण उपरांत आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये जाते हैं। इस शाखा द्वारा अभिलेख का रख-रखाव संबंधी कार्य भी संपादित किया जा रहा है।

प्रशासन शाखा द्वारा वर्ष 2006 में संपादित प्रमुख कार्यों का विवरण

1. वर्ष 2006 में कुल 771 पदोन्नतियां जिला पुलिस बल एवं अनुसचिवीय संवर्ग में की गई। इस अवधि में कुल 6238 सीधी भर्ती के पदों की अनुमति प्राप्त हुई, जिसमें से 2646 पदों में भर्ती कर ली गई है। शेष 3968 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस अवधि में कुल 29 कर्मचारियों को नक्सली क्षेत्रों में एवं अन्य अपराधिक प्रकरणों में उल्लेखनीय कार्य हेतु अपने संवर्ग में क्रम से पूर्व पदोन्नति प्रदान की गई है, इस अवधि में बाल आरक्षक पद पर 29 महिला आरक्षक के पद पर 07, शिक्षाकर्मी के पद पर 01, सहा.उप निरीक्षक(अ) के पद पर 01 तथा आरक्षक के पद पर 44 कुल 82 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है।

2. वर्ष 2006 में छत्तीसगढ़ पुलिस में 12 अधिकारियों/कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति प्रदान की गई तथा सीमा सुरक्षा बल के उप सेनानी/सहायक सेनानी स्तर के 04 अधिकारियों को छत्तीसगढ़ पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है।

3. वर्ष 2006 में 02 विशिष्ट सेवा पदक, 13 सराहनीय सेवा पदक एवं 03 वीरता पदक भारत शासन के द्वारा घोषणा की गई।

प्रशासन शाखा के लक्ष्य वर्ष 2007

1. निरीक्षक से राज्य पुलिस सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोटा को भरने हेतु कार्यवाही करना।

2. निरीक्षक के रिक्त पदों को भरा जाना।

3. उप निरीक्षक के पदोन्नति कोटा के पदों को शीघ्र भरा जाना।

4. राज्य पुलिस सेवा संवर्ग को उच्च वेतनमान स्वीकृति हेतु बैठक आयोजित करना।

----::-----

प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर टीप

वर्ष 2006 में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में रही। विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय व स्थानीय समस्याओं को लेकर धरना, प्रदर्शन, आमसभा इत्यादि शांतिपूर्ण आंदोलन आयोजित किये गये। राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द पूर्णतः कायम रहा। प्रदेश की जनता ने शांतिपूर्ण कानून-व्यवस्था बनाये रखने में पूर्ण सहयोग दिया। राजनैतिक दलों के अतिरिक्त कृषक, छात्र, शासकीय सेवकों, श्रमिकों के आंदोलन भी शांतिपूर्ण रहे।

चुनाव

- प्रदेश में दिनांक 20.01.06 एवं 23.01.06 को दो चरणों में 72 मण्डियों में 72 अध्यक्ष, 720 कृषक प्रतिनिधि एवं 72 व्यापारी प्रतिनिधियों के पदों हेतु 4514 मतदान केन्द्रों पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए।
- प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव हेतु 14 जनपद सदस्य, 95 सरपंच, 244 पंच के पद हेतु 620 मतदान केन्द्रों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए।
- दिनांक 4.12.06 को कोटा विधान सभा क्षेत्र (जिला बिलासपुर) में 187 मतदान केन्द्रों पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए।
- दिनांक 8.12.06 को त्रिस्तरीय पंचायतों/नगरीय निकायों के लिये उप चुनाव वर्ष 2006 (उत्तरार्ध) के अंतर्गत 13 सदस्य जनपद पंचायत, 108 सरपंच, 44 पंच पदों के लिये 474 मतदान केन्द्रों पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए।

नक्सली गतिविधियॉं

प्रदेश सरकार द्वारा नक्सली समस्या को गंभीरता से लेते हुये समस्या के स्थायी समाधान के लिये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के चहुमुखी विकास हेतु जन कल्याणकारी योजनाएँ लागू की गई है। सरकार की इन योजनाओं से प्रभावित होकर अनेक नक्सली/संघम सदस्य आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में जुड़े हैं। सरकार द्वारा नक्सलवादियों को सहयोग करने वाले उनके अग्र संगठनों पर आवश्यक कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है। वर्ष 2006 की नक्सली गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

- विगत वर्ष पुलिस एवं नक्सलियों के मध्यम 326 मुठभेड़ हुई है।
- इन मुठभेडों में 69 नक्सली मारे गये तथा 97 नक्सलियों तथा 242 संघम सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।
- नक्सलियों से 241 लैण्ड माईन एवं 157 हथियार बरामद किये गये।
- सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर सलवा-जुडूम अभियान के दौरान लगभग 2500 संघम सदस्यों द्वारा आत्म समर्पण किया गया है।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 70 थानों, 02 आउट पोष्टों, 03 पुलिस लाईनों तथा 03 क्वार्टर गार्ड में सुरक्षा हेतु कंसर्टिना वायर लगाया गया है।
- सी.टी.जे.डब्ल्यू. कालेज कांकेर में छत्तीसगढ़ के 2000 एवं उड़ीसा, महाराष्ट्र व झारखण्ड के 500 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को जंगलवार फेयर (युद्ध कला) का प्रशिक्षण दिया गया है।
- बम स्क्वाड़ की 08 टीम बनाकर अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है।
- आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं झारखण्ड़ पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है।

- सलवा जुडूम आन्दोलन का विस्तार दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के 644 गांवों में हो चुका है। माह जून 2005 से अभी तक 189 सलवा जुडूम अभियान चलाया जा चुका है। इस अभियान के चलते नक्सलियों को लोगो से खाद्य सामाग्री एवं आर्थिक सहायता मिलना बंद हो गया है।
- इस वर्ष मुख्य नक्सली सागर उर्फ समर गढ़वा जोनल कमाण्डर, किरन एरिया कमाण्डर, रमेश उर्फ आकाश सब जोनल कमाण्डर, संतोष सब जोनल कमाण्डर, रैनू उर्फ सुरेश डिप्टी कमाण्डर एलजीएस, शिवन्ना उर्फ विकासन्ना डिविजन कमेटी सेकेट्री गढ़चिरोली, रवि कुमार मिलिट्री प्लाटून सदस्य एवं मलेश उर्फ कमलेश्वर दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य मुठभेड़ में मारे गये।

1. विशेष शाखा जोन में वर्ष 2006 में की गई पदोन्नतियों की जानकारी

क्र.	पदनाम	2006
1	आरक्षक से प्रधान आरक्षक	08
2	प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक	06
3	सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक	12
4	उप निरीक्षक से निरीक्षक	02

2. विशेष शाखा जोन में वर्ष 2006 में की गई नवीन नियुक्तियों की जानकारी

क्र.	पदनाम	2006
1	स0उ0नि0(एम) -विशेष शाखा	07
2	स0उ0नि0(एम) -विशेष आसूचना शाखा	12
3	कनि0श्रे0शीघलेखक-विशेष शाखा	01

3. विशेष शाखा जोन में वर्ष 2006 में की गई अनुकम्पा नियुक्तियों की जानकारी

क्र.	पदनाम	2006
1	सहायक उप निरीक्षक (एम)	01
2	आरक्षक	02

वर्ष 2006 में राज्य के बाहर आयोजित कोर्सों की जानकारी

क्र	कोर्स का नाम	प्रशिक्षण संस्थान	कब से कब तक	संख्या
01	व्हीआईपी ड्राइविंग कोर्स	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद प्रशिक्षण केन्द्र मानेसर	09.01.06 से 28.01.06	03
02	बम डिस्पोजल कोर्स	252 बम डिस्पोजल कंपनी बाराबंकी	16.01.06 से 28.01.06	34
03	बम डिस्पोजल कोर्स	सीटी एंड एस, बीएसएफ, हजारीबाग	20.02.06 से 01.04.06	02

04	व्हीआईपी सिक्युरिटी कोर्स	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद प्रशिक्षण केन्द्र मानेसर	27.02.06 से 08.04.06	01
05	हैंडलिंग आफ व्हीआईपी सिक्युरिटी इक्यूपमेंट कोर्स	आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली	03.04.06 से 07.04.06	02
06	व्हीआईपी सिक्युरिटी कोर्स	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद प्रशिक्षण केन्द्र मानेसर	31.07.06 से 09.09.06	03
07	बम डिस्पोजल कोर्स	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद प्रशिक्षण केन्द्र मानेसर	21.08.06 से 30.09.06	03
08	बम डिस्पोजल कोर्स	सीटी एंड एस, बीएसएफ, हजारीबाग	28.08.06 से 07.10.06	01
09	बम डिस्पोजल कोर्स	सीटी एंड एस, बीएसएफ, हजारीबाग	23.10.06 से 02.12.06	01

वर्ष 2006 में विशेष शाखा के निर्देशन में चलाये गये कोर्सों की जानकारी

क्र	कोर्स का नाम	प्रशिक्षण संस्थान	कब से कब तक	संख्या
01	एंटी सेबोटॉज चेकिंग कोर्स	पुलिस प्रशिक्षण शाला माना जिला रायपुर	26.12.05 से 07.01.06	44
02	एंटी सेबोटॉज चेकिंग कोर्स	पुलिस प्रशिक्षण शाला माना जिला रायपुर	30.01.06 से 10.02.06	43
03	पीएसओ रिफ्रेसर कोर्स	पुलिस प्रशिक्षण शाला माना जिला रायपुर	05.09.06 से 07.09.06	50
04	आसूचना संकलन कोर्स	पुलिस प्रशिक्षण शाला माना जिला रायपुर	19.09.06 से 21.09.06	49
05	पीएसओ रिफ्रेसर कोर्स	पुलिस प्रशिक्षण शाला माना जिला रायपुर	26.10.06 से 28.10.06	50

——0——

प्रशासनिक प्रतिवेदन 2006-2007

वित्त योजना एवं प्रबंध शाखा की जानकारी
अधीनस्थ शाखा एवं उसकी संरचना

खंड-9 योजना तथा आधुनिकीकरण एवं दूरभाष

खंड-10 आर्म्स एम्युनेशन, वाहन शाखा तथा किट शाखा

खंड-11 बजट

खंड-12 स्टोर

इस शाखा में एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एक पुलिस महानिरीक्षक, एक उप पुलिस महानिरीक्षक, एक सहायक पुलिस महानिरीक्षक एवं एक उप पुलिस अधीक्षक पदस्थ है। इसके अतिरिक्त उक्त खंडों में एक सहायक अधीक्षक, 08 उच्च वर्ग लिपिक एवं 08 निम्न वर्ग लिपिक कार्यरत हैं।

1. समस्त प्रकार के पद निर्माण

2. अस्थाई पदों का प्रवर्तन

3. थाना एवं चौकियों में बल वृद्धि

4. बल स्वीकृति/विशेष वेतन की स्वीकृतियां

5. 12वें वित्त आयोग से संबंधित कार्य

6. पुलिस आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन

7. शासन से प्राप्त बजट आबंटन का शीर्षवार अधीनस्थ पुलिस इकाईयों को आबंटन देन, चालू वित्त वर्ष के पुनरक्षित बजट अनुमान, अनुपूरक अनुमान मद के प्रस्ताव एवं आगमी वित्तीय वर्ष के बजट प्रस्ताव शासन को समय सीमा में प्रेषित करना।

8. रेलवे पुलिस के व्यय की वसूली, राष्ट्रीयकृत बैंक, विमानतल, वन विभाग, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि को प्रदाय किया गया सुरक्षा गार्ड पर हुए व्यय की वसूली ।

9. अन्य विभागों की दी गई गार्ड पर हुई व्यय की वसूली ।

10. पुलिस कर्मियों के लिये किट-सामग्री का क्रय एवं प्रदाय संबंधी कार्य ।

11. आर्म्स एम्युनेशन तथा वाहन आदि के क्रय एवं आबंटन का कार्य ।

12. दूरभाष संबंधी कार्य ।

वित्तीय वर्ष 2006-07

विभाग के लिये 424 करोड़ का बजट स्वीकृति दी गई है । मद वार विवरण निम्नानुसार है :-

स0क्र0	शीर्ष	प्राप्त बजट रू0 में	प्रतिशत (कुल बजट का)
1.	वेतन	3103698000	73.05
2.	कार्यालय व्यय	94122000	2.21
3.	यात्रा भत्ता	129578000	3.05
4.	पी0ओ0एल0	126500000	2.97
5.	एम0टी0	30860000	0.72
6.	सामग्री एवं पूर्ति	215299000	5.06
7.	आधुनिकीकरण	361000000	8.49
8.	अन्य	162742000	3.83
9.	वाहनों का क्रय	24620000	0.57
	योग	**4248419000**	

पुलिस आधुनिकीकरण योजना 2005-06 में भारत सरकार द्वारा 39 करोड़ 8 लाख 30 हजार 426 रू0 का तथा राज्य शासन द्वारा अब तक 11 करोड़ 65 लाख 85 हजार 982 रू0 विमुक्त किये गये है। प्राप्त आबंटन से प्रशासकीय भवन निर्माण, वाहन, सुरक्षा एवं अन्य उपकरण क्रय एवं प्रशिक्षण तथा एन्टीकरेप्शन ब्यूरो को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है । इसी प्रकार वर्ष 2006-07 के लिये भारत सरकार द्वारा रूपये 22 करोड़ 2 लाख 89 हजार रूपये अनुमोदन पश्चात रूपये 10 करोड़ 97 लाख 55 हजार 50 रूपये का विमुक्तिकरण जारी किया गया है । जिसमें रूपये 5.97 करोड़ सामग्री के रूप में तथा रूपये 5 करोड़ नगद विमुक्त किया गया है ।

पुलिस बल आधु0 योजना 2005-06 में 10.158 करोड़ की लागत से 4 थाना भवन, 2 आफ्स रूम, प्रशासनिक भवन, 2 एम.टी. शेड, पुलिस अस्पताल, 40 थानें में शीपा प्रोजेक्ट भवन निर्माण एवं 38 प्र0आर/आरक्षक आवास गृह निर्माण एवं पूर्व के वर्षों के निर्माण कार्यो को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त आबंटन प्रदान किया गया है ।

आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2006-07 में लोक निर्माण मद के अन्तर्गत 714 आवास निर्माण हेतु 2368.28 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वर्ष 2006-07 हेतु 5 करोड़ का बजट प्रावाधानित किया गया है । बजट वर्ष 2006-07 के अन्तर्गत रूपये 176.24 लाख की लागत से 8 थानों, 2 पुलिस चौकियों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है ।

पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना 2006-07 के अंतर्गत 273.50 लाख की लागत से 02 पुलिस लाइनों के प्रशासकीय भवन, 03 पुलिस थाना भवन, 10 अराजपत्रित एवं 20 प्रधान आरक्षक/आरक्षक आवास गृहों का आबंटन जारी किया गया है।

बजट वर्ष 2006-07 के अंतर्गत रायपुर में ट्रांजिस्ट हॉस्टल भवन निर्माण हेतु रूपये 156.57 लाख प्रावधानित है। रायपुर में पुलिस पब्लिक स्कूल एवं पुलिस अस्पताल भवन निर्माण हेतु क्रमशः 314.10 लाख एवं 460.34 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। बारहवें वित्त आयोग अंतर्गत रूपये 100 करोड़ का 2006-07 से 2009-10 चार वर्ष के लिए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है । जिसमें से पुलिस अकादमी चंदखुरी हेतु प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 16.04 करोड़ की स्वीकृति एवं रूपये 4.63 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है । पुलिस बल के लिये एक और उत्साहजनक योजना है प्रदेश के महानगरीय तथा दूरस्थ अंचलों में जवानों के आवास की व्यवस्थाऍं करना। विभाग द्वारा रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, बीजापुर, भैरमगढ़, दंतेवाडा, कोंटा तथा दोरनापाल में आरक्षक विश्राम गृह बनाए जाने हैं।

स0क्र0	जिला	बजट वर्ष 2006-07 के अन्तर्गत थाना भवन निर्माण	लागत
1.	राजनांदगांव	डोगरगांव	20 लाख
2.	दुर्ग	रानीतराई	20 लाख
3.	रायगढ़	पूंजी पथरा	20 लाख
4.	रायपुर	देवेन्द्रनगर	20 लाख
5.	सूरजपुर	चंदोरा	20 लाख
6.	जगदलपुर	बोधघाट	20 लाख
7.	सूरजपुर	उदयपुर	20 लाख
		विश्रामपुर	20 लाख
8.	बलरामपुर	चौकी डिण्डो	15 लाख
9.	कोरबा	चौकी मोरगा	15 लाख
		आधु0 यो0 वर्ष 2005-06 के अन्तर्गत थाना भवन निर्माण	
10.	जगदलपुर	हीरागांव	22 लाख
		कोनगुड़	22 लाख
		बयानार	22 लाख
11.	बलरामपुर	सामरीपाठ	22 लाख
		आधु0 यो0 वर्ष 2006-07 के अन्तर्गत थाना भवन निर्माण	
12.	दंतेवाडा	दोरनापाल	25 लाख
13.	राजनांदगांव	डोगरगांव	25 लाख
14.	दंतेवाडा	गादीरास	25 लाख
		योग	

2. अगले दो वर्षो में अराजपत्रित अधिकारियों/प्र0आरक्षक/आरक्षकों के लिये 5000 आवास गृहों के निर्माण की सैद्धातिक सहमति ।
3. आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2006-07 अंतर्गत 02 पुलिस लाईन जिला कोरिया एवं सूरजपुर के प्रशासकीय भवन निर्माण की स्वीकृति ।
5. वर्ष 2006 में गत वर्षों के स्वीकृत 35 अराजपत्रित एवं 170 प्र0आर0/आर0 आवास गृहों का निर्माण कार्य पूर्ण।
6. 15 थाना भवन एवं 2 पुलिस चौकी भवन निर्माण की नवीन स्वीकृति प्राप्त की गई एवं 6 थाना भवन क्रमशः थाना केशकाल, कोण्डागांव, भानपुरी, नगरनार,चरामा, कांकेर एवं चौकी सिलियारी पूर्ण कराये गये ।
6. पी0टी0एस0 माना में क्लास रूम, रायपुर राज्य एफएसएल लैब एवं चौथी वाहिनी माना में रिर्जव आर्म्स एम्युनेशन कोत मैग्जीन निर्माण, आश्रुगैंस भण्डार तथा सेनानी कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण ।

नये वर्ष का लक्ष्य

1. पुलिस अकादमी चंदखुरी का शिलान्यास दिनांक 10.01.2007 को सम्पन्न हो चुका है।
2. सीटीजेडब्ल्यू कांकेर का शिलान्यास
3. पी0टी0एस0 मैनपाट सरगुजा का शिलान्यास
4. कोआर्डिनेशन सेंटर रायपुर का शिलान्यास

5. कोआर्डिनेशन सेंटर बस्तर का शिलान्यास
6. कोआर्डिनेशन सेंटर सरगुजा का शिलान्यास
7. निर्माणाधीन 1500 आवास गृहों को पूर्ण करने का लक्ष्य
8. निर्माणाधीन 35 थाना भवनों को पूर्ण करने का लक्ष्य

बैरेक निर्माण

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में राज्य बजट से 12 जिलों के थाना/चौंकियों/रक्षित केन्द्रों में 218 नग, 2 वाहिनियों में 42 नग कुल 260 नग बेरिकों का निर्माण कराया गया है । जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में 51 बैरकों की स्वीकृति दी गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य बजट वर्ष 2006-07 में रू0 7.00 लाख प्रति बैरक के मान से 50 स्थानों में 3. 50 करोड़ की लागत से बैरक निर्माण कार्य कराये जा रहे है।

प्र0आरक्षकों/आरक्षकों की कार्यदक्षता में अभिवृद्धि एवं सुविधा के लिए राज्य के 8 स्थानों में ओ0आर0एस0 मेस की स्थापना की जा रही है।

वाहन

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1580 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं । जिसमें से लाईट वाहन 272, मध्यम वाहन 126, भारी वाहन 66 तथा मोटर सायकिल 1116 उपलब्ध हैं । उक्त वाहनों में 14 एन्टी लेण्ड व्हीकल तथा 5 बुलेट प्रुफ कार एवं बुलेट प्रुफ मध्यम वाहन टाटा 407 एवं 3 बुलेट प्रुफ जीप शमिल हैं ।

उपरोक्त के अतिरिक्त आधुनिकीकरण योजना एवं राज्य बजट के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों हेतु कुल 23 बुलेट प्रुफ वाहनों के क्रय हेतु प्रदाय आदेश जारी किया गया है ।

सुरक्षा उपकरण

आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुलेट प्रुफ जैकेट, बी0पी0 पटका, सर्च लाईट एवं अत्याधुनिक तकनीकी के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं ।

दूरसंचार उपकरण

आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक के संचार उपकरण एचएफ, व्हीएचएफ सेट, स्क्रेम्बलर यूनिट इत्यादि विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं ।

कम्प्यूटराईजेशन

पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत प्रदेश के थानों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु प्रथम चरण में 160 थानों एवं अन्य पुलिस कार्यालयों को 311 नग कम्प्यूटर, 311 नग प्रिंटर, 311 नग यूपीएस एवं 311 नग फर्नीचर का क्रय किया जाकर उपलब्ध कराया गया है ।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निम्नानुसार कम्प्यूटर एवं सह-उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं :-

1.	76 थानों के लिये	76 कम्प्यूटर एवं सह उपकरण
2.	8 अति0पकु0अ0 कार्यालय हेतु	08 कम्प्यूटर एवं सह उपकरण
3.	40 उ0पु0अधी0 कार्यालय हेतु	40 कम्प्यूटर एवं सह उपकरण
4.	12 नियंत्रण कक्ष हेतु	12 कम्प्यूटर एवं सह उपकरण
	योग - 136	

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पदस्थ कर्मियों को पौष्टिक आहार भत्ता :-

राज्य शासन द्वारा नक्सली क्षेत्रों में पदस्त कार्यरत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को रूपये 600/- के स्थान पर रू0 650/- प्रतिमाह की दर से राशन भत्ता दिनांक 01.01.2006 से स्वीकृत किया गया है ।

एस0टी0एफ0 भत्ता

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के विभिन्न वाहिनियों के पूर्व में स्वीकृत 165 पदों के अतिरिक्त 335 पदों को सम्मिलित कर कुल 500 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एस0टी0एफ0 भत्ता दिनांक 01.01.2006 से मूल वेतन का 50 प्रतिशत राशि जोखिम भत्ता के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

वर्ष 2006 में निम्नानुसार थानो की स्वीकृति दी गई है :-

नगरी जिला धमतरी, अंडा, जिला दुर्ग, तिरकुंडा जिला सरगुजा बड़गांव जिला कांकेर बड़ेडोगर जिला जगदलपुर, दीनदयाल उपाध्याय नगर जिला रायपुर, देवेन्द्र नगर जिला रायपुर, राजेन्द्र नगर जिला रायपुर, चंदोरा जिला सूरजपुर, चारगांव जिला कांकेर, बम्हनीडीह जिला जांजगीर, सांकरा जिला महासंमुद्र एवं उदयपुर जिला सूरजपुर में कुल 13 थाना प्रारंभ की गई है। एवं वर्ष 2006 में 5 नवीन थाना की भी स्वीकृति प्राप्त हुई है।

वर्ष 2006 में निम्नानुसार चौकियां स्वीकृति की गई है :-

फास्टरपुर संतगंगा जिला बिलासपुर, बोराई जिला धमतरी, भवरपुर जिला महासंमुद्र, कोमाखान जिला महासमुंद्र, चौरा, भोरमदेव जिला कबीरधाम, लवन जिला रायपुर, मोगरा जिला कोरबा, लैना जिला जांजगीर, कोतबा जिला जशपुर, आरा जिला जशपुर, मनोरा जिला जशपुर, जूटमिल जिला रायगढ़, बांसकोट जिला बस्तर, कोडा जिला कोरिया, आमगांव जिला राजांदगांव, पेन्ड्रापाट जिला जशपुर, खरसिया जिला रायगढ़ सुरेगांव जिला दुर्ग, संजारी जिला दुर्ग, पिनकापार जिला दुर्ग, मचान्दुर जिला दुर्ग, बया जिला रायपुर, बडी करेली जिला धमतरी, चेन्द्रा जिला सूरजपुर, विरेझर जिला धमतरी, वैशली नगर जिला दुर्ग, डीकेएसभवन जिला रायपुर, कांशीराम नगर जिला रायपुर, छिदगढ़ जिला दंतेवाडा, रैश्साखुर्द जिला रायगढ़, सिरपुर जिला महासंमुद्र, हल्बा जिला कांकेर, पंतोरा जिला जांजगीर, गिधौरी जिला रायपुर, मोहारा जिला राजनांदगांव, केदमा जिला सरगुजा एवं डिण्डो जिला बलरामपुर में कुल 37 चौकियां प्रारंभ की गई है। एवं वर्ष 2006 में 10 नवीन चौकियां की भी स्वीकृति प्राप्त हुई है।

अश्व दलः-

वर्ष 2006 में राज्य पुलिस में अश्व दल हेतु 16 पदों की स्वीकृति के अनुक्रम में सीटीजेडब्ल्यू कांलेज कांकेर में राज्य के अश्वरोही दल की स्थापना हो चुकी है। अश्वरोही दल दुर्गम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी कार्यावाही के लिए प्रशिक्षणरत है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यस्तरीय समारोह में अश्वरोही दल ने प्रभावी प्रस्तुतिकरण भी दिया है।

श्वान दलः-

वर्ष 2006 में राज्य पुलिस में श्वान दल हेतु 10 पदों की स्वीकृति के साथ राज्य पुलिस के डांग स्कावड को सशक्त किया गया है। प्रथम वाहिनी छसबल भिलाई में राज्य पुलिस के डांग स्कावड को विभिन्न प्रयोजन के लिए प्रभावी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

:: छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल-प्रशासनिक प्रतिवेदन-2006 ::

नव गठित छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2006 बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

1- प्रमुख दायित्व :-

नव गठित छत्तीसगढ़ राज्य में सशस्त्र बल का प्रमुख दायित्व नक्सलवाद की समस्या पर नियंत्रण करते हुये उनके निवारण हेतु आवश्यक कार्यवाही कर राज्य को नक्सलवाद से मुक्त कराना । साथ ही कानून व्यवस्था पर नियंत्रण, प्राकृतिक प्रकोपों जैसे- बाढ़, भूकंप व अन्य विपरीत परिस्थितियों में सजग रहकर यथासमय, यथासंभव इन समस्याओं से निपटना एवं सहायतार्थ कार्य करने हेतु हमेशा मुस्तैद रहना प्रमुख दायित्वों में है ।

2- विभागीय संरचना :-

वर्तमान में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अंतर्गत 11 वाहिनियॉ, 03 प्रशिक्षण संस्थायें, 01 एमटी पूल व 03 एम0टी0वर्कशॉप कुल-18 इकाईयॉ निम्नानुसार है :-

1- प्रथम वाहिनी, छसबल भिलाई
2- दूसरी वाहिनी, छसबल बिलासपुर
3- तीसरी वाहिनी, छसबल रायपुर
4- चौथी वाहिनी, छसबल माना-रायपुर
5- पांचवीं वाहिनी, छसबल जगदलपुर
6- छठवीं वाहिनी, छसबल रायगढ़
7- सातवीं वाहिनी, छसबल भिलाई
8- आठवीं वाहिनी, (भारत रक्षित) छसबल राजनांदगांव
9- नवमी वाहिनी, छसबल दंतेवाड़ा
10- दसवीं वाहिनी, छसबल सरगुजा
11- ग्यारहवीं वाहिनी, (भारत रक्षित) छसबल, जॉजगीर
12- सी0टी0जे0डब्ल्यू0 कालेज कांकेर
13- ए0पी0टी0एस0 जगदलपुर
14- पी0टी0सी0 बोरगांव
15- आर्म्स वर्कशाप, रायपुर
16- एमटी वर्कशॉप रायपुर
17- एमटी वर्कशॉप बिलासपुर
18- एमटी वर्कशॉप जगदलपुर

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की कुल-18 इकाईयों के अतिरिक्त दो भारत रक्षित वाहिनी (12वीं एवं 13वीं वाहिनी) के गठन की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनकी स्थापना संबंधी कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में स्थित छसबल की कुल-18 इकाईयों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण हेतु निम्नानुसार अधिकारियों की पदस्थापना की गयी है:-

1- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक - 01
2- पुलिस महानिरीक्षक - 01
3- पुलिस उप महानिरीक्षक - 01
4- सहा0पुलिस महानिरीक्षक - 01 - रिक्त

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का मुख्यालय रायपुर में प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कार्यालय रायपुर में एवं पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक तथा सहायक पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय भिलाई में स्थापित है।

3- संवर्गीय स्थिति :-

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की वाहिनियों, प्रशिक्षण संस्थाओं एवं एमटी वर्कशॉप की कुल-18 इकाईयों एवं नवीन स्वीकृति 12/13वीं भारत रक्षित वाहिनी की विभिन्न शाखाओं में निम्नानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत है :-

ा- छसबल (कार्यपालिक बल) :-

सेनानी	16
उप सेनानी	23
सहा0सेनानी	67
कम्पनी कमाण्डर	119
प्ला0कमाण्डर	343
सहा0प्ला0कमाण्डर	507
प्रआर	2089
आरक्षक	7703
आरक्षक ट्रेडमेन	1002
बाल आरक्षक	110

ठ - वाहन शाखा :-

निरीक्षक एमटी	02
उप निरीक्षक एमटी	16
सउनि एमटी	87
प्रआर एमटी	180
आरक्षक एमटी	528

ढ - आर्म्स शाखा :-

निरीक्षक	01
उप निरीक्षक	09
सहा0उप निरीक्षक	07
प्रधान आरक्षक	22
आरक्षक	94

क - बैण्ड शाखा :-

कंपनी कमाण्डर	01
प्लाटून कमाण्डर	01
सेक्शन कमाण्डर	02
प्रधान आरक्षक	06
आरक्षक	30

म – पायोनियर शाखा :–

प्रधान आरक्षक	28
आरक्षक	108

ध – दूरसंचार शाखा :–

निरीक्षक	05
उप निरीक्षक	12
सहायक उप निरीक्षक	13
प्रधान आरक्षक	41
आरक्षक	146

ळ – डॉग स्क्वाड :–

प्लाटून कमाण्डर	01
प्रधान आरक्षक	03
आरक्षक	16

भ – अश्वारोही दल :–

पशु चिकित्सक	01
प्लाटून कमाण्डर	01
प्रधान आरक्षक	02
आरक्षक–सवार	20
आरक्षक–सईस	08

ष – टेक्नीकल सपोर्ट स्टाफ :–

कंपनी कमाण्डर	01
प्लाटून कमाण्डर	02
प्रधान आरक्षक	03
आरक्षक	04

श्र – प्रतिनियुक्ति स्टाफ :–

ब्रिगेडियर	01
लेफ्टिनेंट	03
जेसीओ	06
प्रधान आरक्षक	06

ज्ञ - अनुसचिवीय बल :-

मुख्य लिपिक	15
स्टेनो	16
आंकिक	20
उप निरीक्षक-अ	46
सउनि-अ	114
प्रधान आरक्षक-अ	10
आरक्षक-अ	06

स - हास्पीटल स्टाफ :-

डॉक्टर	15
मेलनर्स	16
फिमेल नर्स	07
कम्पाउण्डर	26
आरक्षक ट्रेड	30

ड - एस0टी0एफ0 :-

कंपनी कमाण्डर	03
प्लाटून कमाण्डर	06
प्रधान आरक्षक	24
आरक्षक	120
आरक्षक-ट्रेड	09
आरक्षक-अ	03

4- कार्यकलाप :-

छ0स0बल की कम्पनियां :-

छत्तीसगढ़ राज्य में सशस्त्र बल की कुल 11 वाहिनियॉ वर्तमान में स्थापित है । इन वाहिनियों में से 4 वाहिनियॉ नव गठित है तथा 7 वाहिनियॉ पूर्व से छत्तीसगढ़ राज्य बंटवारें में प्राप्त हुई है । हाल ही में दो भारत रक्षित वाहिनी के गठन की स्वीकृति केन्द्र शासन से प्राप्त हुई है जिस पर भर्ती की कार्यवाही की जाकर, भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न की जा चुकी है, एवं वाहिनियों की स्थापना का कार्य प्रगति पर हैं । वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित वाहिनियों की निम्नानुसार कंपनियां कार्यरत है :-

1- बंटवारे में प्राप्त 7 वाहिनियों की : 42 कम्पनियॉ

2- नव गठित वाहिनियॉ
- अ- भारत रक्षित-8वीं वा राजनांदगांव : 06 कम्पनियॉ
- ब- नवमी वाहिनी दंतेवाड़ा : 06 कम्पनियॉ

स- दसवीं वाहिनी सरगुजा	: 06 कम्पनियॉ
द- 11वीं वाहिनी भा./र. जॉजगीर-चॉपा	: 06 कम्पनियॉ

कुल	: 66 कम्पनियॉ

यह कम्पनियॉ छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में तैनात होकर नक्सली एवं कानून व्यवस्था ड्यिुटी कर रही है । छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिले नक्सली प्रभावित है, इन नक्सल प्रभावित जिलों में सशस्त्र बल की कुल-42 कम्पनियॉ तैनात है, कानून व्यवस्था डियूटी हेतु 19 कम्पनियॉं विभिन्न जिलों में तैनात की गई है तथा 05 डीजीपी रिजर्व कम्पनियॉ प्रशिक्षणरत् है ।

वर्तमान में छसबल की डीजीपी रिजर्व कम्पनियों की स्थिति निम्नानुसार हैं :-

1-	प्रथम बटा.भिलाई	:-	एफ-कंपनी	
2-	2री बटा0 बिलासपुर	:-	एफ-कंपनी	- वर्त0 जशपुर
3-	3री बटा.रायपुर	:-	एफ-कंपनी	- वर्त0 दुर्ग
4-	4थी बटा.माना-रायपुर	:-	एफ-कंपनी	
5-	5वीं बटा.जगदलपुर	:-	ई-कंपनी	
6-	6वीं बटा. रायगढ	:-	बी-कंपनी	- वर्त0 कोंटा दंतेवाड़ा
7-	7वीं बटा0 भिलाई	:-	डी-कंपनी	
8-	8वीं बटा0 राजनांदगांव	:-	ई-कंपनी	- वर्त0 जगदलपुर
9-	9वीं बटा0 दंतेवाड़ा	:-	एफ-कंपनी	
10-	10वीं बटा0 सरगुजा	:-	डी-कंपनी	- वर्त0 सूरजपुर

उपरोक्त डीजीपी रिजर्व कम्पनियों में से 05 कम्पनियॉ बटालियन मुख्यालय में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इस दौरान इस कम्पनी में पदस्थ अधि0/कर्मचारियों के वाहिनी स्तर पर प्रशासनिक समस्याओं का निराकरण तथा कल्याणकारी कार्यो पर सेनानी द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। इन कंपनियों का उपयोग आपात स्थिति में कानून व्यवस्था डियूटी हेतु किया जाता है।

<u>एसटीएफ का विवरण :-</u>

छत्तीसगढ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के परिपत्र क्रमांक-एफ-3-9/गृह-दो/05 रायपुर दिनांक 30-12-05 के माध्यम से शासन व्दारा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के विभिन्न वाहिनियों के पूर्व में स्वीकृत 165 पदों के अतिरिक्त 335 पदों को सम्मिलित कर, कुल 500 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एस0टी0एफ0 भत्ता दिनांक 1-1-2006 से मूल वेतन का 50 प्रतिशत राशि जोखिम भत्ता के रूप में प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

क्रमांक	पदनाम	पूर्व में स्वीकृत	सम्मिलित पद	कुल संख्या
1	कम्पनी कमाण्डर	03	02	05
2	प्लाटून कमाण्डर	06	09	15
3	प्रधान आरक्षक	24	71	95
4	आरक्षक	120	253	373

5	आरक्षक ट्रेड	09	–	09
6	आरक्षक-अ	03	–	03
	योग	165	335	500

वर्तमान में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अंतर्गत स्वीकृत स्ट्रायकिंग फोर्स को कुल 08 ट्रुपों में विभक्त किया गया है, जिसके प्रत्येक ट्रूप में पीसी-1, एपीसी-1, प्रआर-3 एवं 15 आरक्षक कुल 20 अधिकारियों/कर्मचारियों को तैनात कर, कुल 08 ट्रूपों का गठन किया गया है । इसी प्रकार एसटीएफ में शामिल पदों पर कुल 302 अधिकारियो/कर्मचारियों को सम्बद्ध किया जाकर 12 ट्रुपों में विभक्त किया गया है, जिसके प्रत्येक ट्रूप में पीसी-1, प्रआर-3 एवं 21 आरक्षक कुल 25 अधिकारियो/कर्मचारियों को तैनात कर, कुल 12 ट्रूपों का गठन किया गया है ।

इस प्रकार तैयार किये गये एसटीएफ के कुल 20 ट्रूपों में प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात किया जाकर इन्हें निम्नानुसार पुलिस महानिरीक्षकों के अधीन तैनात किया गया है :-

विवरण	पूर्व से आबंटित ट्रूप	ट्रूप क्रमांक	प्रशासनिक अधिकारी/मुख्यालय	सीसी	पी सी	ए पीसी	प्र आर.	आर0	योग
एसटीएफ में शामिल पद				02	09	.	71	253	335
एसटीएफ बल का तैनाती विवरण									
पुमनि बस्तर रेंज के अधीन	05	1 जव 6	सेनानी 9वीं बटा0	1	6	1	17	126	151
पुमनि सरगुजा रेंज के अधीन	03	7 - 8	सेनानी 10वीं बटा0	1	2	.	6	42	51
पुमनि रायपुर रेंज के अधीन		9 - 10	सेनानी, 5वीं बटा0		2	.	6	42	50
पु0अ0 राजनांदगांव के अधीन		11	-''-		1	.	3	21	25
पुमनि बिलासपुर रेंज के अधीन		12	-''-		1	.	3	21	25
योग-	08	12		2	12	1	35	252	302

<u>सेन्ट्रल आर्म्स वर्कशाप का गठन :-</u>

सेन्ट्रल आर्म्स वर्कशाप का गठन हेतु छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक-एफ-3-165/दो-गृह/बजट/2004, दिनांक 13-8-04 के द्वारा उप पुलिस अधीक्षक-01, निरीक्षक-01, उप निरीक्षक-02, प्रधान आरक्षक-04, आरक्षक-06 गार्ड प्रधान आरक्षक-01,गार्ड आरक्षक-04 योग कुल-19 पदों की स्वीकृति प्राप्त कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, जिसमें 01-निरीक्षक, 01-उप निरीक्षक, 02-प्रआर एवं 5-आर0 की पदस्थापना कर दी गई है।

केन्द्रीय आर्म्स रिपेयरिंग भवन निर्माण के लिये 12,00,000/- आबंटन प्राप्त हुआ है, जिसका 82 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है तथा 18 प्रतिशत के शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

5- समस्यायें :-

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अंतर्गत वाहिनियों में मुख्य समस्यायें निम्नानुसार विद्यमान है:-

क्र0	समस्या	पूर्व में स्वीकृत संख्या	प्रस्तावित संख्या	प्रेषित पत्र का दिनाक
1	***कार्यपालिक (एम) पदों का सेटअप :-*** छसबल मुख्या0 के कार्यपालिक कार्य हेतु कार्यपालिक (एम) के पदों की स्वीकृति बाबत	स्वीकृत नहीं था	अधीक्षक -1 मु0लि0 -1 स्टेनो -1 आंकिक -1 उनि-अ -8 सउनि -10 प्रआर-अ -1 आर0-अ -1 --------- **24**	अपर सचिव, छ0ग0 शासन गृह(पुलिस) विभाग रायपुर को पत्र क्र-पुमु/खण्ड-9 /यो/2009/ दि0 11.10.01 स्मरण पत्र 328-04/दि0 27.5.04 स्मरण पत्र 1/04 दि0 1.1.05 2107/05 दिनांक 14.12.05
2	***अश्व दल हेतु पदों की स्वीकृतिः-*** 30अश्व एवं उनकी सेडेलरी तथा 69 आवश्यक पदों के निर्माण हेतु प्रस्ताव	स्वीकृत नहीं था	1. अश्व - 30 2. पशु चिकित्सक - 01 3. निरीक्षक - 01 4. उप निरी0 - 01 5. प्र0आर0 - 04 6. आर0(घुडसवार) - 30 7. आर0(सईस) - 30 8. आर0(स्वीपर) - 02	छ0ग0शासन के आदेश क्रं. एफ-3/1/06/गृह/दो/06 दिनांक 28-6-06 द्वारा छ0ग0राज्य में अश्व दल की स्थापना बाबत् पशु चिकित्सक-01, आर. घुडसवार-10 एवं आर.सईस-05 कुल 16 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष पदों की स्वीकृति अपेक्षित है।
3	***श्वान दल हेतु पदों की स्वीकृति :-*** श्वान दल की स्थापना हेतु 39 पदों की स्वीकृति एवं उस पर होने वाले व्यय का प्रांक्कलन	स्वीकृत नहीं था	कंपनी कमाण्डर-01 प्ला0कमाण्डर -01 से0कमाण्डर -02 प्र0आर0 -04 आर0 - 31 ---------- **योग - 39**	छ0ग0शासन के आदेश क्रं. एफ-3/1/06/गृह/दो/06 दिनांक 28-6-06 द्वारा छ0ग0राज्य में श्वान दल की स्थापना हेतु 10 आरक्षक के पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष पदों की स्वीकृति अपेक्षित है।
4	***वेतनमान में परिवर्तन :-*** 11वीं बटा0 (भा0/र0) जॉजगीर-चॉपा	15	आर0ट्रेडमेन स्वीपर-15	छ0ग0शासन गृह पुलिस विभाग के पत्र क्र-7516/ दो-गृह/बजट/04 दि0 13.8.04 तथा पत्र क्र-एफ-3-134/दो-गृह/बजट/2004 दि0 30.9.04 के द्वारा आरक्षक ट्रेडमेन स्वीपर के लिये वेतनमान रू 2550-3200 स्वीकृत हुआ था। छ0ग0 सशस्त्र बल की समस्त इकाईयों में आरक्षक ट्रेड स्वीपर का वेतनमान 3050-4590 के समान स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव छ0ग0 शासन गृह पुलिस विभाग पत्र क्र-एफ-134/ गृह-दो/04 दि0

				16.6.05 के द्वारा असहमति व्यक्त की गई है। पुनः विचार बाबत अनुरोध है।

5- नवीन 11वीं/12वीं/13वीं भारत रक्षित वाहिनियों की समस्याएं :-

क्र0	इकाई का नाम	प्रस्ताव का विवरण	पत्र प्रेषित का पत्र क्र0 एवं दिनांक	प्रस्ताव प्रेषित करने वाले कार्यालय का नाम
अ	11वीं बटा. छसबल, जांजगीर	11वीं बटा0 जॉजगीर-चॉपा के लिये क्रमशः सेनानी/एडज्यूटेंट के कार्यालय /निवास हेतु कुल-04 नग दूरभाष की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव	पत्र क्र-पुमु/खण्ड-9/दूरभाष/4744-ए /05 दि0 3.3.05	पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष सचिव, छ0ग0 शासन गृह(पुलिस) विभाग, मंत्रालय, डी0के0 भवन, रायपुर
ब	नई (भा./र.) 12वीं बटा0	1- वाहन आवंटन प्रस्ताव	क्र0/पु0मु0/छ0स0ब0/मुख्या0 /राय0/नि0स0/एफ/259/ दिनांक 07.09.06	पु0म0नि0, (यो0/प्र0), पु0मु0, रायपुर
		2- आर्म्स/एम्यनेशन आवंटन प्रस्ताव	क्र0/पु0मु0/छ0स0ब0/मुख्या0 /राय0/नि0स0/एफ/258/ दिनांक 07.09.06	-‘‘‘-
		3-किट क्लोदिंग आवंटन प्रस्ताव	क्र0/पु0मु0/छ0स0ब0/मुख्या0 /राय0/नि0स0/एफ/260/ दिनांक 07.09.06	-‘‘‘-
		4- कार्या.फर्नीचर आवंटन प्रस्ताव	क्र0/पु0मु0/छ0स0ब0/मुख्या0 /राय0/नि0स0/एफ/257/ दिनांक 07.09.06	-‘‘‘-
स	नई (भा./र.) 13वीं बटा0 हेतु प्रस्ताव	1- वाहन आवंटन प्रस्ताव	क्र0/पु0मु0/छ0स0ब0/मुख्या0 /राय0/नि0स0/एफ/261/ दिनांक 07.09.06	पु0म0नि0, यो0/प्र0, पु0मु0, रायपुर
		2- आर्म्स/एम्यनेशन आवंटन प्रस्ताव	क्र0/पु0मु0/छ0स0ब0/मुख्या0 /राय0/नि0स0/एफ/264/ दिनांक 07.09.06	-‘‘‘-
		3-किट क्लोदिंग आवंटन प्रस्ताव	क्र0/पु0मु0/छ0स0ब0/मुख्या0 /राय0/नि0स0/एफ/262/ दिनांक 07.09.06	-‘‘‘-
		4- कार्या.फर्नीचर आवंटन प्रस्ताव	क्र0/पु0मु0/छ0स0ब0/मुख्या0 /राय0/नि0स0/एफ/263/ दिनांक 07.09.06	-‘‘‘-

6- एपीटीएस जगदलपुर एवं पीटीसी बोरगांव के उन्नयन हेतु क्रमशः 3 एवं 1 करोड़ के विभिन्न प्रशासकीय भवन निर्माण का प्रस्ताव अनुमोदन उपरांत शासन से स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने पर उक्त प्रस्ताव का विस्तृत प्राक्कलन, ड्राईंग एवं डिजाईन, लोक निर्माण विभाग का हस्ताक्षरयुक्त प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-छसबल/मुख्या/भि/से-6/जी/6476-ए/06 दिनांक 21-12-2006 द्वारा पुलिस मुख्यालय रायपुर की ओर प्रेषित किया गया है, जिस पर स्वीकृति अपेक्षित है।

7- पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2006-2007 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल इकाईयों के कार्यालय इक्यूपमेंट- सामग्री/इलेक्ट्रिक उपकरण/मशीनरी उपकरण/फर्नीचर/आर्म्स एवं भवन निर्माण संबंधी प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-छसबल/मुख्या/भि/से-6/आई/683/06 दिनांक 13-4-2006 एवं अर्द्व शासकीय पत्र क्रमांक-डीओ/45-ए/06 दिनांक 10-5-2006 के द्वारा पुलिस मुख्यालय रायपुर की ओर प्रेषित किया गया है, जिस पर स्वीकृति अपेक्षित है।

8- उप पुलिस महानिरीक्षक, छसबल की पदस्थापना :-

छसबल मुख्यालय भिलाई में 01 उप पुलिस महानिरीक्षक श्री टी0जे0लांगकुमेर पदस्थ है, परन्तु इनके लगातार बस्तर में डियूटीरत् होने से उप पुलिस महानिरीक्षक, स्तर के प्रकरणों के निराकरण पर अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः छसबल मुख्यालय, भिलाई में 01 उप पुलिस महानिरीक्षक की और पदस्थापना किया जाना अति आवश्यक ळें

9- नई भारत रक्षित वाहिनी में सेनानी की पदस्थापना :-

छत्तीसगढ़ राज्य को स्वीकृत नये भारत रक्षित वाहिनी 12वीं एवं 13वीं वाहिनी हेतु आरक्षक संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है तथा बटालियन की स्थापना के लिए तथा नव नियुक्त आरक्षक संवर्ग की नियुक्ति के दोनों बटालियनों में सेनानी की पदस्थापना प्राथमिकता के आधार पर किये जाने हेतु प्रस्ताव इस कार्यलय के पत्र क्रमांक-छसबल/मुख्या/भि/से-4/आई/1938/06 दिनांक 26-12-2006 के द्वारा अति0पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पु0मु0रायपुर की ओर भेजा गया है, परन्तु सेनानियों की पदस्थापना अभी तक नहीं हुआ है। अतः इन नयी भारत रक्षित 12वीं एवं 13वीं वाहिनी में सेनानी की पदस्थापना किया जाना नितांत आवश्यक है।

10- छत्तीसगढ़ स्थित वाहिनियों, प्रशिक्षण संस्थाओं में राजपत्रित अधि0 के निम्नानुसार पद रिक्त है :-

(अ) सेनानी :-

12वीं वाहिनी	- 1 पद
13वीं बटा0छसबल	- 1 पद
एपीटीएस जगदलपुर	- 1 पद
पीटीसी बोरगांव	- 1 पद
सीटीजेडब्ल्यू कालेज कांकेर	- 1 पद

(ब) उप सेनानी/अति.पु.अ.

2री वाहिनी	- 1 पद
3री वाहिनी	- 1 पद
6वीं वाहिनी	- 1 पद
8वीं वाहिनी	- 3 पद
11वी वाहिनी	- 1 पद
12वीं वाहिनी	- 3 पद
13वीं वाहिनी	- 3 पद
सीटीजेडब्ल्यू कालेज कांकेर	- 1 पद

(स) सहायक सेनानी :-

प्रथम वाहिनी	- 2 पद
2री वाहिनी	- 1 पद
चौथी वाहिनी	- 3 पद
5वीं वाहिनी	- 1 पद

छठवीं वाहिनी	- 2 पद
सातवी वाहिनी	- 3 पद
आठवीं वाहिनी	- 6 पद
नवमी वाहिनी	- 1 पद
दसवीं वाहिनी	- 2 पद
ग्यारहवी वाहिनी	- 5 पद
बारहवीं वाहिनी	- 6 पद
तेरहवीं वाहिनी	- 7 पद
पीटीसी बोरगांव	- 2 पद
आर्म्स वर्कशाप रायपुर	- 1 पद
एमटी वर्कशाप रायपुर	- 1 पद
सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज, कांकेर	- 2 पद

उक्त रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र किया जाना आवश्यक है । इस संबंध में प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय रायपुर को पत्र क्रमांक- से-4/आई/489/06 दिनांक 7-3-2006, जी/1416-ए/06 दिनांक 29-3-06, आई/1085/06 दिनांक 6-7-2006 एवं आई/1489/06 दिनांक 29-9-2006 द्वारा लिखा गया है, किन्तु पदस्थापना अपेक्षित है।

11& fnukd 31&12&2006 dh fLFkfr e Nlcy dh leLr bdkb;k e vjktif=r vf/kdkfj;k@deZpkfj;k d fuEukuqlkj LFkku fjDr g %&

क्र0	ईकाई	Co	DC	AC	CC	PC	APC	HC	Const.	BA	Office Staff	Hospital Staff	Deput-Staff	Other TC	Total
1	1st Bn. Bli	-	-=	2	4	7	8	20	159	3	7	2	-	2	214
2	2nd Bn. BSP	-	1	1	2	6	3	38	175	-	-	-	-	3	229
3	3rd Bn. RPR	-	1	-	4	10	12	52	102	1	-	-	-	1	182
4	4th Bn. Mana	-	-	3	5	11	12	24	229	-	3	2	-	5	294
5	5th Bn. JDR	-	-	1	5	16	1	29	120	-	3	3	-	7	185
6	6th Bn. RJH	-	1	2	4	5	8	30	140	-	3	5	-	3	201
7	7th Bn. Bli	-	-	3	5	7	-	24	180	-	4	5	-	4	232
8	8th Bn. RJN	-	3	6	3	4	1	7	109	3	4	1	-	5	146
9	9th Bn. DWA	-	-	1	2	2	1	7	96	4	8	5	-	13	138
10	10th Bn. SJA	-	-	2	1	-	3	1	80	4	5	5	-	9	110
11	11th Bn. JJR	-	1	5	3	10	1	9	114	5	1	4	-	4	157
12	12th Bn.	1	3	6	6	23	-	55	391	10	7	4	-	69	575
13	13th Bn.	1	3	7	8	23	11	92	667	10	7	4	-	69	902

14	APTS JDR	-	-	-	-	3	-	1	2	1	-	-	-	-	7
15	PTC B'gaon	1	-	2	-	1	-	8	5	-	2	-	-	-	19
16	MT w/s RPR	-	-	1	1	-	4	1	2	-	6	-	-	-	15
17	MT w/s BSP	-	-	-	1	-	-	1	1	-	5	-	-	-	8
18	MT w/s JDR	-	-	-	-	-	5	7	4	-	2	-	-	-	18
19	CTJW KKR	1	1	2	6	-	-	11	-	-	2	6	13	-	42
20	Arms w/sRPR	-	-	1	-	1	-	3	5	-	-	-	-	-	10
21	C.G.E.B	-	-	-	-	-	-	6	24	-	-	-	-	-	30

नोट - 12वीं एवं 13वीं वाहिनी के आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध 1308 पदों की भर्ती उपरांत चयन सूची जारी की जा चुकी है। नियुक्ति दिया जाना शेष है।

12- वाहिनियों में संचालित चिकित्सालयीन स्टॉफ के स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त चिकित्सक, कम्पाउण्डर, मेलनर्स, फिमेलनर्स के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक- छगसपु/ मुख्या/से-4/आई/1269/05 दिनांक 10-8-05, आई/488/06 दिनांक 7-3-06 एवं आई/488-ए/06 दिनांक 14-7-2006 तथा आई/488-बी/06 दिनांक 29-9-2006 द्वारा प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय रायपुर को प्रेषित किया गया है, किन्तु पदस्थापना अपेक्षित है।

13- छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिले नक्सल प्रभावित है। इन जिलों में नक्सली डियूटी हेतु वर्तमान में सशस्त्र बल की 42 कम्पनियों में तैनात कर्मियों को मुख्य रूप से आवास, बिजली, पानी, चिकित्सा से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दूरस्त जंगलों में तैनात कर्मियों के लिए आवास, बिजली, पानी, चिकित्सा आदि से संबंधित समस्याओं का निवारण आवश्यक है। चिकित्सा के लिए समस्त वाहिनियों में डाक्टर एवं पैरा मेडिकल स्टाफ पदस्थ करना नितांत आवश्यक है।

14- <u>छ0ग0 से म0प्र0 एवं म0प्र0 से छ0ग0 राज्य आबंटन :-</u>

गृह पुलिस विभाग के आदे-ा क्रमांक 14236/1140/2/गृह/2002 दिनांक 25-9-02 के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को म.प्र. से छ.ग. एवं छ.ग. से म.प्र. राज्य आबंटित किया गया है। इन कर्मचारियों में से छसबल छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मध्यप्रदेश के लिए रवानगी दी गई है। म.प्र. से छ.ग. राज्य आबंटन पश्चात निम्नानुसार कर्मचारी छ.ग. में आमद देना शेष है:-

कंपनी कमाण्डर	-	02
प्लाटून कमाण्डर	-	03
सेक्शन कमाण्डर	-	11
स.उ.नि. एमटी	-	01
योग	-	17

15- आधुनिकीकरण योजना के तहत वर्तमान में वाहिनियों के लिए ए.के.47 रायफल, इन्सास रायफल, बुलेट प्रूफ मोर्चा, बुलेट प्रूफ जैकेट, लेण्डमाइन प्रूफ बूट्स प्रदाय किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

16- छसबल मुख्यालय भिलाई के लिये अनुसचिवीय बल का कोई पद स्वीकृत नहीं है। इन कार्यालयों के संचालन हेतु विभिन्न वाहिनियों एवं जिला बल से अनुसचिवीय कर्मचारियों को सम्बद्ध कर कार्य लिया जा रहा है। छसबल मुख्यालय भिलाई के लिये अनुसचिवीय बल के पदों की स्वीकृति हेतु पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रं0-पुमु/खण्ड-9/यो./328 /04 दिनांक 27-5-04 तथा स्मरण पत्र क्रमांक-खण्ड-9/योजना/01/04 दिनांक 1.1.05 द्वारा प्रस्ताव शासन की ओर भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है ।

17- छसबल की वाहिनियों में भारी वाहन-86, मध्यम वाहन- 127 हल्के वाहन-26, एम्बुलेंस-7 की कमी है, कमी वाहनों की पूर्ति किया जाना आवश्यक है। कमी की पूर्ति बाबत् इस कार्यालय के पत्र क्र0-छसब/मुख्या/भि/खण्ड-5/आई/978/दिनांक 13.06.06 के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक योजना एवं प्रबंध पुलिस मुख्यालय रायपुर की ओर प्रस्ताव भेजा गया है।

18- छसबल की वाहिनियों में निम्नानुसार आर्म्स की कमी है जिसकी पूर्ति किया जाना आवश्यक है :-

S.no.	Unit	*7.62 SLR*	*5.56 Insas*	*7.62 LMG*	*5.56 Insas LMG*	*A.K. 47*	*9 mm Carbine*	*9mm Pistol*	*.38 Rewalwer*	*2" Mortar*	Total
1	1st Bn.	30	03	-	3	-	2	-	-	-	38
2	2nd Bn.	6	-	6	8	-	-	-	-	3	23
3	3rd Bn.	48	-	9	7	-	-	-	-	-	64
4	4th Bn.	214	-	-	4	126	4	14	-	47	410
5	5th Bn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6th Bn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7th Bn.	63	03	16	-	-	-	-	-	-	82
8	8th Bn.	-	-	33	-	153	-	-	-	44	230
9	9th Bn.	77	-	-	-	102	-	-	-	39	218
10	10th Bn.	141	-	-	-	136	-	-	-	56	333
11	11th Bn.	805	-	44	-	149	-	30	-	45	1073
12	APTS, Jagdalpur	-	-	-	-	-	-		-	-	-
10	PTC B'GAON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	CTJW,College, KKR	29	-	9	4	-	-	15	-	-	57
	Total	1,413	06	117	26	666	06	59		234	2,528

19- आवास :-

दिनांक 1.11.2000 की स्थिति में छसबल बल की इकाईयों में आवासगृह की उपलब्धता के अंतर्गत मात्र 25 प्रतिशत आवासगृह उपलब्ध थे। वर्तमान में 4 नवगठित वाहिनी (8वीं/9वीं/10वीं एवं 11वीं वाहिनी) में उपलब्ध आवासगृह एवं निर्माणाधीन आवासगृह के आधार पर अब वर्तमान में छसबल की इकाईयों में मात्र 16 प्रतिशत आवासगृह उपलब्ध है, जो अत्यन्त ही कम है। अतः छसबल इकाईयों को कम से कम 50 प्रतिशत आवासगृह उपलब्ध कराये जाने की नितांत आवश्यकता है।

20- नयी भारत रक्षित बटालियन मुख्यालय :-

1- रामानुजगंज जिला सरगुजा (जिला पुलिस बलरामपुर) में नई भारत रक्षित 12वीं बटालियन मुख्यालय गठन करने हेतु वाहिनी के कार्यालय का कार्य प्रारंभ करने, आर्म्स/एम्युनेशन, वाहन एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों को व्यस्थित रूप से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक प्रशासकीय भवन एवं अधिकारी/कर्मचारियों के रहने के लिए आवासीय भवन उपलब्ध नहीं होने से वाहिनी का मुख्यालय गठित करने में असुविधा होने तथा चन्द्रखुरी जिला रायपुर के लिए आवश्यक प्रशासकीय एवं आवासीय भवन उपलब्ध होने से तत्कालिक व्यवस्था के रूप से उक्त वाहिनी का घोषित किया गया मुख्यालय, रामानुजगंज जिला सरगुजा के स्थान पर चन्द्रखुरी जिला रायपुर घोषित करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ की ओर से कार्यालय के पत्र क्रमांक-पुमु/छसबल/मुख्या/ खण्ड-6/ निस.स./333/06 दिनांक 16-10-06 के द्वारा अति0 मुख्य सचिव, छ0ग0शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसका स्वीकृति अपेक्षित है।

2- नई भारत रक्षित 13वीं वाहिनी का मुख्यालय बांगो जिला कोरबा घोषित कर बांगो स्थित सिंचाई तथा उर्जा विभाग के क्षेत्रांर्गत उपलब्ध भूमि एवं निर्मित आवास गृह तथा अन्य भवन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने आदेश क्रमांक-एफ-2-30/दो-गृह/रापुसे/06 रायपुर दिनांक 21-12-06 के द्वारा उक्त भूमि एवं निर्मित आवास तथा अन्य भवन 13वीं वाहिनी के मुख्यालय/कार्य प्रयोजन हेतु सिंचाई/उर्जा विभाग से हस्तांतरण में प्राप्त कर अवगत कराने के निर्देश दिये जा चुके है तथा छ0ग0शासन द्वारा उक्त आवास गृह/अन्य भवनों के मरम्मत कार्य सम्पादित करने हेतु विभागीय बजट से रू.2.00 करोड़ के पुर्नविनियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें पु0मु0 के निर्देशानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्य प्रक्रिया में है।

21- कम्बेट किट :-

एफ0एस0एम0ओ0 इक्यूपमेंट के अंतर्गत प्रदाय किये जाने वाले इक्यूपमेंट का निर्धारण म0प्र0 राज्य स्थापना के समय से लगातार विद्यमान है जबकि नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में डियूटी करने व सघन जंगलों में नक्सली सर्चिंग के दौरान आपरेशनल मूव्हमेंट में एफ0एस0एम0ओ0 एक्यूपमेंट कार्य उपयोग सिद्ध नहीं होने से उसके स्थान पर जवानों के सुरक्षा एवं सुविधा एवं नक्सली आपरेशनल मूव्हमेंट एवं मुठभेड़ में कारगार सिद्ध हो, को ध्यान में रखकर काम्बेट किट का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-छसबल/मुख्या/भि/से-6/ आई/35/07 दिनांक 3-1-07 के द्वारा अति0पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) एवं योजना पुलिस मुख्यालय, रायपुर को प्रेषित किया गया है, स्वीकृति अपेक्षित है।

22- कन्सेंटीना फेंसिंग :-

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पदस्थ 5वीं वाहिनी, 8वीं वाहिनी, 9वीं वाहिनी, एवं 10वीं वाहिनी छसबल, एपीटीएस जगदलपुर एवं पीटीसी बोरगांव में प्रस्तावित कन्सेटीना फेसिंग के लिए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-छसबल/मुख्या/भि/से-6/आई/572-ए/05 दिनांक 6-7-2005 के द्वारा समनि (यो/प्र) के माध्यम से पुमनि (यो/प्र) पु0मु0रायपुर को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। जिस पर पुलिस मुख्यालय स्तर 5वीं वाहिनी - 1900 मीटर (क्वार्टर गार्ड), 8वीं वाहिनी - 2000 मीटर (कैम्पस परिसर) एवं 9वीं वाहिनी - 1900 मीटर (कैम्पस परिसर) इत्यादि फेंसिंग कराने हेतु संबंधित कम्पनी को आदेश जारी किये गये है, जिसका कार्य संबंधित इकाई द्वारा कराया जा रहा है। शेष इकाई 10वीं, एपीटीएस जगदलपुर एपं पीटीसी बोरगांव जो की नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने से कन्सेटीना वायर की फेसिंग कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

23- प्रशासनिक भवन :-

वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंतर्गत 3री, 4थी, 9वीं, 10वीं एवं वित्तीय वर्ष 2006-07 में 11वीं वाहिनी, छसबल को प्रशासनिक भवन के निर्माण की स्वीकृति पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदान की गई है। जिसका निर्माण कार्य की प्रगति निम्नानुसार है :-

क्रमांक	इकाई का नाम	भवन हेतु स्वीकृत राशि	निर्माण कार्य का प्रतिशत
1.	3री बटा0छसबल रायपुर	12,00,000/-	80 प्रतिशत
2.	4थी बटा0	12,00,000/-	50 प्रतिशत
3.	9वीं बटा0	12,00,000/-	50 प्रतिशत

4.	10वीं बटा0	12,00,000/-	25 प्रतिशत
5.	11वीं बटा0	-	कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है

उपरोक्त वाहिनियों के अलावा 2री बटा0बिलासपुर/6वीं बटा0रायगढ़/7वीं बटा0भिलाई तथा नयी भारत रक्षित 12वीं एवं 13वीं वाहिनी, छसबल बांगो कोरबा के लिए प्रशासनिक भवन न होने के कारण कार्यालयीन कार्य को समुचित रूप से संचालित कराने एवं रिकार्ड/किट एवं अन्य सामग्रियों के रख-रखाव में व्यवधान का सामना करना पड़ता है। अतः इन वाहिनियों के लिए प्रशासनिक भवन का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है, जिसकी स्वीकृति प्राथमिकता आधार पर प्रदाय किया जाना आवश्यक है।

6- उपलब्धियां :-

01- भर्ती :-

छ0स0बल की इकाईयों में सीधी भर्ती के आरक्षक संवर्ग की गई भर्ती कार्यवाही का विवरण 2006

इकाई का नाम	वर्ष 2006
प्रथम वाहिनी छसबल, भिलाई	13
2री वाहिनी छसबल, बिलासपुर	05
3री वाहिनी छसबल, रायपुर	136
4थीं वाहिनी छसबल, माना	44
5वीं वाहिनी छसबल, जगदलपुर	15
6वीं वाहिनी छसबल, रायगढ़	16
7वीं वाहिनी छसबल, भिलाई	30
नवगठित 12वीं/13वीं भारत रक्षित वाहिनी	1308
सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज कांकेर	93
कुल योग-	1660

02- पदोन्नति :-

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में वर्ष 2006 में निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है :-

क्रमांक	पद का नाम	पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या
1	पीसी से सीसी	39
2	एपीसी से पीसी	83
3	प्रआर से एपीसी	209
4	आर0 (जीडी) से प्रआर0 (जीडी)	576
5	प्रधान आरक्षक (एमटी) से सहा0उप निरी0 (एमटी)	02
7	आर0 (एमटी) से प्रआर0 (एमटी)	15
8	आरक्षक (आर्म्स) से प्रआर (आर्म्स)	24
	योग-	948

03- क्रम से पूर्व पदोन्नति :-

छ0स0बल के अन्तर्गत आने वाली इकाईयों में वर्ष 2006 में कुल 11 अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रम से पूर्व पदोन्नति प्रदान करने संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रम से पूर्व पदोन्नति प्रदान करने का पद	वर्ष 2006
सेक्शन कमाण्डर से प्लाटून कमाण्डर	02
प्रधान आरक्षक से सेक्शन कमाण्डर	01
आरक्षक से प्रधान आरक्षक	08
योग	11

04- आर्म्स वर्कशाप के लिए पदों की स्वीकृति :-

छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-3/165/गृह-दो/2004 दिनांक 13-8-2006 द्वारा कुल 19 अधि0/कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। शासनादेश के पालन में आर्म्स रिपेयरिंग वर्कशाप की स्थापना 4थी बटा0छसबल माना-रायपुर में की गई है।

05- दिनांक 1-11-2000 को समाप्त हुए पदों का पुनर्जीविकरण :-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 436/वित्त/चार/निस/2003 रायपुर दिनांक 29-5-2003 के द्वारा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के दिनांक 1-11-2000 की स्थिति में रिक्त 591 पदों को समाप्त किये गये थे, जिसे पुनः छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के आदेश एफ-3/27/06/ गृह-दो/रायपुर दिनांक 23-12-2006 के द्वारा पुनर्जीवित किया गया है।

06- प्रशिक्षण :-

(1) वर्ष 2006 में बेसिक प्रशिक्षण छोड़कर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के कुल 68 अधिकारी/कर्मचारी राज्य के बाहर एवं कुल 2026 अधिकारी/कर्मचारी राज्य में इस प्रकार कुल 2094 अधिकारी/ कर्मचारी विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त किये है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशिक्षण केन्द्रो में छ0स0बल के कुल 254 अधिकारी /कर्मचारी बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

(2) सी0आई0जे0डब्ल्यू0वारंगटे मिजोरम के तर्ज पर प्रशिक्षण दिये जाने हेतु जगलवार फेयर प्रशिक्षण कॉलेज, कांकेर की स्थापना की गई है। प्रशिक्षण स्कूल से वर्ष 2006 में निम्नानुसार छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य राज्यों के पुलिस अधि0/कर्मचारियां को विशेष प्रशिक्षण दिया जाकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान हेतु पदस्थ किया गया है।

राज्य के अंदर	-	छसबल के	-	820 अधि0/कर्म0
		जिला बल के	-	546 -'-
अन्य राज्यों के		झारखण्ड	-	375 -'-
		उड़ीसा	-	100 -'-
		महाराष्ट्र	-	29 -'-
		बिहार	-	49 -'-
		कुल		1919 अधि0/कर्म0

(3) छसबल की विभिन्न वाहिनियों से वर्ष 2006 में कुल-1230 नव आरक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाकर कम्पनियों में तैनात किया गया हैं । वर्तमान में छसबल की विभिन्न प्रशिक्षण शालाओं में पृथक-पृथक बैच के कुल-254 नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं।

(4) पुलिस प्रशिक्षण इकाईयों द्वारा नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण संचालित की जा रही है जिसमें 254 नव आरक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा इकाईयों एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में विभिन्न कोर्सों में कुल-2026 अधि0/कर्मचारी प्रशिक्षित हुये हैं तथा पूर्व पदोन्नति कोर्स में 708 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

07- डॉग स्कवॉड का गठन :-

छत्तीसगढ़ शासन गृह(पुलिस) विभाग के आदेश क्रमांक- एफ-3-1/06/दो-गृह/06 दिनांक 28-7-2006 द्वारा राज्य में डॉग स्क्वाड के गठन हेतु कुल 10 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज कांकेर के लिये डॉग स्क्वाड के अंतर्गत कुल 10 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में डॉग स्क्वाड के गठन हेतु वर्तमान में 29 डॉग क्रय किया जाकर बीएसएफ टेकनपुर में प्रशिक्षित कराया गया है। इन गुल 29 डॉग एवं डॉग हेण्डलर को प्रशिक्षण उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में डियूटी हेतु उपलब्ध कराया गया है।

08- अश्वरोही दल :-

छत्तीसगढ़ शासन गृह(पुलिस) विभाग के आदेश क्रमांक- एफ-3-1/06/दो-गृह/06 दिनांक 28-7-2006 द्वारा राज्य में अश्वारोही दल के गठन हेतु कुल 16 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज कांकेर के लिए अश्वारोही दल के अंतर्गत कुल 16 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में अश्वारोही दल के गठन हेतु वर्तमान में कुल 16 अश्व क्रय किये गये है एवं स्वीकृत पदों पर छसबल की विभिन्न वाहिनियों से कर्मचारी पदस्थ किये जाकर सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज कांकेर में अश्वारोही दल की स्थापना की गई है।

09- अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय की गयी :-

वर्ष 2006 में छत्तसीगढ़ सशस्त्र बल की इकाईयों से संबंधित कुल-22 प्रकरणो में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय की गई है।

10- एस0टी0एफ0 के 500 अधि0/कर्मचारियों को मूल वेतन का 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता लागू :-

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में एस0टी0एफ0 के स्वीकृत कुल-165 पदों पर ग्रेहाउण्ड/कमाण्डो प्रशिक्षित कर्मचारियों की पदस्थापना कर नक्सल विरोधी विशेष अभियान हेतु तैनात किया गया है। इस बल द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अच्छे परिणाम हासिल किये गये हैं। अतः इस बल में वृद्धि की आवश्यकता हेतु पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रमांक-पुमु/खण्ड-9/यो/2009/05 दिनांक 26.11.05 द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसके तारतम्य में छ0ग0 शासन द्वारा उनके परिपत्र क्रमांक-एफ-3-9/गृह-दो/05 दिनांक 30.12.05 के द्वारा इस बल में अतिरिक्त 335 पदों को सम्मिलित कर कुल-500 अधि0/कर्मचारियों को एस0टी0एफ0 भत्ता दिनांक 1.1.06 से मूल वेतन का 50 प्रतिशत राशि जोखिम भत्ता के रूप में प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदाय की गई है।

11- 12वीं एवं 13वीं वाहिनीं (भा./र.) छ.स.बल :-

(1) 12वीं भारत रक्षित वाहिनी, चंद्रखुरी,रायपुर के कार्यालयीन कार्य हेतु क्रमशः सेनानी, उप सेनानी एवं एडज्युटेंट के कार्यालय एवं उनके बंगला निवास के लिये 02-02 कुल-06 नग शासकीय दूरभाष की स्वीकृति शासन से प्रदान करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र0/छसब/ मुख्या0/भि0/से-6/आई/ 557-ए/06, दिनांक 16.05.06 के द्वारा (यो0/प्र0), पु0मु0, रायपुर को तथा उक्त प्रस्ताव पु0मु0 के पत्र क्र0/पुमु/खण्ड-9/यो0/दूरभाष/951/06 के द्वारा प्रस्ताव छ0ग0 शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया गया था, जिस पर शासन ने आदेश क्र0/एफ-3/134/2004/गृह-दो, दिनांक 10-11-2006 द्वारा सेनानी एवं एड़ज्युटेंट के कार्यालय/निवास के लिये 02-02 शासकीय दूरभाष की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(2) नई भा0/र0 बटा0 के लिये प्रस्तावित वांगो में उपलब्ध आवासीय भवन व वर्कशॉप की मरम्मत हेतु स्वीकृति नई भा0/र0 बटा0 के लिये प्रस्तावित वांगो में उपलब्ध आवासीय भवन व वर्कशॉप की मरम्मत हेतु स्वीकृति 423.68 लाख, 85,63,742/- पुलिस महानिदेशक,पु0मु0, रायपुर के माध्यम से अति0मुख्य सचिव, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, रायपुर को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था, जिस पर राज्य शासन ने शासनादेश क्र0/एफ-2-30/दो-गृह/रापुसे/06, दिनांक 21.12.06 के द्वारा सिचाई तथा उर्जा विभाग के बांगों स्थित भूमि एवं निर्मित आवास तथा अन्य भवन 13वीं वाहिनी के मुख्यालय/कार्य प्रयोजन हेतु सिचाई/उर्जा विभाग से हस्तातंरण में प्राप्त कर अवगत के निर्देश दिये गये है, जिसमें उक्त प्राप्त होने वाले आवास/अन्य भवनों के मरम्मत कार्य संपादित करने हेतु विभागीय बजट से रूपये- 2.00 करोड के पुर्नविनियोजन की स्वीकृति प्रदान गई है, जिस पु0मु0 के निर्देशानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्य प्रक्रिया में है।

12- गैलेन्ट्री एवं आई0पी0एम0 अवार्ड :-

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की इकाईयों में कार्यरत् अधि0/कर्मचारियों से वर्ष 2006 में 01 एपीसी को गेलेण्ट्री मेडल एवं 01-कंपनी कमाण्डर, 01-उनि(एम) एवं 01-आरक्षक इस प्रकार कुल 03 को आई.पी.एम. अवार्ड प्रदान किया गया है।

13- पौष्टिक आहार भत्ते में वृद्धि :-

छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-3/70/गृह-दो/2005 दिनांक 5-1-2006 द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ अधि0/कर्मचारियों के पोष्टिक आहार भत्ते में वृद्धि किया जाकर रू. 300/- प्रतिमाह के स्थान पर रू. 650/- प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है।

14- एसटीएफ बल व्दारा नक्सली अभियान में किये गये म्दबवनदजमते एवं उत्कृष्ट कार्यो का विवरण

एस0टी0एफ0 द्वारा वर्ष 2006 में कुल 41 नक्सली इन्काउंटर किया गया। जिसमें से लगभग 07 नक्सली मारा गया एवं शव बरामद किया गया तथा 03 नक्सली मारे जाने की संभावना, 02 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 02 नग .303 रायफल, 80 नग .303 रायफल जिंदा कारतूस, 09 नग खोखे .303 रायफल, 01 नग एसएलआर रायफल, 204 नग जिंदा कारतूस एसएलआर, 04 नग खाली खोखे एसएलआर, 4 नग 12 बोर बंदूक, 40 नग जिंदा कारतूस 12 बोर राय., 08 नग प्रेशर बम, 31 नग डोटानेटर, 02 नग हथगोला, 20 नग पिटठू, 03 नग हेण्ड ग्रिनेड, 14 नग ए.के.47 रायफल, 07 नग भरमार बंदूक, 03 नग 315 रायफल, 54 नग जिंदा कारतूस 315 रायफल, 10 नग खाली खोल 315 रायफल, 03 नग टिफिन बम एवं 22 नग माइंस, 01 नग अत्याधुनिक मोटोरोला वायरलेस सेट तथा रेडियो, तार, टोपी स्टार, कैमरा, एवं अन्य दैनिक सामान नक्सली मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ द्वारा सर्चिंग के दौरान जप्त किया गया है।

एस0टी0एफ0 के त्मवतहंदपेम करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जो 2दक चैंम में बल वृद्धि की स्वीकृति प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

15- खेल संबंधी :-

(1) दिनांक 5-5-2006 से 28-5-2006 तक पांडेचेरी, तमिलनाडू में आयोजित 27वां राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्राथम वाहिनी भिलाई के एपीसी शिवकुमार ने तवां फेंक में प्रथम स्थान आने पर स्वर्ण पदक तथा हेमर थ्रो एवं गोला फेंक में द्वितीय आने पर रजत पदक प्राप्त किया है।

(2) दिनांक 14-11-2006 से 19-11-2006 तक बैंगलोर में संचालित 14वां एशियन मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रथम वाहिनी भिलाई के एपीसी शिवकुमार ने हेमर थ्रो में द्वितीय आने पर रजत पदक तथा तवा फेंक में द्वितीय आने पर रजत पदक प्राप्त किया है।

हाल ही में इनके प्रदर्शन के फलस्वरूप पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, पु0मु0रायपुर द्वारा एपीसी से एपीसी के पद पर क्रम से पूर्व पदोन्नति प्रदान की गई है।

(3) दिनांक 9-10-2006 से 13-10-06 तक जालंधर पंजाब में संचालित 55वीं अखिल भारतीय पुलिस वेटलेफ्टिंग प्रतियोगिता में 4थी वाहिनी छसबल माना-रायपुर के प्रआर 116 रूस्तम सारंग ने प्रथम आने पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। यह छत्तीसगढ़ पुलिस इतिहास में प्रथमवार अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने का गौरवा है।

(4) वर्ष 2006 में 4थी वाहिनी छसबल माना-रायपुर में पदस्थ प्रआर 116 रूस्तम सारंग को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शहीद कौशल यादव पुरस्कार से सम्मानित किया जाकर रू. एक लाख से पुरस्कृत किया गया है।

(5) दिनांक 21-2-2006 से 25-2-2006 तक मुम्बई में संचालित राष्ट्रीय सीनियर जुड़ों प्रतियोगिता में जिला बलरामपुर की महिला नव आरक्षक 373 रीना साहू ने तृतीय स्थान आने पर कांस्य पदक प्राप्त किया है, उन्हें दिनांक 7-11-2006 को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रमुख गुण्डाधुर अवार्ड से सम्मानित कर एक लाख रूपये से पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में इन्हें पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर क्रम से पूर्व पदोन्नति प्रदान की गई है।

(6) वर्ष 2006 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगातार अच्छे प्रदर्शन के फलस्वरूप माह अगस्त 2006 में छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा ताईक्वाडों खेल में जिला बल जांजगीर के आरक्षक मुकेश पुरी गोश्वामी को राजीव पाण्डेय पुरस्कार से सम्मानित कर रू.2,25,000/- से पुरस्कृत किया गया है।

16- पी0सी0एण्ड/एम0ओ0डब्ल्यू0 :-

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल वाहिनियों एवं छ0स0बल के प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये (यो0/प्र0) पु0मु0, रायपुर द्वारा **वित्तीय वर्ष-2006-07** में विभिन्न निर्माण कार्यो के लिये पी0सी0एण्ड आर0 मद में **कुल रू0-53,53,050/-** बजट आवंटन प्रदाय किया गया है, जिसमें से **कुल रूपये-18,11,500/-** कई इकाईयों द्वारा आवंटित निर्माण कार्य हेतु व्यय किया जा चुका है तथा **कुल रूपये-35,41,550/-** शेष है। इसी प्रकार एम0ओ0डब्ल्यू0मद में **कुल रूपये-17,15,220/-** बजट आवंटन प्रदाय किया गया है, जिसमें से **कुल रूपये- 11,36,415/-** कई इकाईयों द्वारा आवंटित निर्माण कार्य हेतु व्यय किया जा चुका है तथा **कुल रूपये-5,78,805/-** शेष है, जिसका शीघ्र निर्माण कार्य कराया जाकर आवंटित राशि का उपयोग पूर्णरूपेण कराया जायेगा।

17- पुलिस कल्याण केन्द्र :-

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल वाहिनियों के अंतर्गत क्रमशः प्रथम/2री/4थी/5वीं/6वीं एवं 7वीं में पुलिस कल्याण केन्द्र के अंतर्गत महिला कल्याण केन्द्र संचालित कराये गये है जिसमें जवानों की महिलाओं के जवानों की ड्रेसेस, उनी कपड़े इत्यादि के कपडे की सिलाई का कार्य पु0मु0 के निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे जवानों की महिलाओं को सिलाई कार्य का निर्धारित परिश्रामिक भुगतान कराया जाता है तथा वे रोजगार सुविधा से भी लाभांवित हो पाती है।

18- पुलिस अस्पताल :-

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल वाहिनियों के अंतर्गत क्रमशः प्रथम/2री/4थी/5वीं/6वीं/7वीं एवं 8वीं (भा0/र0) बटा0 में राज्य शासन द्वारा स्वीकृत पुलिस अस्पताल की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें वाहिनी के अधिकारी/कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को समय-समय उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाकर स्वास्थ्य लाभ पहुँचाया जाता है।

3री वाहिनी, रायपुर/9वीं बटा0दन्तेवाड़ा, 10वीं बटा0सरगुज, 11वीं बटा0जांजगीर एवं नव गठित 12वीं एवं 13वीं भारत रक्षित वाहिनियों एवं सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज कांकेर में मेडिकल स्टाफ न होने से यहां के जवानों एवं उनके परिवार को चिकित्सा सुविधाएं नहीं होने कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः इन इकाईयों को भी प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराया जाना नितांत आवश्यक है।

19- कल्याणकारी गतिविधियां :-

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल वाहिनियों में पदस्थ जवानों एवं उनके परिवार की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से वाहिनी स्तर पर अशासकीय कल्याण निधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी गतिविधियां क्रमशः जनरल केंटीन, टी-केंटीन, ग्रेनशॉप, एस0टी0डी0/पी0सी0ओ0, आटा-मशाला चक्की, सुपर बाजार, सब्जी शॉप, गैस ऐजेंसी, पेट्रोल

पम्प, कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेंट्र्र एवं कर्मचारी कल्याण मर्यादित समिति इत्यादि संचालित की गई है, जिसमें जवानों और उनके परिवार को सस्ते एवं उचित दर पर अच्छी खाद्य एवं घरेलू दैनिक उपयोग सामग्रियों, कपड़े, गैस, पेट्रोल व अन्य उपयोगी वस्तुऐं, सब्जियॉ आदि उपलब्ध करायी जाती है। कर्मचारी कल्याण मर्यादित समिति के अंतर्गत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनके आवश्यकतानुसार विभिन्न कारणों से कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाकर उनके बच्चों की शादी व गंभीर बीमारी जैसी समस्याओं को समाधान कराया जाता है, जिसमें जवानों को बचत की भावना हो, आर0डी0जमा एवं म्यादी फिक्स डिपॉजिट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है, जिनमें उचित ब्याज राशि के साथ समयाधि पूर्ण होने पर मूलधन के साथ भुगतान करायी जाती है। इसके अंतर्गत इस संस्था में कार्य करने वाले शासकीय कर्मचारी को समिति द्वारा निर्धारित कार्य परिश्रमिक राशि स्वीकृत कर संबंधित कार्यरत कर्मचारी को भुगतान की जाती है तथा इस प्रत्येक वर्ष आडिट कलेक्टर के अधीनस्थ पंजीयन अधिकारी द्वारा अपने निर्देशन में कराया जाता है।

इसी प्रकार से जवानों को गैस एवं पेट्रोल, कम्प्यूटर सेंटर, महिला कल्याण केन्द्र, स्कूल इत्यादि से उचित मूल्य पर आवश्यक गैस, पेट्रोल उपलब्ध कराया जाता है जवानों के बच्चों को कम दर पर मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर प्रशि0 दिलाया जाता है, इसी प्रकार बच्चों के अध्ययन हेतु स्कूल उपलब्ध कराया गया है, उक्त संचालित की गई कल्याणकारी गतिविधियों में वाहिनी से सेवा निवृत कर्मचारी एवं उनके बेरोजगार बच्चों को निर्धारित कर कार्य सौपा जाकर उन्हें सुरोजगार के अवसर प्रदान कराये जाते है।

---::---

विभागीय वार्षिक प्रतिवदेन 2005-06

पुलिस दूरसंचार

01-प्रमुख दायित्व

(अ) प्रदेश के प्रत्येक पुलिस इकाइयों के बीच आपस में संचार व्यवस्था स्थापित/कायम रखने के उद्देश्य से आवश्यक वायरलेस उपकरण/सहसामग्री क्रय कर संधारण एवं संचालन।

(ब) प्रदेश के अंतर्गत राज्य मुख्यालय से संभागीय, संभागीय मुख्यालय से जिला एवं जिला मुख्यालय से अधीनस्थ थाना/चौकी स्तर पर एच.एफ. व्ही.एच.एफ. एवं पेालनेट का कार्य संचालन।

(स) पुलिस दूरसंचार से संबंधित विभिन्न विषयों पर राज्य की ओर से केन्द्रीय शासन एवं अन्य राज्य सरकारों से समन्वय रखना।

(द) पुलिस दूरसंचार शाखा के स्वीकृत 935 पदों के विरूद्ध 633 अधि./कर्म. के स्थापना एवं प्रबंधन संबंधित कार्यवाही संपादित करना।

02-विभागीय संरचना

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस महानिरीक्षक की देखरेख में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (दूसं) राज्य पुलिस दूरसंचार प्रमुख का पद स्वीकृत है इनके अधीनस्थ निम्नलिखित 3 पुलिस दूरसंचार इकाईयों राज्य में संचालित है।

(अ) पुलिस दूरसंचार मुख्यालय भिलाई :-सहायक पुलिस महानिरीक्षक (दूसं) राज्य दूरसंचार प्रमुख के साथ-साथ मुख्यालय इकाई प्रमुख भी है जिन्हें आहरण/संवितरण का अधिकार प्रदान किया गया है। इनके अधीनस्त स्वीकृत पद 65 के विरूद्ध 35 अधिकारीं/कर्मचारी मुख्यालय में पदस्थ हैं। कुछ अधिकारी/ कर्मचारी मुख्यालय से वाहर जोन भिलाई के अंतर्गत भिलाई, रायपुर एवं जगदलपुर में कार्यरत हैं। उप पुलिस अधीक्षक(दूसं) का पद रिक्त है। अनुसचिवीय बल की स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

(ब) पुलिस दूरसंचार जोन भिलाई- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी जिन्हें पुलिस अधीक्षक(दूसं) का दर्जा प्राप्त है इकाई प्रमुख के रूप में पदस्थ है उनके अधीनस्थ संभाग स्तर पर उप पुलिस अधीक्षक(दूसं), जिला स्तर पद निरीक्षक(दूसं) तथा उप निरीक्षक(दूसं) के पद प्रभारी के रूप सृजित किये गये हैं।

(स) पुलिस दूरसंचार जोन बिलासपुर- पुलिस अधीक्षक (दूसं) का दर्जा प्राप्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इकाई प्रमुख के रूप में पदस्थ किए गए है। इनके अधीनस्थ संभागीय स्तर पर उप पुलिस अधीक्षक (दूसं.), जिला स्तर पर निरीक्षक(दूसं.),/उप निरीक्षक(दूसं.), प्रभारी के रूप में सृजित किए गए है।

03-संवर्गीय स्थिति

कार्य-कलाप

संचार व्यवस्था :- राज्य के अंतर्गत राज्य मुख्यालय से संभागीय, संभागीय मुख्यालयों से जिला एवं जिला मुख्यालय से अधीनस्थ थाना/चौकी/समस्त सीएएफ पोस्टों इत्यादि पर एचएफ, व्हीएचएफ एवं चौदह जिला मुख्यालयों में व्ही-सेट के माध्यम् से संचार सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य एवं जिला मुख्यालय स्तर पर सीटी कंट्रोल स्थापित कर स्थानीय थाना/चौकी एवं चलित दूरसंचार स्टेशनों से सीधा संचार की व्यवस्था है। राज्य के अंतर्गत दूरसंचार स्टेशनों की स्थिति निम्नानुसार है :-

एच.एफ. स्टेशन	-	78
व्ही.एचएफ स्टेशन	-	498

मोबाईल स्टेशन	-	1637
पोलनेट(व्ही-सेट) स्टेशन	-	14

राज्य के अंतर्गत जिन दूरस्थ थानों का सीधा संपर्क जिला मुख्यालय से नही होता था रिपीटर के माध्यम् से सीधा संपर्क कराया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संदेशों की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए स्क्रैम्बलर सेटों का उपयोग किया जा रहा है।

राज्य के पड़ोसी राज्यों आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं झारखण्ड के सीमावर्ती थानों से एचएफ/व्हीएचएफ के माध्यम् से अंर्तराज्यीय संचार व्यवस्था कायम की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य में दूरसंचार सेटों की स्थिति निम्नानुसार हैः-

एचएफ सेट 100 वाट	-	162
व्हीएचएफ सेट 25 वाट	-	2194
व्हीएचएफ सेट 2/5 वाट(मेनपेक)	-	2368
पोलनेट(व्ही-सेट)	-	14

उपग्रह संचार व्यवस्था :- पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत राज्य के 14 जिला मुख्यालयों में व्ही-सेट स्थापित किया जाकर संचार व्यवस्था स्थापित की गई है। जिसके अंतर्गत जिला मुख्यालय का सीधे थानों से संचार संपर्क स्थापित करने हेतु 276 थानो में मार्ट स्थापित किया जाना है। वर्तमान में शासन द्वारा 201 थानों में मार्ट स्थापना हेतु सहसामग्रियॉ टॉवर 120 फीट-19 नग, 60 फीट-201 नग, सेकण्डरी बैट्री 12 वोल्ट 80 एएचसी-267 नग क्रय करने की आबंटन/स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उपरोक्त सामग्रियॉ के क्रय करने की प्रक्रिया जारी है।

उपलब्धियॉ

1. राज्य के पुलिस दूरसंचार के कर्मचारियों को पदोन्नति प्रक्रिया के अंतर्गत 49 प्रआर(दूसं.) को सउनि(दूसं.) के पद पर एवं 129 आर (दूसं) को प्रआर (दूसं) पद पर पदोन्नति दी गई है। शेष पदों के पदोन्नति के लिए प्रक्रिया प्रगति पर है।
2. आधुनिकीकरण योजना 2004-05 के अंतर्गत राशि रूपये 1,49,99,000/- से दूरसंचार सामग्री/उपकरण व्हीएचएफ 25 वाट सेट (हायरबेण्ड)-400 नग, व्हीएचएफ 1/5 वाट मेनपेक सेट(हायरबेण्ड)-553 नग, एचएफ 100 वाट सेट-12 नग क्रय करके सभी जिलों को वितरित किए गए है।
3. इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य की संचार व्यवस्था के उन्नयन हेतु नक्सल प्रभावित जिले एवं अन्य जिलों में आधुनिकीकरण योजना 2004-05 के अंतर्गत 10 नग टॉवर, 120 फीट के स्थापन का कार्य प्रगति पर है।
4. अतिसंवेदनशील थानों में एचएफ सेट प्रदाय कर जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क स्थापित कराया गया है।
5. विभिन्न स्थानों पर रिपीटर की स्थापना कर सीधा संपर्क बनाया गया है।
6. पोलनेट योजना के अंतर्गत संचार संपर्क हेतु 14 जिला मुख्यालयों में व्ही-सेट स्थापित किए गए है। जिसके माध्यम् से छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य के बाहर जहॉ-जहॉ व्ही-सेट स्थापित है, उन स्थानों से सीधे संचार स्थापित किया जा सकता है।
7. वर्ष 2006 में राज्य के बाहर सीपीआरटीआई गाजियाबाद एवं नई दिल्ली तकनीशियन ग्रेड-ए, ग्रेड-प्प, आपरेटर ग्रेड ए, ग्रेड-प, ग्रेड-प्प साइफर ग्रेड-प, ग्रेड-प्प, व्हीएचएफ/यूएचएफ, एफपीसी, पीडब्ल्यूसीसी एवं ईएफसी कोर्स कुल 43 अधि./कर्मचारियों को कराया गया है।
8. राज्य के अंदर पीटीएस राजनांदगांव में कुल 63 नव आरक्षक दूरसंचार को बुनयादी पुलिस प्रशिक्षण एवं पीटीएस माना में कुल 161 प्रआर /आरक्षक(दूसं) को पीपी कोर्स कराया गया है।

समस्याएँ

1. पुलिस दूरसंचार मुख्यालय के लिए अनुसचिवीय बल की स्वीकृति प्राप्त नही है। अतः राज्य स्तरीय कार्य संपादन में अनेक कठिनाईयॉ उत्पन्न हो रही है।

2. पुलिस दूर संचार मुख्यालय के लिए कोई मध्यम्/हल्के वाहन आबंटित नही है। कम से कम एक मीडियम/हल्का वाहन प्रदाय किया जाना आवश्यक है।

3. राज्य में पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण शाला न हो सकने से राज्य से बाहर नई दिल्ली से अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराया जा रहा है।

---::---

dk;ky; ifyl v/kh{kd jy jk;ij N-x-

:: विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष – 2006 ::

प्रमुख दायित्वः– शासकीय रेल पुलिस रायपुर का क्षेत्राधिकार दक्षिण पूर्वी मध्य रेल्वे बिलासपुर के तीन संभागों में स्थित है।

1/ बिलासपुर रेल संभाग, द0पू0मध्य रेल
2/ नागपुर रेल संभाग, द0पू0मध्य रेल
3/ रायपुर रेल संभाग, द0पू0मध्य रेल

वर्तमान में बिलासपुर में दक्षिण पूर्वी मध्य रेल जोन एवं रायपुर में रेल मंडल कार्य कर रहे है । इसके अंतर्गत 1212 कि0मी0 रेल्वे लाइन एवं 129 रेल्वे स्टेशन है, जो प्रदेश के 13 जिलों से गुजरती है ।

जी0आर0पी सेक्शन रायपुर

इस सेक्शन का मुख्यालय रायपुर में स्थित है । इस सेक्शन के अंतर्गत 5 थाने और एक रिजर्व लाइन व 2 चौकी स्वीकृत है जो निम्नानुसार है –

1/ रिजर्व लाइन जीआरपी रायपुर
2/ थाना जीआरपी रायपुर
3/ थाना जीआरपी बिलासपुर
4/ थाना जीआरपी रायगढ़
5/ थाना जीआरपी डोंगरगढ़
6/ थाना जीआरपी भिलाई
7/ चौकी जीआरपी बालोद
8/ चौकी जीआरपी राजनांदगांव

इसके अतिरिक्त निम्न जीआरपी चौकियां अपराध नियंत्रण एवं कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यरत है, जिनकी स्वीकृति शासन से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है इन्हे शासन से स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है ।

1/ चौकी जीआरपी दुर्ग
2/ चौकी जीआरपी पेन्ड्रारोड
3/ चौकी जीआरपी चांपा
4/ चौकी जीआरपी चरोदा
5/ चौकी जीआरपी भाटापारा

उपरोक्त चौकियों में दुर्ग चौकी अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसे थाने में परिवर्तित करना आवश्यक है । दुर्ग जिला मुख्यालय है तथा भिलाई स्टील प्लांट का औद्योगिक क्षेत्र है । सभी महत्वपूर्ण ट्रेने यहां रूकती है एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों का आवागमन दुर्ग में होता रहता है । दुर्ग चौकी भी भिलाई थाना के अंतर्गत आता है । भिलाई रेल्वे स्टेशन पर ट्रेने बहुत कम रूकती है । जनसंख्या वृद्धि यात्रियों की भीड़ भाड़ आदि को देखते हुए कानून व्यवस्था की दृष्टि से चौकी दुर्ग थाना में परिवर्तित करने की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र क्र0 पुअरे/राय/एसी–1/पी/246/2001 दिनांक 22.03.2001 तथा पुअरे/राय/एसी–1/ पी/572–ए/02 दिनांक 18.06. 2002 द्वारा पुलिस मुख्यालय को भेजा गया है । पुलिस मुख्यालय द्वारा पत्र क्रमांक पुमु/खण्ड–9/यो/418/03 दिनांक

11.02.03 द्वारा सचिव छ0ग0 शासन गृह {पुलिस} विभाग रायपुर को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। शासन के पास विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त ट्रेनों की बढ़ती संख्या एवं यात्रियों के बढते हुए आवागमन को देखते हुए कानून व्यवस्था एवं अपराध की रोकथाम हेतु निम्न जीआरपी थाना एवं जीआरपी चौकी स्थापित किया जाना तत्काल प्रभाव से आवश्यक है । नये थाना की स्थापना पर केवल 50 प्रतिशत व्यय भार होगा । क्योंकि 50 प्रतिशत व्यय भार रेल प्रशासन वहन करता है ।

1/ थाना जीआरपी दुर्ग
2/ थाना जीआरपी महासमुंद
3/ थाना जीआरपी कोरबा
4/ थाना जीआरपी मनेन्द्रगढ़
5/ चौकी जीआरपी विश्रामपुर
6/ चौकी जीआरपी चांपा
7/ थाना जीआरपी जगदलपुर
8/ थाना जीआरपी किरंदुल
9/ थाना जीआरपी अंबिकापुर

इस संबंध में प्रस्ताव इस कार्यालय का पत्र क्र0 पुअरे/राय/ एसी-1/पी/246/2001 दिनांक 22.03. 2001 एवं पुअरे/राय/एसी-1/ पी/517/2001 दिनांक 19.07.2001 तथा पुअरे/राय/एसी/पी/860-ए एवं 861-ए/02 दिनांक 11.10.2002 एवं पत्र क्रमांक पुअरेल/राय/एसी-1/पी/921ए/06 दिनांक 06.10.06 तथा पत्र क्रमांक पुअरेल/राय/एसी-2/पी/1349/06 दिनांक 21.12.06 के द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन है ।

थाना जी0आर0पी0 महासमुंद, कोरबा, चांपा, मनेन्द्रगढ़, जगदलपुर एवं किरन्दुल का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय द्वारा क्रमशः पत्र क्रमांक पुमु/खण्ड-9/यो/417/03 दिनांक 11.02.03 , पुमु/खण्ड-9/यो/202/03 दिनांक 24.10.03, पुमु/खण्ड-9/यो/146/06 दिनांक 15.01.06 , पुमु/खण्ड-9/यो/1009/06 दिनांक 08.11.06 तथा पुमु/खण्ड-9/यो/1043/06 दिनांक 29.11.06 द्वारा सचिव छ0ग0 शासन गृह {पुलिस} विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन है।

<u>विभागीय संरचना</u> :

शासकीय रेल पुलिस सेक्शन रायपुर के थाने की कार्यप्रणाली :-

1. शासकीय रेल पुलिस थाना रायपुरः- थाना रायपुर छ0ग0 का राजधानी का थाना होने से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अति विशिष्ट व्यक्तियों का आना जाना तथा राजधानी होने से देश के प्रत्येग भाग में आने जाने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। यात्रियों एवं रेल संपत्ति की सुरक्षा थाने का मुख्य कार्य है। यात्री एवं माल गाडियों की वृद्धि के साथ साथ अपराधिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। इनके नियंत्रण हेतु पाईंट एवं बीट सिस्टम के द्वारा तथा सूचना संकलन के द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है। थाना रायपुर में रेल्वे प्लेटफार्म वेटिंग हाल और बुकिंग आफिस को बीट सिस्टम में बाटा गया है । इसके अंतर्गत पाईंट ड्येटी शिफट के अनुसार लगाई जाती है। पार्किंग की व्यवस्था की गई है। भादवि के अपराधों का अन्वेषण अपराधों की रोकथाम की जा रही है।

2. शासकीय रेल पुलिस थाना बिलासपुरः- थाना बिलासपुर में रेल्वे प्लेटफार्म, मुसाफिर खाना और बुकिंग आफिस बीट सिस्टम में बाटा गया है । प्लेटफार्म 1,3 एवं 4 में पुलिस सहायता केन्द्र खोला गया है । अवश्यकता अनुसार पेट्रोलिंग चलायी जा रही है । चौकी चांपा एवं पेन्ड्रारोड भी थाना बिलासपुर के अंतर्गत ही कार्यरत है । चांपा से गेवरा

रोड तथा बिलासपुर से हिर्री एवं बोरीडाड से विश्रामपुर तक जीआरपी की कोई पुलिस थाना एवं चौकी नहीं होने से अपराध नियंत्रण में काफी दिक्कत आ रही है ।

बिलासपुर शहर में रेल्वे जोन बनने से तथा नये राज्य के गठन के बाद बिलासपुर का विस्तार द्रूतगति से हो रहा है। यहॉ माननीय उच्च न्यायालय है अतः अति विशिष्ट लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसी के अनुरूप यात्रियों की सुरक्षा व रेल्वे संपत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

3. शासकीय रेल पुलिस थाना रायगढ़ः- थाना रायगढ़ में ट्रेनों का मुख्यतः प्लेटफार्म नं.1,2 एवं 3 पर आवागमन होता है । प्लेटफार्म मुसाफिर खाना बुकिंग आफिस में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है । उड़ीसा, बिहार प्रान्त का सीमा का थाना होने से यह थाना अतिमहत्वपूर्ण है । उड़ीसा प्रान्त की सीमा में चोरी आदि के अपराध घटित होते हैं । जहरखुरानी, लूट डकैती को रोकने हेतु यह थाना अहम रोल अदा कर सकता है ।

4. शासकीय रेल पुलिस थाना भिलाईः- थाना भिलाई प्लेटफार्म नं.1 पर स्थित है । रेल्वे स्टेशन पर केवल लोकल ट्रेन ही रूकती है । इस थाने के अंतर्गत चौकी रेल पुलिस दुर्ग, बालोद एवं चरोदा महत्वपूर्ण चौकियां है । थाना से ज्यादा महत्वपूर्ण जिला दुर्ग है । दुर्ग में बीट ड्यूटी मुसाफिर खाना, बुकिंग आफिस एवं प्लेटफार्म पर ड्यूटी लगायी जाती है। भिलाई पावर हाउस एवं दुर्ग रेल्वे स्टेशन काफी महत्वपूर्ण है । करीब-करीब सभी गाड़ियां यहां रूकती है ।

5. शासकीय रेल पुलिस थाना डोंगरगढ़ः- थाना डोंगरगढ़ प्लेटफार्म नं.1 पर स्थित है । प्लेटफार्म मुसाफिर खाना बुकिंग आफिस में बीट ड्यूटी लागू है । यह थाना महाराष्ट्र प्रान्त की सीमा होने से महत्वपूर्ण है । यहां वर्ष में दो बार मां बम्लेश्वरी देवी का मेला लगता है । जिस कारण ट्रेनों में यात्रियों की भीड-भाड़ अधिक होती है । जिला राजनांदगांव एवं समीपस्थ जिला गोदिंया महाराष्ट्र का नक्सली प्रभावित जिला होने से यह संवेदनशील क्षेत्र है । कानून व्यवस्था की स्थिति मे अतिरिक्त बल रायपुर से भेजा जाता है। इस थाने के अंतर्गत चौकी राजनांदगांव महत्वपूर्ण चौकी है । यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। समय समय पर आर0पी0एफ0, जिला पुलिस बल एवं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ गस्त व पेट्रोलिंग की जाती है।

विभागीय निरीक्षक रेल रायपुर के क्षेत्राधिकार में शासकीय रेल पुलिस थाना रायपुर, भिलाई एवं डोंगरगढ़ का पर्यवेक्षण किया जाता है । एवं इसी तरह विभागीय निरीक्षक रेल बिलासपुर कें क्षेत्राधिकार में शासकीय रेल पुलिस थाना बिलासपुर, एवं रायगढ़ का पर्यवेक्षण किया जाता है ।

संवर्गीय स्थितिः- शासकीय रेल पुलिस सेक्शन रायपुर का स्वीकृत बल, उपलब्ध बल एवं रिक्त बल :-

	पुअ	उपुअ	वि0नि0	सूबे	उनि	सउनि	प्रआर0	आर0
स्वीकृत बल	01	01	02	02	12	23	78	359
उपलब्ध बल	01	01	01	-	08	19	70	348
रिक्त बल	-	-	01	02	04	04	08	11

टीपः एक सूबेदार का पद दिनांक 19.07.1996 एवं 01 पद 11/06 से रिक्त है ।
उप निरीक्षक के 04 पद एवं सउनि के 04 पद रिक्त है ।
प्रधान आरक्षक के 08 पद एवं आरक्षक के 11 पद रिक्त है ।

रेल विशेष शाखा,डीसीबी, डीसीआरबी एवं एमओबी की स्वीकृत बल,उपलब्ध बल एवं रिक्त बल की जानकारी

विवरण	निरीक्षक	उप निरी0	सउनि	प्रआर0	सउनि(अ)	आरक्षक(अर्दली)
रेल विशेष शाखा						
स्वीकृत बल	01	03	02	01	02	01
उपलब्ध बल	–	01	–	02	–	02
रिक्त बल	01	02	02	–	02	–
टीप :- 01 प्र0 आर0 एवं 01 आरक्षक संख्याधिक है ।						
डी0सी0बी0 शाखा						
स्वीकृत बल	–	01	–	01	–	–
उपलब्ध बल	–	–	–	01	–	–
रिक्त बल	–	01	–	–	–	–
डीसीआरबी शाखा						
स्वीकृत बल	–	01	–	02	–	–
उपलब्ध बल	–	–	–	02	–	–
रिक्त बल	–	01	–	–	–	–
एमओबी शाखा						
स्वीकृत बल	–	–	01	01	–	–
उपलब्ध बल	–	–	–	01	–	–
रिक्त बल	–	–	01	–	–	–

शासकीय रेल पुलिस सेक्शन रायपुर के अनुसचवीय बल की जानकारी

विवरण	सूबे(अ) मु0लि0	सूबे(अ) आंकिक	सूबे (अ) स्टेनो	उनि (अ) उवलि	सउनि(अ) निवलि	प्रआर(अ) दफतरी	बालआरक्षक
स्वीकृत बल	01	02	01	03	08	01	06
उपलब्ध बल	01	01	–	03	07	01	05
रिक्त बल	–	01	01	–	01	–	01

शासकीय रेल पुलिस सेक्शन रायपुर की उपलब्धता एवं आवश्यकता :-

दूरसंचार :-

इस सेक्शन के अंतर्गत निम्न स्थानों पर दूरभाष उपलब्ध है ।

1/ कार्यालय रेल पुलिस रायपुर एवं पुलिस अधीक्षक रेल के निवास में दूरभाष उपलब्ध है ।

2/ जीआरपी सेक्शन रायपुर के अंतर्गत जीआरपी थाना रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, डोंगरगढ़, एवं अस्थायी चौकी दुर्ग तथा रिजर्व लाईन में दूरभाष उपलब्ध है ।

दूरभाष की आवश्यकता :-

इस सेक्शन के अंतर्गत निम्न स्थानों पर दूरभाष उपलब्ध नहीं है जिनकी आवश्यकता है ।

1/ उप पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर के कार्यालय हेतु ।

2/ विभागीय निरीक्षक रेल रायपुर एवं बिलासपुर के कार्यालय हेतु ।

3/ कंट्रोल रूम जीआरपी रायपुर एवं थाना भिलाई हेतु ।

4/ स्वीकृत चौकी बालोद हेतु एवं अस्थायी चौकी रेल पुलिस चांपा, चरौदा, पेन्ड्रारोड हेतु ।

प्रशासनिक समस्याएंः-

1/ प्रशासनिक भवन कार्यालय :-

कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर का कार्यालय भवन जयस्तंभ चौक रायपुर में स्थित था जिसे रायपुर नगर के समन्वित विकास के संबंध में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा ली गई बैठक दिनांक 18 जनवरी 2006 का कार्यवाही विवरण में '' बिन्दु क्रमांक 8 '' जयस्तंभ चौक विस्तार पुलिस अधीक्षक रेल्वे कार्यालय को नगर निगम द्वारा किराये का भवन उपलब्ध कराकर शिफट किया जाय । उनके नये भवन हेतु राज्य शासन की भूमि रेल्वे स्टेशन परिसर में उपलब्ध कराई जाय । नये भवन का निर्माण नगर निगम द्वारा किया जावें।'' उक्त आदेश के पालन में कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेल को दिनांक 07.09.2006 को रिक्त किया जाकर अनुपम नगर स्थित किराये का भवन क्रमांक आर/12 में शिफट कर दिया गया है। जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक पुअरेल/राय/एसी-1/एम/1842/06 दिनांक 23.09.06 द्वारा प्रेषित की गई है।

रेल पुलिस अधीक्षक के कार्यालय हेतु भूमि पूर्व में स्थित ए0जे0के0 थाना कार्यालय जो कि रेल्वे स्टेशन के समीप है तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के अधिपत्य में है को उपलब्ध कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर से चर्चा किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर ने अपने पत्र क्रमांक उमनि/वपुअ/राय/एसी-1/आर/6658/06 दिनांक 23.11.06 के द्वारा उक्त भवन के स्थान पर यदि पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर कार्यालय निर्मित किया जाता है तो किसी प्रकार की आपत्ति नही है किन्तु भूमि स्वमित्व व आधिपत्य पुलिस जिला रायपुर का होगा से सूचित किया गया था। अनापत्ति प्राप्त होने से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक पुअरेल/एसी-1/पी/1287/06 दिनांक 06.12.06 द्वारा पुलिस

महानिरीक्षक {यो/प्र} पुमु रायपुर को उपरोक्तानुसार पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर की अनुशंसा एवं अनापत्ति सलंग्न के आधार पर नये रेल पुलिस अधीक्षक के कार्यालय हेतु उक्त भूमि अनुमोदन स्वीकृति प्रदाय हेतु पत्र प्रेषित किया गया ताकि प्राक्कलन तैयार कर नगर निगम रायपुर से छ0ग0 शासन नगरीय निकाय के कंडिका 8 के अनुसार एक मुश्त राशि प्राप्त कर नये रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके।

पुलिस महानिदेशक रायपुर के पत्र क्रमांक पुमु/खण्ड-9/भवन/7266/06 दिनांक 30.12.06 के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा प्रशनाधीन भूमि पर पुलिस अधीक्षक रेल के नवीन कार्यालय भवन निर्माण हेतु अनापत्ति देते हुए दी गई अनुशंसा के आधार पर उक्त थाना भवन की भूमि इस इकाई को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उपरोक्तानुसार भूमि हस्तांतरित होने के आदेश प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक पुअरेल/राय/एसी-1/एम/29/07 दिनांक 05.01.07 द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, संभाग-1, रायपुर को रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय नवीन भवन निर्माण हेतु प्राक्कलन प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने पर नगर निगम रायपुर से प्राक्कलन अनुसार राशि आबंटन प्रदाय हेतु कार्यवाही की जावेगी ताकि कार्यालय रेल पुलिस अधीक्षक का नया भवन निर्माण हेतु शीघ्र कार्यवाही की जा सके।

2/ बैरक का निर्माण :-

पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो जाने से रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी बन गई जिस कारण रेल्वे स्टेशन में कानून व्यवस्था के लिए अतिरिक्त बल की सदैव आवश्यकता रहती है । अतः रेल्वे क्षेत्र में तथा रेल्वे पुलिस थाने पर अतिरिक्त बल की आवश्यकता पड़ती है । जिन्हें ठहराने की कोई सुविधा न होने से यहां दो बैरक का होना अत्यंत आवश्यक है ताकि कम से कम 100 पुलिस कर्मचारियों के ठहरने की सुविधा हो सके ।

रेल्वे पुलिस थाना बिलासपुर में दो बैरक, रेल पुलिस थाना रायगढ़ में 01, दुर्ग में 01 तथा डोंगरगढ़ में 01 बैरक निर्माण करने की आवश्यकता है ।

शस्त्रागार :-

जीआरपी सेक्शन रायपुर का शस्त्रागार वर्तमान में जिला पुलिस रायपुर के शस्त्रागार के साथ ही जिला पुलिस लाईन में रखा गया है । जीआरपी लाईन रायपुर में शस्त्रागार उपलब्ध न होने से कभी कभी कानून व्यवस्था में कर्मचारियों की ड्यूटी में शस्त्र की आवश्यकता पड़ने पर जिला पुलिस लाईन से शस्त्र लाने में समय अधिक लगता है । अतः जीआरपी लाईन रायपुर में शस्त्रागार का निर्माण किया जाना आवश्यक है ।

आवास की समस्या :-

रायपुर रेल मंडल स्थापना एवं रायपुर राजधानी होने से पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर के आवास गृह हेतु रेल्वे पूल में निवास हेतु आवास गृह देने का प्रस्ताव रखा जावे इस हेतु रेल विभाग को लिखा जाना उचित होगा ।

जीआरपी थाना, चौकी में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को थाना के अंतर्गत 100 प्रतिशत रेल्वे आवास गृह उपलब्ध कराये जाना आवश्यक है । जिसमें 30 प्रतिशत छड़े कर्मचारियों के लिए एवं 70 प्रतिशत फेमिली कर्मचारियों के लिए आबंटन का प्रावधान रेल्वे प्रशासन द्वारा रखा जाने से समस्या का समाधान हो सकेगा ।

शासकीय रेल पुलिस सेक्शन रायपुर के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियां :-

शासकीय रेल पुलिस रायपुर के अधिन संपूर्ण छ0ग0 राज्य का क्षेत्र आता है। छ0ग0 राज्य बनने के बाद तथा बिलासपुर में रेल्वे जोन एवं रायपुर में रेल मण्डल बनने से यात्री गडियों की संख्या में वृद्धि हुई है। नये राज्य में विकास की अत्यधिक संभावना के कारण पूरे देश के हर भाग से लोगों का आना जाना अधिक हुआ है। रेल्वे का कुछ भाग औद्योगिक है जैसे भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर कुछ भाग नगरी है जैसे बिलासपुर रायपुर तथा कुछ भाग नक्सली गतिविधियों से प्रभावित है जैसे बालोद, राजनांदगांव, डोंगरगढ़। इन्ही विशिष्टताओं के आधार पर पुलिस अधिक्षक रेल रायपुर के अधीन आने वाले थानों के कार्य के स्वरूप का निर्धारण कर कार्य सम्पादित किया जाता है। उपरोक्त कारणों से अपराधिक गतिविधियों की बढने की संभावनाएं अतिकतम है इन्हे नियंत्रित करने हेतु उपरोक्त सीमित साधनों से अधिकतम एवं प्रभावशाली रूप में अपराधों की रोकथाम एवं अनुसंधान की कार्यवाही की जा रही है। आवागमन के अनुपात तथा यात्री व माल गाडी की वृद्धि के अनुरूप बल की तथा कार्यरत बल को मिलने वाली सुविधाओं की कमी है । बल की वृद्धि तथा बल के लिए चिकित्सा एवं आवास की सुविधा हेतु रेल प्रशासन भारत सरकार की सहमति आवश्यक होती है। बल वृद्धि, थाना वृद्धि हेतु प्रतिवेदन में दर्शायेअनुसार अनेक प्रस्ताव भेजे गये है। वर्तमान समय में नयी तकनिकी सुविधाओं के कारण मोबाईल, लेपटोप एवं अन्य इलक्ट्रोनिक सामानों की चोरी की रिपोर्ट अधिक आती है। रेल्वे आवागमन का महत्वपूर्ण साधन होने से इस में हर प्रकार के अपराध से जुडे लोग जिनमें नक्सली, उग्रवादी तथा आतंकवादी भी हो सकते है, के आवागमन से इनकार नही किया जा सकता है।

आने वाले समय में ऐसे अपराधिक तत्वों से मुकाबले की दृष्टि से नये संसाधन, अत्याधुनिक शस्त्र, बम निरोधक दस्ता का प्रशिक्षित दल एवं पूर्ण प्रशिक्षित एक कंपनी का होना आवश्यक है।

इसके समाधान हेतु रेल्वे में पदस्थ बल जिसके जवानों की उम्र न्यूनतम 40 वर्ष हो गई है तथा अतिकतम 55 वर्ष के उपर के कर्मचारी अधिकारी पदस्थ है। उनका स्थानांतरण जिला पुलिस बल में कर कम से कम एक चौथाई पदों में नयी भर्ती के कर्मचारी/अधिकारियों की आवश्यकता है जिससे की रेल्वे पुलिस के पास भी नये कम उम्र के जवानों का समावेश कर दायित्वों का निर्वाह प्रभावशाली ढंग से किया जा सके।

शासकीय रेल पुलिस सेक्शन रायपुर के वर्ष 2003, 2004 एवं 2005 के त्रिवर्षीय आपराधिक आंकडें इस प्रकार है :-

भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत घटित अपराधों का त्रिवर्षीय तुलनात्मक विवरण

क्र0	अपराध शीर्ष	भा.द.वि. की धारायें	2004	2005	2006
01	हत्या	302	02	05	04
02	हत्या का प्रयास	307	05	05	01
03	अपराधिक मानव वध	304	02	-	-
04	बलात्कार	376	02	02	01
05	अपहरण व्यपहरण	360 से 373	02	01	-
06	डकैती	395,396,397,398,400	-	-	01
07	डकैती की तैयारी एवं जमाव	399, 402	-	-	-
08	लूट	392 से 394	05	06	06
09	नकबजनी	454,457,380,461	08	11	09
10	चोरी (समस्त प्रकार की)	379 से 381	223	238	230
11	बलवा	147 से 151	03	05	01
12	खयानत	406 से 409	-	-	01
13	धोखाधड़ी	420	04	01	-
14	जाली नोट	489 क से ड़	-	02	-
15	आगजनी	435, 436	-	01	-
16	चोट	323 से 326	14	17	19
17	दहेज मृत्यु	304 बी	-	02	-
18	शीलभंग	354	02	06	03
19	यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़	509	-	-	02
20	पति एवं उसके रिश्तेदार द्वारा प्रताड़ना	498ए	01	02	03
21	लड़कियो का आयात	372, 373	-	-	-
22	उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु	304 ए	01	02	01
23	अन्य भादवि		77	79	104
योग			**351**	**385**	**386**

शासकीय रेल पुलिस सेक्शन रायपुर के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरण जो पते में आये महत्वपूर्ण प्रकरण वर्ष 2006 :-

1} थाना रेल पुलिस डोंगरगढ़ अपराध क्रमांक 02/06 धारा 379 भा0द0वि0

दिनांक घटना 11.01.06 को प्रार्थी एम0जी0 मेहत्ता आ0 श्री धनश्याम भाई ने ट्रेन 8403 अप में बराहपुर से बडोदरा के लिए सफर कर रहा था कि अज्ञात चोर द्वारा सूटकेस, सी0डी0 प्लेयर नगदी 7000/- जुमला 15000/- चोरी कर ले गया। प्रार्थी के आवेदन पर अपराध कायम कर विवचना में लिया गया। विवचना के दौरान अपराधी नसीम आ0 मो0 इसराईल को गिरफतार कर मशरूका 15000/- जप्त कर वाजाप्ता सुमार किया गया। अपराधी के विरूद्ध चालान तैयार कर न्यायालय पेश किया गया।

.....

2} थाना रेल पुलिस रायपुर अपराध क्रमांक 04/06 धारा 20 नार0एक्ट0

दिनांक घटना 13.01.06 को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की एक आदमी अवैध गांजा भेजने लाया है। जो ओव्हर ब्रिज प्लेटफार्म नं0 2,3 पर बैठा है। सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजी गई। गवाह एवं स्टाफ के मौके पर पहुॅचकर संदेही शंतनु विराडे पिता काशनू विराडे उम्र 30 वर्ष सा0 कामता, थाना उदयगिरी, जिला गजपति, उडीसा मिला। पूछताछ करने पर बैग में गांजा होना बताया। धारा 50 नार0एक्ट के तहत् सहमति लेकर तलाशी लेने पर बैग में गांजा मिला। थौलाने पर 08 कि0ग्रा0 गांजा, किमती 24000/- मिला। सैंपल तैयार कर गांजा जप्त कर अपराध कायम कर आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध चालान तैयार कर न्यायालय पेश किया गया।

.....

3} थाना रेल पुलिस रायपुर अपराध क्रमांक 05/06 धारा 20 नार0एक्ट0

दिनांक घटना 13.01.06 को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की एक आदमी अवैध गांजा भेजने लाया है। जो ओव्हर ब्रिज प्लेटफार्म नं0 2,3 पर बैठा है। सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजी गई। गवाह एवं स्टाफ के मौके पर पहुॅचकर संदेही सुरेश पण्डा पिता कृष्णचंद पण्डा, उम्र 25 वर्ष सा0 नरेन्द्र नगर, थाना फोर्थ टाउण, जिला विशाखापट्नम मिला। पूछताछ करने पर बैग में गांजा होना बताया। धारा 50 नार0एक्ट के तहत् सहमति लेकर तलाशी लेने पर बैग में गांजा मिला। थौलाने पर 08 कि0ग्रा0 गांजा, किमती 24000/- मिला। सैंपल तैयार कर गांजा जप्त कर अपराध कायम कर आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध चालान तैयार कर न्यायालय पेश किया गया।

.....

4} थाना रेल पुलिस रायपुर अपराध क्रमांक 23/06 धारा 379 भा0द0वि0

दिनांक 21.02.06 के 15.45 बजे प्रार्थी अशोक दिगवानी ने मुसाफिर खाना में लैटा था कि अज्ञात चोर द्वारा मोबाईल फोन नोकिया किमती 9100/- चोरी कर ले गया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपराधी महेश गुप्ता आ0 हनुमान प्रसाद, उम्र 20 वर्ष, सा0 गोड़पारा, बिलासपुर के कब्जे से मोबाईल फोन किमती 9100/- जप्त कर वाजाप्ता सुमार किया गया। अपराधी को गिरफतार कर अपराध सबूत पाये जाने से चालान तैयार कर दिनांक 21.03.06 को न्यायालय पेश किया गया।

.....

5} थाना रेल पुलिस रायपुर अपराध क्रमांक 27/06 धारा 379 भा0द0वि0

दिनांक 27.02.06 के 15.30 बजे प्रार्थी आशिष शुक्ला ट्रेन 04 डीआरबी में सफर हेतु चढ़ते समय अज्ञात चोर द्वारा मोबाईल फोन नोकिया मॉडल 6255 किमती 12300/- चोरी कर ले गया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपराधी मनोज ताण्डी आ0 सुलोको ताण्डी, उम्र 23 वर्ष, सा0 कालीबाडी, स्वीपर बस्ती रायपुर के कब्जे से मोबाईल फोन नोकिया मॉडल 6255 किमती 12300/- जप्त कर वाजाप्ता सुमार किया गया। अपराधी को गिरफतार कर अपराध सबूत पाये जाने से चालान तैयार कर दिनांक 20.03.06 को न्यायालय पेश किया गया।

.....

6} थाना रेल पुलिस रायपुर अपराध क्रमांक 48/06 धारा 20 नार0एक्ट0

दिनांक घटना 04.04.06 को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की एक लड़का ट्रेन लिंक एक्स0 में अवैध गांजा भेजने हेतु लाया हैएवं मुसाफिर खाना में है। सूचना पर गवाह एवं स्टाफ के मुसाफिर खाना जाकर आरोपी प्रकाश नायक पिता रधुनाथ नायक, उम्र 22 वर्ष सा0 आर उदयगिरी, गजपति, उड़ीसा से पूछताछ करने पर अपने पास गांजा होना बताया। धारा 50 नार0एक्ट के तहत् सहमति लेकर तलाशी लेने पर बैग में गांजा मिला। थौलाने पर 17 कि0ग्रा0 गांजा, किमती 68000/- मिला। सैंपल तैयार कर गांजा जप्त कर अपराध कायम कर आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध चालान तैयार कर दिनांक 10.05.06 को न्यायालय पेश किया गया।

.....

5} थाना रेल पुलिस रायपुर अपराध क्रमांक 57/06 धारा 379 भा0द0वि0

दिनांक 24.04.06 को प्रार्थी पंकज अग्रवाल अपने भाभी को छोडने स्टेशन आया। अपनी मोटर साईकिल स्पलेडंर प्लस सी0जी0 04 सी.एल. 7993 किमती 20000/- को सेलिब्रेशन के सामने खड़ाकर स्टेशन चला गया। वापस आने पर गाड़ी नही थीं । अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी विनय सुरेशे आ0 दिनकर राय, उम्र 25 वर्ष, सा0 तरपोंगी, पी0एस0 धरसीवा जिला रायपुर के कब्जे से मेमोराण्डम पर मोटर साईकिल स्पेलण्डर प्लस किमती 20000/- जप्त कर गिरफतार कर चालान तैयार कर दिनांक 16.05.06 को न्यायालय पेश किया गया।

.....

8} थाना रेल पुलिस रायपुर अपराध क्रमांक 73/06 धारा 379 भा0द0वि0

दिनांक 25.05.06 को 21.15 बजे प्रार्थी आकाश श्रीवास्तव, आ0 नरेश कुमार 24 वर्ष साकिन पचपेढी नाका, लक्ष्मी नगर रायपुर ने अपनी हीरोहोण्डा स्पलेडंर पुरानी सी0जी0 05 जेड.ई. 2010 काला रंग किमती 10000/- को मुसाफिर खाना के सामने खड़ाकर अपने दोस्त को लेने स्टेशन चला गया। वापस आने पर देखा गाड़ी नही थी। अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपराधी आरीफ कुरैशी उम्र 16 वर्ष, सा0 बंजारी थाना सालेकसा, जिला गोंदिया एवं पप्पू मरावी आ0 जोहन लाल मरावी 15 साल, सा0 जभडी थाना सालेकसा जिला गोंदिया से हीरोहोण्ड किमती 10000/- जप्त कर आरोपियों को गिरफतार कर उनके विरूद्ध चालान तैयार किया गया। पेश करना शेष है।

.....

9} थाना रेल पुलिस बिलासपुर अपराध क्रमांक 11/06 धारा 395 भा0द0वि0 25,27 आर्मस एक्ट

दिनांक 24.02.06 को 19.30 प्रार्थी ओम प्रकाश ओझा 45 वर्ष, सा0 पटपर थाना भाटापारा ग्रामीण जिला रायपुर ट्रेन 8517 अप लिंक एक्स0 के एस-2 में कोरबा से भाटापारा सफर कर रहा था कि अज्ञात आरोपियों द्वारा कट्टा सीने में अडाकर सूटकेस के अंदर 446930/- परिचय पत्र मासिक रेल टिकिट लेकर भाग गया। प्रार्थी के चिल्लाने पर भागते समय तीन हवाई फायर की। यात्रियों के सहयोग से आरोपी मो0 नसीम आ0 मो0 सफीक, 28 साल सा0 कंचनपुर थाना बिहय जिला पटना बिहार को एवं खाखन उर्फ शिव लखन कुमार आ0 प्रान्सीराय यादव 20 साल, सा0 हथिया कनसराय थाना मनेर जिला पटना बिहार को ट्रेन पतरोलिंग आरक्षकों द्वारा पकड़ा एवं 446930/- जप्त कर सुमार वाजाप्ता किया गया एवं उनके सहयोगी पिन्टुकुमार अवधिया उर्फ लगड़ा आ0 सालिग्राम सा0 बलुवा थाना मनेर जिला पटना बिहार को गिरफतार किया गया। आरोपियों के विरूद्ध एवं उनके फरार साथी पिन्टू सिंह उर्फ संतोष सिंह, सुधीर यादव, जितेन्द्र पासवान एवं रमेश साव के विरूद्ध 299 सी0आर0पी0सी0 के तहत् कार्यवाही कर चालान तैयार कर दिनांक 24.05.06 को चालान न्यायालय पेश किया गया।

.....

10} थाना रेल पुलिस भिलाई अपराध क्रमांक 46/06 धारा 363,376,342,368, 34 भा0द0वि0

दिनांक 19.04.06 को प्रार्थी श्रीमती पूर्णीमा श्रावास्तव पति रामचन्द्र श्रीवास्तव, 36 साल, सा0 सी0 केबिन देवबलोदा चरोदा जिला दुर्ग ने थाना आकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 03.01.06 से 11.04.06 के मध्य प्रार्थी के मकान सी0 केबिन एवं आरोपी के मकान चकुरदा में आरोपी दीपक श्रीवास्तव द्वारा बहला फुसलाकर ले जा करके बलात्कार करना एवं रोक रखने एवं आरोपी के मॉ सत्यभामा द्वारा सहयोग करने की रिपोर्ट किया। विवेचना के दौरान अपराधी दीपक श्रीवास्तव आ0 सेवालाल श्रीवास्तव, 38 साल, सा0 चकुरदा थाना गातापार, जिला राजनांदगांव एवं श्रीमति सत्यभामा श्रीवास्तव पति सेवालाल 65 साल, सा0 चकुरदा, थाना गातापार, जिला राजनांदगांव को गिरफतार कर आरोपियों के विरूद्ध चालान तैयार कर दिनांक 13.06.06 को न्यायालय पेश किया गया।

.....

{11} थाना रेल पुलिस भिलाई अपराध क्रमांक 48/06 धारा 458,380 भा.द.वि.

दिनांक 05.05.06 के 03.30 बजे प्रार्थी पियूष घोष, 20 साल, सा0 क्वा0 न0 95 डी, जोन-1, बी.एम.वाई. चरोदा ने रिपोर्ट किया कि दिनांक घटना को आरोपी मुकेश आ0 सतनाम बरोई 19 साल एवं एस.के. साहित आ0 एस0के0ए0 नोषाद, 18 साल ने दरवाजा खट-खटाया, खोलने पर प्रार्थी देखा कि आरोपियों द्वारा लोहे की राड़ एवं चपड़ा लिये अंदर धुस गये एवं धतका कर सूटकेस, दो पर्स, हाथ धड़ी, नगदी 650/-, पेंट शर्ट जुमला 3,550/- लेकर भाग गया। विवेचना के दौरान आरोपी मुकेश कुमार एवं नौषाद, सा0 प्रगतिनगर, चरोदा के कब्जे से हाथ धड़ी, सूटकेस, नगदी 630/- जुमला 2180/- जप्त कर आरोपियों को गिरफतार कर आरोपियों के विरूद्ध चालान तैयार कर दिनांक 19.06.06 को न्यायालय पेश किया गया।

.....

{12} थाना रेल पुलिस रायगढ़ अपराध क्रमांक 13/06 धारा 20 नार0एक्ट

दिनांक घटना 28.05.06 को मुखबीर द्वारा सूचना मिला कि एक आदमी अवैध गांजा भेजने हेतु लाया है एवं प्लेटफार्म 2-3, ब्रिज के नीचे बैठा है। सूचना पर गवाह एवं स्टाफ के स्टेशन चेक करने पर आरोपी हेमलाल कहरा, आ0 तुलसीराम कहरा, 19 साल, सा0 भाटापारा जांजगीर, जिला जांजगीर ने मिला। पूछताछ करने पर अपने पास गांजा होना बताया। धारा 50 नार0एक्ट के तहत् सहमति लेकर तलाशी लिया तो गांजा मिला। थौलाने पर 10 कि0ग्रा0 गांजा, किमती 30000/- मिला। सैंपल तैयार कर गांजा जप्त कर अपराध कायम कर अपराधी को गिरफतार कर जुडिश्यल रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण लंबित पुलिस है।

.....

(13) थाना रेल पुलिस बिलासपुर अपराध क्रमांक 60/06 धारा 20 ना0एक्ट

दिनांक घटना 20.08.2006 को मुखबीर द्वारा सूचना मिला कि एक आदमी अवैध ट्रेन लिंक गांजा भेजने हेतु लाया है एवं जो प्लेटफार्म नं0 4 पर बैठा है। सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजा गया । गवाह एवं स्टाफ के मौके पर पहॅुचकर संदेही गणेश कंवर आ0 दम्मेलाल कंवर, 25 साल सा. गिरवर, थाना गोरेला, जिला बिलासपुर मिला । पूछ-ताछ करने पर एयर बैग में गांजा होना बताया। धारा 50 नार.एक्ट के तहत् सहमति लेकर तलाशी लेने पर बैग में गांजा मिला तौलाने पर 07 कि.ग्रा. गांजा किमती 21,000/- मिला। सेंपल तैयार कर गांजा जप्त कर अपराध कायम कर आरोपी को गिरफतार कर उनके विरूद्ध चालान तैयार कर न्यायालय पेश किया गया।

.....

(14) थाना रेल पुलिस बिलासपुर अपराध क्रमांक 61/06 धारा 20 ना0एक्ट

दिनांक घटना 20.08.2006 को मुखबीर द्वारा सूचना मिला कि एक आदमी अवैध ट्रेन लिंक गांजा भेजने हेतु लाया है एवं जो प्लेटफार्म नं0 4 पर बैठा है। सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजा गया । गवाह एवं स्टाफ के मौके पर पहॅुचकर संदेही मनोज कुमार आ0 अमरनाथ कंवर, 19 साल सा. थाना जैतहरी , जिला अनुपपुर मिला । पूछ-ताछ करने पर एयर बैग में गांजा होना बताया। धारा 50 नार.एक्ट के तहत् सहमति लेकर तलाशी लेने पर बैग में

गांजा मिला तौलाने पर 07 कि.ग्रा. गांजा किमती 21,000/- मिला। सेंपल तैयार कर गांजा जप्त कर अपराध कायम कर आरोपी को गिरफतार कर उनके विरूद्ध चालान तैयार कर न्यायालय पेश किया गया।

.....

(15) थाना रेल पुलिस बिलासपुर अपराध क्रमांक 68/06 धारा 379 भा0द0वि0

दिनांक घटना 11.09.06 को प्रार्थिया श्रीमति सीमा यादव, पति जीवन यादव, सा0 मठपुरैना, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर ने ध्दितीय श्रेणी प्रतिक्षालय रेल्वे स्टेशन बिलासपुर में आराम कर रही थी कि अज्ञात चोर द्वारा बैग के अंदर रखे पर्स सोने का मंगलसूत्र, नगदी 500/- जुमला 12,500/- चोरी कर ले गया। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपराधी श्याम देवांगन, आ0 बुधराम देवांगान, उम्र 27 साल, सा0 विनोबा नगर, थाना तारबहार, जिला बिलासपुर को गिरफतार कर उनके कब्जे से पर्स मंगलसूत्र नगदी 500/- जुमला 12,500/- जप्त कर वाजाप्ता शुमार किया गया। अपराधी के विरूद्ध चालान तैयार कर न्यायालय पेश किया गया।

.....

(16) थाना रेल पुलिस बिलासपुर अपराध क्रमांक 77/06 धारा 379, 34, 420, 170 भा0द0वि0

दिनांक घटना 09.10.2006 को प्रार्थी लोकचंद कटरे, आ0 ब्रजलाल कटरे, उम्र 40 साल, सा0 राताखार वार्ड-2, कोरबा ने बालाघाट जाने बस से चांपा आया। बाद रेल्वे स्टेशन आकर टिकिट लिया एवं नास्ता कर बाहर जा रहा था कि दो व्यक्ति मैन गेट के पास प्रार्थी को रोक कर हम पुलिस वाले है गांजा, चरस की जांच कर रहे है कहकर मैन गेट के बगल में ले जाकर एक आई कार्ड दिखाया और तलाशी लेकर थैले चेक कर 79,000/- चुपके से थैले से निकाल कर चोरी कर लिया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान अपराधी युसुफ अली, आ0 फिरोज अली, 28 साल, सा0 उरपानगर, इरानी वेस्ट पूना, महाराष्ट्र को गिरफतार कर 79,000/- जप्त कर वाजाप्ता शुमार किया गया। अपराधी को जुडिश्यल रिमांड पर भेजा गया एवं दूसरा फरार आरोपी की तलाश जारी है।

.....

(17) थाना रेल पुलिस भिलाई अपराध क्रमांक 108/06 धारा 457, 380 भा.द.वि.

दिनांक घटना 11.09.06 को प्रार्थिया श्रीमती दीपा बाई, पति चरणदास, उम्र 26 साल, सा0 उड़ीया मोहल्ला, पोस्ट आफीस के पास, जोन 1, बी0एम0वाय0 चरोदा ने रात्री 08 बजे घर में ताला बंद कर गुमने गई थीं कि अज्ञात चोर द्वारा ताला खोलकर गेस सिलिडर, दो खान की पुल्ली, दो टाप लाकेट, मंगलसूत्र जुमला 9,000/- चोरी कर ले गया। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपराधी श्रीनु, आ0 टी0एन0 मूर्ती, उम्र 30 साल, सा0 उड़या मोहल्ला, पोस्ट आफीस के सामने बी0एम0वाय0 चारोदा को गिरफतार कर उनके कब्जे से गैस सिलेडर, जेवरात जुमला 9,000/- जप्त कर वाजाप्ता शुमार किया गया। अपराधी के विरूद्ध चालान तैयार कर न्यायालय पेश किया गया।

.....

---::---

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006 -2007
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति शाखा

विभागीय संरचना -

राज्य के पुलिस मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अजाक के मार्गदर्शन में एक पुलिस उप महानिरीक्षक, एक उप पुलिस अधीक्षक, 02 निरीक्षक, 02 उप निरीक्षक, 02 उपनिरीक्षक (अ), 01 प्रधान आरक्षक, 02 आरक्षक एवं 01 आरक्षक अर्दली की पदस्थापना की गई है ।

राज्य के 09 जिलों में विशेष थाना स्वीकृत है जो निम्नानुसार है :-

रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, विलासपुर, रायगढ,, रायगढ, जगदलपुर, दंतेवाड़ा एवं सरगुजा, सुरजपुर । शेष 09 जिलो में अजाक प्रकोष्ठ कार्यरत है । अजाक थानों में 01 उप पुलिस अधीक्षक 02 उप निरीक्षक 04 प्रधान आरक्षक एवं 16 आरक्षक स्वीकृत है । अजाक प्रकोष्ठ कार्य उप पुलिस अधीक्षक अजाक /क्राईम की देख रेख में निष्पादित किया जा रहा है ।

राज्य के 07 जिलों में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई विशेष न्यायालय द्वारा की जाती है । जो क्रमशः जिला रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, विलासपुर, रायगढ, एवं सरगुजा में स्थापित है ।

महिलाओं पर घटित अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर महिला प्रकोष्ठ स्थापित है । जो राज्य में घटित महिला उत्पीडन के अपराधो सें संबंधित जानकारियां संकलित करते है । उक्त कार्य के लिये 01 निरीक्षक,01 उनि, 01प्रधान आरक्षक कार्यरत है । इसके अतिरिक्त राज्य के जिला रायपुर , बिलासपुर ,एवं दुर्ग में महिला थाना स्थापित है एवं पुलिस जिलों (सूरजपुर,बलरामपुर, नारायणपुर,बीजापुर,)को छोडकर प्रायः प्रत्येक जिले में परिवार परामर्श केन्द्र कार्यरत हैं ।

1.संवर्गीय स्थिति :-कार्यालय में उपलब्ध बल की स्थिति इस प्रकार है :-

कार्यालयीन बल :-

क्र0	अधि0/कर्म0	स्वीकृति	पदस्थ	रिक्त
1	उप पुलिस अधीक्षक	01	-	01
2	निरीक्षक	-	02	-
3	उप निरीक्षक	-	02	-
4	उनि(अ)	-	02	-
5	प्रधान आरक्षक	-	01	-
6.	आरक्षक	-	02	-
7	आरक्षक(अर्दली)	-	01	-

राज्य में संचालित 09 अजाक थानों की स्थिति निम्नानुसार हैं :-

क्र0	अधि0/कर्म0	स्वीकृति	पदस्थ	रिक्त
1	उप पुलिस अधीक्षक	09	06	03
2	निरीक्षक	08	04	04
3	उप निरीक्षक	20	06	14
4	स.उ.नि.	01	-	01

5	प्रधान आरक्षक	37	27	10
6	आरक्षक	135	91	44
7	आरक्षक (अ)	01	-	01
8	आरक्षक(चालक)	04	01	03

राज्य में संचालित 08 अजाक प्रकोष्ठों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र0	अधि0/कर्म0	स्वीकृति	पदस्थ	रिक्त
1	उप पुलिस अधीक्षक	09	05	04

उप पुलिस अधीक्षक की सहायता के लिये जिला स्तर पर आावश्यक बल उपलब्ध कराया जाता है ।

कार्य कलाप :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत राज्य में पंजीबद्व प्रकरणों की विवेचना उपुअ अजाक अथवा उनके समकक्ष नगर पुलिस अधीक्षक ,अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की जाती है ।
2. अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति/महिला को शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप राहत/अनुदान राशि के प्रकरण तैयार कर विवेचक द्वारा जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को भेजे जाते है । मासिक समीक्षा के दौरान राहत राशि स्वीकृति कर प्रदान की जाती है ।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्व प्रकरण का चालान विशेष न्यायालय में प्रस्तुत कर सुनवाई की जाती है ।
4. राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, महिलाओं ,बालक एवं बालिकाओं के उत्पीड़न में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों को उनके कार्य का मूल्यांकन कर 15-15 हजार की नगद राशि,प्रशंसा पत्र एवं रनिंग शील्ड क्रमशः बीर नारायण सिंह पुरस्कार, राज्यपाल पुरस्कार, मुख्यमंत्री पुरस्कार, गुरूघासीदास पुरस्कार एवं रानीसुबरन कुंवर पुरस्कार विशेष आयोजन के दौरान प्रदान किया जाता है । इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत 2 हजार रू0नगद एवं प्रशंसा पत्र संबंधित अधिकारी /कर्मचारी को वर्ष में एक बार दिया जाता है ।

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक दिनांक 20.10.06 को मानीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकि निर्देश दिये गये है :-

1/ पुलिस विभाग में पृथक से प्रकोष्ठ स्थापित कर पद संरचना के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति की कार्यवाही की जावे । निर्णय के परिपेक्ष्य में अ.जा.क. शाखा के विस्तार हेतु प्रस्ताव तैयार कर योजना/प्रबंध शाखा को दिनांक 26.12.06 द्वारा शासन स्वीकृति हेतु भेजा गया है ।

2/ राज्य के 03 जिलों क्रमशः जिला कबीरधाम, जांजगीर एवं महासमुंद में अजाक थाना स्थापित करने की भी सहमति दी है । निर्णय के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव तैयार कर शासन को पत्र दिनांक 26.10.06 द्वारा लिखा गया है ।

अपराधिक स्थिति :-

अजाक शाखा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही का विवरण तथा महिलाओं पर घटित अपराधों की तुलनात्मक जानकारी निम्नांकित है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति पर घटित अपराधों के विश्लेषण में वर्ष 2005 में कुल अपराध 513 एवं वर्ष 2006 में कुल अपराध 661 पंजीबद्व हुए है । इस प्रकार वर्ष 2005 की तुलना में विगत वर्ष कुल अपराधों में 28.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

हत्या :-

विगत वर्ष 2005 में हत्या के 18 अपराधों के विरूद्व वर्ष 2006 में कुल 16 अपराध पंजीबद्व हुए हैं । इस प्रकार हत्या के अपराधों में (-)11.11प्रतिशत की कमी आई है।

गंभीर चोट :-

वर्ष 2005 में घटित 18 अपराधों के विरूद्व 2006 में कुल 23 अपराध पंजीबद्व हुए है । इन अपराधों में 27.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

बलात्कार :-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वर्ग पर बलात्कार के प्रकरणों में वर्ष 2005 में घटित कुल 112 अपराधों के विरूद्व वर्ष 2006 में कुल 104 अपराध घटित हुए है । इस प्रकार बलात्कार के प्रकरणों में (-) 7.14 प्रतिशत की कमी आई है ।

अन्य भादवि :-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति पर घटित अन्य भादवि के प्रकरणों के अंतर्गत वर्ष 2005 में घटित कुल 464 अपराधों के विरूद्व वर्ष 2006 में कुल 513 अपराध घटित हुए है । अतः अन्य भादवि के प्रकरणों में विगत वर्ष की अपेक्षा (-) 10.56प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है ।

अनुसूचित जाति /जनजाति पर घटित अपराधों की जानकारी 2005-2006

क्र	अपराध शीर्ष	अजा	अजजा	योग	अजा	अजजा	योग	प्रतिशत
1	हत्या	05	13	18	05	11	16	11.11 :कमी
2	गंभीर चोट	02	16	18	08	15	23	27.77: वृद्धि
3	बलात्कार	46	66	112	34	70	104	7.14: कमी
4	आगजनी	-	-	-	-	-	-	
5	पीओए एक्ट	01	-	01	04	01	05	500: वृद्धि
6	पीसीआर एक्ट	-	-	-	-	-	-	
7	अन्य भादवि	239	225	464	243	270	513	10.56: वृद्धि
	योग	293	320	613	294	367	661	7.83: वृद्धि

महिलाओं पर घटित अपराधों की जानकारी वर्ष 2005-2006

क्र	अपराध शीर्ष	2005	2006	प्रतिशत
1	हत्या	267	273	2.24: वृद्धि

2	हत्या का प्रयास	64	102	59.37:वृद्धि
3	साधारण चोट	358	000	100: कमी
4	गंभीर चोट	183	000	100: कमी
5	शीलभंग	1457	1645	12.90:वृद्धि
6	अपहरण	216	246	13.88:वृद्धि
7	बलात्कार	924	987	6.81: वृद्धि
	योग	3469	3253	6.22: वृद्धि

अपराधों के अंतर्गत पीओएट्रोसिटी एक्ट एवं पीसीआर एक्ट में क्रमशः वर्ष 2005 एवं 2006 के आंकडें 01-00 है।

<u>महिलाओं पर घटित अपराधों का विश्लेषण :-</u>

छ0ग0राज्य में महिलाओं पर घटित अपराधों के अंतर्गत वर्ष 2005 में पंजीबद्व कुल अपराध 3469 के विपरीत वर्ष 2006 में

कुल अपराध 3253 पंजीबद्व हुए हैं । इस प्रकार महिलाओं पर घटित अपराधों में (-) 6.22 प्रतिशत की कमी आई है ।

महिलाओं पर घटित अपराधों में वर्ष 2005 में हत्या के 267 अपराधों के विपरीत वर्ष 2006 में 273हत्या के अपराध पंजीबद्व हुए हैं। इस प्रकार हत्या के अपराधों में 2.24प्रतिशत बृद्वि हुई है । इसी प्रकार हत्या के प्रयास के अपराधों की तुलना में वर्ष 2005 में पंजीबद्व 64 अपराधों के विपरीत वर्ष 2006 में 102 अपराध पंजीबद्व हुए है । इस प्रकार इन अपराधों में 59.37प्रतिशत की बृद्वि हुई है ।

<u>साधारण चोट, गंभीर चोट</u> :-

उक्त प्रकरणों में क्रमशः 100 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2006 में कमी हुई है ।

महिलाओं पर शीलभंग के अपराधों में वर्ष 2005 में 1457 प्रकरण के विपरीत वर्ष 2006 में 1645प्रकरण दर्ज हुए है । शीलभंग के अपराधों में 12.90प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है। अपहरण के मामलों में वर्ष 2005 में पंजीबद्व 216मामलों के विपरीत वर्ष 2006 में कुल 246 प्रकरण पंजीबद्व हुए हैं । इस प्रकार अपहरण के अपराधों में भी 13.88 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है ।

महिलाओं पर घटित बलात्कार के प्रकरणों में वर्ष 2005 में कुल 924 प्रकरण पंजीबद्व हुए थे । जिसके विपरीत वर्ष 2006 में कुल 987 प्रकरण पंजीबद्व हुए हैं । इस प्रकार बलात्कार के प्रकरणों में 6.22 प्रतिशत की बृद्वि हुई है। कुल मिलाकर महिलाओं पर घटित अपराधों में वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2006 में वृद्वि हुई है ।

<u>राहत/अनुदान</u> :-

पुलिस द्वारा अत्याचार से पीडित व्यक्तियों के आर्थिक/सामाजिक एवं शैक्षणिक पुर्नवास एवं राहत हेतु आकस्मिकता योजना नियम 1995 जो मार्च 1996 से प्रभावशील हैं ,के अंतर्गत राहत प्रकरण तैयार कर स्वीकृति हेतु जिलाध्यक्षों को भेजे जाते हैं । इस वर्ष 2006 में कुल 477 प्रकरणों में कुल रकम 6056500 रू0 प्रभावित महिला/पुरूषों को वितरित की गई है ।

---::---

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,माना रायपुर (छ.ग.)

विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2006

(01) प्रमुख दायित्व :- पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना रायपुर छ.ग.की स्थापना मध्य प्रदेश शासन गृह पुलिस विभाग भोपाल के आदेश क्रं. 2991/321/84-ब/3/दो/84 दिनांक 22.08.1984 को हुई है। इसके पूर्व दिनांक 18.05. 1984 को म.प्र.शासन पुनर्वास विभाग के माना शिविर स्थाई दायित्व गृह पी.एल.होम क्रं. 04 की विधिवत हस्तान्तरण कार्यवाही की जाकर पुलिस विभाग को सौपा गया है।

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना रायपुर के प्रमुख दायित्व के अंतर्गत पुलिस विभाग में नियुक्त नव आरक्षक जिला पुलिस बल को बी.पी.आर. एण्ड डी. नई दिल्ली के सिलेवस अनुसार 09 माह का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली, पुलिस एवं समाज से संबंध, पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के कर्तब्य, कानून, पुलिस प्रक्रिया, पुलिस संगठन, आतंकवाद, नागरिक विमानन सुरक्षा इसके अतिरिक्त अनुशासन प्रशासन आदि विषयों का प्रशिक्षण के साथ-साथ आउटडोर प्रशिक्षण के अंतर्गत फिजिकल ट्रेनिंग, परेड, निहत्थी लडाई (यू.ए.सी.) योगा, आधुनिक हथियारों तथा फायरिंग का नियमित प्रशिक्षण के अलावा टीयर स्मोक, फील्ड क्राप्ट तथा सभी निर्धारित आप्टिकल्स का प्रशिक्षण दिया जाकर इनमें चुस्ती फूर्ती , अनुशासन तथा सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना पैदा की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त व्यवहारिक ज्ञान हेतु इन्हे समय-समय पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित अन्य जिलों में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, व्ही.व्ही.आई.पी./व्ही.आई.पी. सुरक्षा डियूटी आदि में भेजकर व्यवहारिक ज्ञान तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अच्छा नागरिक तथा नेक इन्सान बनाने की पहल प्रशिक्षण के माध्यम से की जाती है।

बुनियादी प्रशिक्षण के साथ-साथ आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर के पूर्व पदोन्नति कोर्स भी साल भर संचालित किये जाते है, इसके अंतर्गत पदोन्नति पर उच्च पद की कार्य प्रणाली , विवेचना तथा विभाग से संबंधित अन्य महत्व पूर्ण दायित्वों का ज्ञान कराया जाता है। प्रधान आरक्षक से निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का अन्वेषण कोर्स संचालित किये जाते है। जिसके अंतर्गत अपराधों की विवेचना के दौरान सूक्ष्म से सूक्ष्म होने वाली भूल एवं त्रुटियॉ, अपराधियों द्वारा अपराध में अपनाई जाने वाली आधुनिक तकनीक आदि विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाता है। उक्त के अतिरिक्त मानवाधिकार कोर्स आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का चलाया जाता है, इसके अंतर्गत इन्हे नागरिकों के अधिकार, महिलाएं एवं बच्चों के प्रति व्यवहार, समाज के प्रति उत्तर दायित्व आदि का प्रशिक्षण दिया जाकर, मानव सेवा की भावना पैदा की जाती है। महत्व पूर्ण एवं विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित कोर्स संचालित किये जाकर आधुनिक सुरक्षा तकनीक से प्रशिक्षित किया जाता है। इसके साथ ही साथ नक्सली समस्या से संबंधित प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया है। अतिथि व्याख्यान के माध्यम से विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाकर राष्ट्र, राज्य एवं समाज सेवा की भावना पैदा की जाती है।

यह प्रशिक्षण विद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र विद्यालय है, जहां महिला आरक्षकों से लेकर उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को भी विभागीय प्रशिक्षण दिया जाकर कर्तब्य निष्पादन हेतु तैयार किया जाता है।

(02) विभागीय संरचना :- कलेक्टर रायपुर के आदेश क्रमांक-क/वाचक/88/ रायपुर दिनांक 25.06.1988 के तहत् पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना रायपुर को 45.54 एकड भूमि आवंटित की गई है, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना पुनर्वास विभाग द्धारा इस इकाई को हस्तान्तरित पी.एल.होम क्रमांक- 04 में स्थित है। चार दीवारी से घिरे हुए 13 एकड 30 डिस्मिल क्षेत्र में 79 बैरिक्स उपलब्ध है, इसके अलावा 21 एकड 68 डिस्मिल क्षेत्र में परेड सिखलाई हेतु परेड ग्राउण्ड का निर्माण कराया गया है। इसी भूमि के 12 एकड मे परेड ग्राउण्ड तथा 9.68 एकड भूमि में फलदार एवं अन्य वृक्षारोपण किया गया है, शेष 18 ब्लाक स्थित 10.50 एकड भूमि में पुराने कण्डम 45 बैरिक्स एवं उसके आसपास वाली जमीन उपलब्ध है। पूर्व से निर्मित पुरानी 79 बैरिक्स में प्रशिक्षणार्थियो हेतु आवास व्यवस्था , पुलिस अधीक्षक कार्यालय, क्वाटर मास्टर स्टोर्स, आरमोरी, ड्राईकंटीन, क्लास रूम, मेस एवं डायनिंग हाल आदि व्यवस्था कराई गई है। उक्त के अतिरिक्त इन्ही बैरिक्स में पी.टी.एस. माना के अधिकारी/कर्मचारियों को आवास व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। इस प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हुए लगभग 22 वर्ष से भी ज्यादा समय व्यतीत होने के उपरान्त भी इस प्रशिक्षण विद्यालय में कोई भी प्रशासनिक भवन उपलब्ध नही है। इन्ही बैरिक्स में प्रशिक्षण संबंधी एवं अन्य प्रशासनिक कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। पूर्व में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्धारा 03 हास्टल 50-50 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता वाले एवं 01 क्लास रूम तथा स्टाफ अधिकारी एवं कर्मचारियों के निवास हेतु 95 आवस गृह निर्मित कराये गये है, जिनमें अधिकारी/ कर्मचारी निवासरत है। इस प्रकार प्रशिक्षण विद्यालय में स्वीकृत अधिकारी/कर्मचारी हेतु 50 प्रतिशत आवास उपलबध है।

(03) संवर्गीय स्थिति :-छत्तीसगढ़ शासन द्धारा स्वीकृत सेटअप अनुसार विभिन्न संवर्गो में प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशासनिक कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार अधिकारी एवं कर्मचारियों का बल स्वीकृत किया गया है:-

छत्तीसगढ़ शासन द्धारा स्वीकृत सेट-अप

इकाई में स्वीकृत, उपलब्ध एवं रिक्त बल माह दिसम्बर-2006 :-

स.क्रं	स्वीकृत पदों का विवरण	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
01.	पुलिस अधीक्षक	01	01	-
02.	उप पुलिस अधीक्षक	02	02	-
03.	निरीक्षक	05	04	01
04.	सूबेदार	01	-	01
05.	उप निरीक्षक	03	02	01
06.	प्रधान आरक्षक (जी.डी.)	24	24	-

07.	आरक्षक (जी.डी)	49	25	24
08.	आरक्षक ट्रेड	45	40	05
09.	बाल आरक्षक	02/04	02/04	-
10.	मिनीयल चतुर्थ श्रेणी	05	-	05
11.	लेक्चरार (यू.जी.टी.)	01	-	01
12.	लेक्चरार (पी.जी.टी.)	03	01	02
13.	ए.डी.पी.ओ.	02	-	02
14.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	01	-	01
15.	सहायक लायब्रेरियन	01	-	01
महिला बलः-				
01.	प्रधान आरक्षक	03	03	-
02.	आरक्षक	04	01	03
एम.टी.शाखा :-				
01.	सहायक उप निरीक्षक	01	01	-
02.	प्रधान आरक्षक(चालक)	01	-	01
03.	आरक्षक (चालक)	06	03	03
रेडियो शाखा :-				
01.	उप निरीक्षक	01	-	01
02.	प्रधान आरक्षक	01	01	-

आर्म्स शाखाः-

01.	प्र0आरक्षक (आरमोरर)	01	01	-
02.	आरक्षक (आरमोरर)	01	01	-
मेडिकल स्टाफ :-				
01.	डाक्टर	01	-	01
02.	कम्पाउण्डर	01	-	01
03.	मेल नर्स	01	-	01
04.	ड्रेसर	01	-	01

कार्यपालिक (एम)				
01.	सूबेदार (अ) मु.लिपिक	01	-	01
02.	सूबेदार (अ) स्टनो	01	-	01
03.	सूबेदार (अ) आंकिक	01	-	01
04.	उप निरीक्षक (अ)	05	05	-
05.	सहा. उप निरीक्षक (अ)	05	03	02
06.	आरक्षक (अ)	01	01	-

कार्य कलाप :-

इस प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा वर्ष 2006 में प्रशिक्षण/कोर्स पुरूष एवं महिलाओं का आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कोर्स संचालित किया गया।

2006 में संचालित प्रशिक्षण/ कोर्स विवरण

स. क्रं.	प्रशिक्षण/कोर्स का . नाम	अवधि	सम्मिलित हुए प्रशिक्षणार्थी संख्या
01	23 वॉ नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र	12.01.2006 से 17.10.2006	**612**
01	आरक्षक से प्रधान आरक्षक ''ब'' वर्ग पी. पी. कोर्स	05.01.2006 से 13.02.2006	**79**
02	प्रधान आरक्षक से सउनि ''ब'' वर्ग पी.पी. कोर्स	05.01.2006 से 13.02.2006	**25**
03	सउनि से उनि पी.पी. कोर्स	15.04.02006 से 30.05.2006	**10**
04	प्रधान आरक्षक से निरीक्षक अन्वेषण कोर्स	15.05.2006 से 20.05.2006	**15**
05	जी.पी. एस. कोर्स	23.05.2006 से 24.05.2006	**25**
06	सउनि से निरीक्षक कम्युनिटि पोलिसिंग कोर्स	17.07.2006 से 22.07.2006	**16**
07	प्रधान आरक्षक डब्लू.आई. कोर्स	24.07.2006 से 23.10.2006	**21**
08	व्ही.आई.पी. सुरक्षा कोर्स	25.07.2006 से 29.07.2006	**19**
09	व्ही.आई.पी. सुरक्षा कोर्स	21.08.2006 से 25.08.2006	**10**
10	आरक्षक से निरीक्षक मानवाधिकार कोर्स	04.09.2006 से 09.09.2006	**06**
11	पी.एस.ओ. कोर्स	05.09.2006 से 07.09.2006	**50**
12	सउनि से निरीक्षक रिंग राउण्ड कोर्स	01.08.2006 से 05.08.2006	**17**
13	आरक्षक से प्रधान आरक्षक दूसं. पीपी कोर्स	30.10.2006 से 12.12.2006	**113**
14	प्रधान आरक्षक सउनि दूसं पीपी कोर्स	30.10.2006 से 12.12.2006	**48**
15	प्रधान आरक्षक से निरीक्षक कम्युनिटि पेालिसिंग कोर्स	04.12.2006 से 09.12.2006	**08**
16	24 वॉ नव आरक्षक बुनियादी सत्र	01.11.2006 से ... संचालित	**357**

बुनियादी प्रशिक्षण नव आरक्षक जिला पुलिस बल का जिलेवार प्रशिक्षणार्थियों का विवरण दिनांक 01.11.2006 से संचालित

सक्रं.	जिला	आमद प्रशिक्षणार्थी पुरूष	आमद प्रशिक्षणार्थी महिला	जिला वापस		योग
				पुरूष	महिला	
01	रायपुर	125	25	01	–	149
02	दुर्ग	30	02	–	–	32
03	महासमुन्द	04	08	–	–	12
04	जगदलपुर	08	13	02	–	19
05	दंतेवाडा	01	04	–	–	05
06	बीजापुर	04	–	–	–	04
07	कांकेर	27	11	–	–	38
08	जांजगीर	10	07	–	–	17
09	जशपुर	02	06	–	–	08
10	सूरजपुर	04	27	–	–	31
11	बलरामपुर	06	07	–	–	13
12	पु.मु. रायपुर	02	–	–‘	–	02
13	धमतरी	–	06	–	–	06
14	राजनांदगांव	–	06	–	–	06
15	बिलासपुर	–	02	–	–	02
16	कोरिया	–	07	–	–	07
17	नारायणपुर	06	–	–	–	06
	योग –	**229**	**131**	**03**	**–**	**357**

पुलिस प्रशिक्षण संस्था की मुख्य समस्याएं :-

(1) प्रशिक्षण विद्यालय में निरीक्षक 01, सूबेदार 01, उप निरीक्षक 01, लेक्चरार पीजीटी. 02, लेक्चरार यूजीटी 01, सहायक लोक अभियोजक 02, वरिष्ठ वैज्ञानिक 01 ,सहायक लायब्रेरियन 01, उप निरीक्षक रेडियो 01 , सू.बे.(अ) मु.लि.-01, स्टेनो 01, स.उ.नि. (अ) 02 , आरक्षक जी.डी 24 , महिला आरक्षक 03 प्रधान आरक्षक चालक 01 एवं आरक्षक चालक के 03 पद रिक्त है। पद रिक्त होने के कारण प्रशिक्षण तथा अन्य प्रशासनीक कार्य में बाधा पड रही है , पद पूर्ति अपेक्षित है। निवेदन है,उक्त पदो की पूर्ति करने का कष्ट करें, इसी प्रकार मेडिकल स्टाफ

के तहत् इस इकाई में 01 डाक्टर, तथा 03 पद कम्पाउण्डर, मेल नर्स, ड्रेसर आदि के भी रिक्त है, उक्त पद पूर्ति हेतु निवेदन है।

वर्तमान इस इकाई में आरक्षक जी.डी. के 24 पद एवं महिला आरक्षक के 03 तथा आरक्षक चालक के 03 पद रिक्त है। पद रिक्त होने के कारण संस्था का क्वाटर गार्ड सुरक्षा डियूटी, रियर गार्ड सुरक्षा डियूटी तथा संत्री डियूटी एवं संस्था की महत्वपूर्ण अन्य प्रशासनिक डियूटियों में व्यधान उत्पन्न हो रहा है। पद पूर्ति हेतु समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को इस कार्यालय द्धारा पत्र लिखे गए है पद पूर्ति अपेक्षित है।

(2) इस प्रशिक्षण विद्यालय में पुलिस अधीक्षक कार्यालय हेतु 01 टेलीफोन उपलब्ध है, कार्यालय में उपलब्ध दूरभाष का उपयोग शासकीय कार्य से उप पुलिस अधीक्षक, सी.डी.आई. सी.एल.आई. एवं मुख्य लिपिक इसके अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों के परिवार के सदस्यों द्धारा बाहर से दूरभाष आने पर इसी टेलीफोन से प्रशिक्षणार्थियों को बात कराना पडता है इस प्रकार एक ही टेलीफोन होने एवं व्यस्त रहने से जब पुलिस अधीक्षक को किसी उच्च अधिकारी से वार्तालाप करना होता है, या उच्च अधिकारी को पुलिस अधीक्षक से वार्ता करनी होती है तब लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पडती है। अतः निवेदन है, उक्त समस्या एवं कठिनाईयों तथा बाधाओं को देखते हुए 01 अतिरिक्त दूरभाष सी. डी.आई कार्यालय हेतु स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

(3) इस प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना वर्ष 1984 में हुई है, मध्यप्रदेश पुर्नवास विभाग द्धारा पी.एल.होम क्रं. 04 में पूर्व से निर्मित 79 बैरिक्स में पी.टी.एस. माना का प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्य संचालित किया जा रहा है। इन्ही बैरिक्स में प्रशासनिक भवन का कार्य चलाया जा रहा है। लगभग 22 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना में कोई भी प्रशासनिक भवन उपलब्ध नही है। निवेदन है, प्रशासनिक भवन उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

4. पी.टी.एस. माना रायपुर के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता

(अ). लेट्रिन रूम निर्माण :-

निवेदन है, कि पी.टी.एस. माना रायपुर में कुल 357 पुरूष/महिला नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। इनके अलावा सीनियर कोर्स भी संचालित होते रहते है। वर्तमान में नव आरक्षकों एवं सीनियर कोर्स के लिये मात्र 20 लेट्रिन रूम उपलब्ध है। जिसमें से कुछ अनुपयोगी हो चुके है। लेट्रिन रूम की कमी के कारण नव आरक्षक लेट्रिन के लिए कैम्पस से बाहर व्ही.आई.रोड की ओर जाते है, विशेषकर बरसात में नव आरक्षकों को काफी परेशानी हो रही है।

अतएव पी.टी.एस. माना में प्रशिक्षणरत नव आरक्षकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाए जाने हेतु 30 नग लेट्रिन रूम 03 चरणों में प्रतिचरण 10 नग रू. 99,836=00 की दर से कुल 2,99508=00 रूपये का प्रस्ताव पी.सी.एण्ड आर. मद के.अंतर्गत तैयार कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक- पुअ/पुप्रवि /माना/राय/544/06 दिनांक 15.05.06 के तहत् पुलिस महानिरीक्षक (योजना/प्रबंध) पुलिस मुख्यालय रायपुर की ओर प्रेषित किया गया है। जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

(ब). प्रशिक्षणार्थी नव आरक्षकों के आवासीय बैरिक का टीन शीट बदलने बावत्ः-

पी.टी.एस. माना में प्रशिक्षणरत नव आरक्षकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिये 30 बैरिकों के टीन शीट बदलने हेतु प्रति बैरिक 82,000=00 की दर से प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक- पुअ/पुप्रवि /माना/राय/ सीडीआई/ 474/06 दिनांक 27.04.2006 के तहत् उमनि (वित्त/ प्रबंध) पु.मु. रायपुर .एवं पत्र क्रमांक- 474-ए/06 दिनांक 31.05.2006 के तहत् प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

(स) पी.टी.एस. माना के परेड ग्राउण्ड का फेसिंग वाल निर्माण :-

निवेदन है, कि पी.टी.एस. माना के परेड ग्राउण्ड क्षेत्र में फेसिंगवाल का निर्माण कार्य पूर्व में कराया गया है, परन्तु परेड ग्राउण्ड के सामने सडक की ओर फेसिंगवाल का निर्माण कार्य शेष है, जिसका निर्माण कराया जाना नितांत आवश्यक है ताकि सीमा क्षेत्र के अतिक्रमण एवं परेड ग्राउण्ड के अंदर पेड पौधों की जानवारो से सुरक्षा भलीभांति किया जा सके। 80 मीटर फेसिंगवाल के निर्माण के लिये पीसीएण्डआर. मद के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग रायपुर से रू. 99,400=00 का प्राकलन दिया गया था। जिसके फलस्वरूप पी.टी.एस. माना के परेड ग्राउण्ड का 80-80 मीटर फैसिंगवाल निर्माण 02 चरणों में कराए जाने हेतु रू. 99,400=00 एवं रू. 99,400=00 कुल 1,98,800=00 का प्रस्ताव पीसीएण्ड आर. मद के अंतर्गत तैयार कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पुअ/पुप्रवि/माना/राय/एसी/436/06 दिनांक 15.04.2006 के तहत् पुलिस महानिरीक्षक (वित्त/प्रबंध) पु. मु. रायपुर की ओर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। स्वीकृति अपेक्षित है।

उपलब्धियॉ :-

1/ बुनियादी प्रशिक्षण एवं इनसर्विस कोर्स :-

इस प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा दिनांक 12.01.2006 से 17.10.2006 तक संचालित नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र के तहत् 494 पुरूष एवं 118 महिला योग 612 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया । इसके अतिरिक्त वर्ष 2006 में इनसर्विस कोर्स के तहत् चालाए गए विभिन्न कोर्सो के माध्यम से 463 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया, परीक्षा परिणाम शतप्रतिशत रहा।

2/ पदोन्नति :-

1. श्री सी.डी. लहरे उनि से निरीक्षक पद पर पदोन्नति हो जिला कबीरधाम से इस इकाई में दिनांक 29.07.2006 को आमद हुए।
2. श्री एस.पी.सिंह सउनि से उनि पद पर पदोन्नति हो जिला रायपुर से इस इकाई में दिनांक 01.09.2006 को आमद हुए।
3. श्री एस.एन. ताम्रकार सउनि अ से उनि अ पद पर पदोन्नत हो जिला रायपुर से इस इकाई में दिनांक 08.06.06 को आमद हुए।

4. इस इकाई में पदस्थ 02 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर दिनांक 11.04.06 को पदोन्नति प्रदान की गई।

3/ आउट आफ टर्न प्रमोशन :-
इस शीर्ष के अंतर्गत जानकारी निरंक है।

4/ ड्राईकंटीन :- ड्राईकंटीन के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों एवं स्टाफ कर्मचारियों को खुले बाजार की तुलना में सस्ते दर पर दैनिक उपभोग में आने वाली सामग्रियों का विक्रय किया जाता है। वर्ष 2006 में 36,242=00 का लाभांश अर्जित किया ।

5/ टी कंटीन :- टी कंटीन के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों एवं स्टाफ कर्मचारियों को खुले बाजार की तुलना में सस्ते दर पर चाय, नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2006 में 10385=00 का लाभांश अर्जित किया ।

6/ एस.टी.डी. /पी.सी.ओ. बूथ :- प्रशिक्षणार्थियों एवं स्टाफ कर्मचारियों को अपने परिवार के सदस्यों एवं अन्य से बात-चीत करने हेतु यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2006 में 67,468=00 का लाभांश अर्जित किया।

7/ निर्माण कार्य . :-

<u>पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना रायपुर</u> हेतु पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो का भौतिक/वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन माह- 12/06 योजना वर्ष 2001-2002 की जानकारी

निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृति आदेश क्रमांक/दिनांक	प्राप्त आवंटन	भोतिक सत्यापन एवं वित्तीय प्रगति
1	2	3	4
पी.टी.एस. माना रायपुर हेतु :- 1. 04 नग अराजपत्रित आवास गह निर्माण हेतु	पुमु./खंड-9/भवन/318/03 दिनांक 31.1.03 एवं 271/03 दिनांक 29.1.03	10.00 लाख	यह स्वीकति पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2001-2002 के अंतर्गत प्राप्त हुई है। आवंटित राशि 59.00 लाख रूपये वर्किंग एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा रायपुर के हेड में चालान क्रं. 2/ दि0 21.3. 2003 को जमा कराया जा चुका है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।
2. 08 नग आरक्षक/प्र. आर. आवास गृह निर्माण हेतु	-'- 318/03 दि0 31.1.03 एवं 271/03 दि0 29.1.03	14.00 लाख	
3. क्लास रूम निर्माण हेतु	-'- 319/03 दि0 31.1.03 एवं 296/03 दि0 30.1.03	20.00 लाख	
4. वरिष्ठ अधिकारियों हेतु हास्टल निर्माण	-'- 319/03 दि0 31.1.03 एवं 296/03 दि0 30.1.03 आदेश क्रं. पुमु/खंड-9/भवन/ 7100/06 दि0 15.12.06 के तहत् अतिरिक्त आवंटन प्राप्त।	15.00 लाख 5.88 लाख	
	योग :- 64.88 लाख = 64,88,000=00		

पी.टी.एस. माना हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में पी.सी.एण्ड आर. मद के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो का भौतिक/वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन माह- 12/2006

कार्य का नाम	स्वीकृति आदेश क्रमांक/दिनांक	आवंटन	कार्य की प्रगति रिपोर्ट
1	2	**3**	4
1 पी.टी.एस. माना के नव आरक्षक महिला आवास परिसर का बाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु	पुमु/भवन/9/पीसीआर/3052 /06 दि0 26.06.2006	**37,667=00**	कार्य पूर्ण हो चुका है।

पुलिस अकादमी हेतु पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो का भौतिक/वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन माह-12/06 योजना वर्ष 2003-2004 की जानकारी

निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृति आदेश क्रमांक/दिनांक	**प्राप्त** आवंटन	भोतिक सत्यापन एवं वित्तीय प्रगति
1	2	**3**	4
पुलिस अकादमी चंदखुरी मे :- 1. बास्केट बाल कोर्ट निर्माण हेतु फेस 01 90,000=00 फेस 02 90,000=00 फैस 03 70,000=00 2. वाटर सप्लाई पाईप लाईन फेस 01 75,000=00 फैस 02 75,000=00 3. सीनटेक्स टैंक 20 नग 99,900=00 4. सेनेटरी पाइप लाईन एवं सेपटीक टेंक फेस 01 75,000=00 फेस 02 40,100=00 --- **योग - 6,15,000=00** ---	पुमु. /खंड-9/भवन/854 /06- दि0 28.02.06	6.15 लाख	बास्केट बाल कोर्ट का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जा रहा है। सीनटेक्स टेंक लगाये जाकर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सेनेटरी पाईप लाईन एवं सेप्टीक टेंक का कार्य पूर्ण हो चुका है।
	6,15,000=00	**योग :-**	**6.15 लाख =**

पुलिस अकादमी चंदखुरी हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में एम.ओ. डब्ल्यू मद के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो का भौतिक/वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन माह 12/2006

कार्य का नाम	स्वीकृति आदेश क्रमांक/दिनांक	आवंटन	कार्य की प्रगति रिपोर्ट
1	2	**3**	4
1. पुलिस अकादमी चंदखुरी में प्रीफेब स्ट्रक्चर के पास 05 नग विद्युत पोल लगाने हेतु ।	पुमु/भवन/9/एमओडब्ल्यू/ 3133/2006 दि0 03.06.06	**55,106=00**	कार्य पूर्ण हो चुका है।

2. पुलिस अकादमी चंदखुरी में मंच निर्माण हेतु	पुमु/भवन/9/एमओ डब्लू/6973/06 दि0 11.12. 06	**98,100=00**	देयक तैयार कर कोषालय में लगाया गया है।

पुलिस अकादमी चंदखुरी हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में पी.सी.एण्ड आर. मद के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो का भौतिक/वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन माह-12/06

कार्य का नाम	ंस्वीकृति आदेश क्रमांक/दिनांक	आवंटन	कार्य की प्रगति रिपोर्ट
1	2	**3**	4
1 पुलिस अकादमी चंदखुरी में प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर निर्माण में बरामदा के कारण अन्य निर्माण कार्य - सीलिंग कार्य भाग - 1	पुमु/भवन/9/2460/06 दि0 11.05.2006	**99,000=00**	कार्य पूर्ण हो चुका है।
2. -'- सीलिंग कार्य भाग -2	पुमु/भवन/9/2461/06 दि0 11.05.2006	**99,000=00**	कार्य पूर्ण हो चुका है।
3. -'- सीलिंग कार्य भाग - 3	पुमु/भवन/9/2462/06 दि0 11.05.2006	**99,000=00**	कार्य पूर्ण हो चुका है।
4 -'- सीनिंग कार्य भाग - 4	पुमु/भवन/9/2463/06 दि0 11.05.2006	**31,000=00**	कार्य पूर्ण हो चुका है।
5 पुलिस अकादमी चंदखुरी में 03 नग मोर्चा निर्माण हेतु	पुमु/भवन/9/2464/06 दि0 11.05.2006	**99,000=00**	कार्य पूर्ण हो चुका है।
6. पुलिस अकादमी चंदखुरी में पंखो की फिटिग हेतु	पुमु/भवन/9/2465/06 दि0 11.05.2006	**91,800=00**	कार्य पूर्ण हो चुका है।
7. पुलिस अकादमी चंदखुरी में पंखो की फिटिग एवं बाह्य विद्युतीकरण हेतु	पुमु/भवन/9/2466/06 दि0 11.05.2006	**98,000=00**	कार्य पूर्ण हो चुका है।
8. पुलिस अकादमी चंदखुरी में सेप्टीक टेंक एवं नाली निर्माण हेतु	पुमु/भवन/9/पीसीआर/3050 /06 दि0 26.06.06	**30,000=00**	कार्य पूर्ण हो चुका है।
9. पुलिस अकादमी चंदखुरी में सिनटेक्स टेंक रखने हेतु स्टेन्ड निर्माण	पुमु/भवन/9/पीसीआर/3051 /06 दि0 26.06.06	**94,400=00**	कार्य पूर्ण हो चुका है।

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, राजनांदगांव (छ0ग0)

(1) प्रमुख दायित्व :-

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, राजनांदगांव, रायपुर से करीब 70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, इसकी स्थापना सन् 1960 में हुई थी । इस प्रशिक्षण विद्यालय में नव आरक्षक का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है इसके अलावा आरक्षक से प्रधान आरक्षक , प्र0आर0 से स0उ0नि0, सउनि0 से उनि0 के प्री प्रमोशन कोर्सेस ,रिफ्रेशर कोर्सेस तथा अन्य विशिष्ट प्रशिक्षण सत्र चलाये जाते हैं जिनके माध्यम से नव आरक्षकों को उनके कर्म क्षेत्र हेतु विधिवत् प्रशिक्षण प्राप्त होता है ।

इस प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य मुख्यतः जिला पुलिस बल के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए किया गया था, अब तक इस विद्यालय में जिला पुलिस बल के 58 एवं

विशेष सशस्त्र बल का एक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र चलाये जा चुके है, एवं दिनांक 10.04.2006 से 59 वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र जिला पुलिस बल का सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है ।

प्रशासनिक भवन

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, राजनांदगांव में अलग से कोई प्रशासकीय भवन नहीं है, पी0टी0एस0 राजनांदगांव की स्थापना के समय उपलब्ध बैरिकों में ही आवश्यकतानुसार प्रशासकीय भवन बनाया जाकर संस्था का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है ।

प्रशिक्षणार्थियों हेतु आवासीय भवन

प्रशिक्षणार्थियों हेतु 13 बैरिक्स एवं 02 हास्टल 50-50 बिस्तरों वाला कुल क्षमता 350 प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध है । उपर्युक्त के अतिरिक्त 01 मनोरंजनगृह, 03 क्लासरूम ,02 डायनिंग हाल जिसमें 01 का उपयोग क्लासरूम के रूप में किया जा रहा है ।

आवासगृह

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निवास हेतु पी0टी0एस0 राजनांदगांव परिसर में ही कुल 134 आवासगृह उपलब्ध है । जिसमें स्टाफ के अधिकारी एवं कर्मचारी निवासरत् हैं ।

(2) विभागीय संरचना :-

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,राजनांदगांव का प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक कार्य संचालन हेतु निम्नांकित अधिकारी एवं कर्मचारियों का बल की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रं.	पद नाम	स्वीकृत बल	उपलब्ध बल	रिक्त बल	संख्याधिक
01	पुलिस अधीक्षक	01	01	00	00
02	उप पुलिस अधीक्षक	02	01	01	00
03	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	01	00	01	00
04	लेक्चरर -यू0जी0टी0	01	00	01	00
05	लेक्चरर- पी0जी0टी0	03	00	03	00
06	सहा.जि.लो.अभि.अधिकारी	02	01	01	00
07	रक्षित निरीक्षक	00	00	00	00
08	निरीक्षक	05	04	01	00
09	सूबेदार	01	00	01	00
10	उप निरीक्षक	02	02	00	00
11	उप निरीक्षक(रेडियो)	01	01	00	00
12	सहायक उप निरीक्षक (एमटी)	01	00	01	00
13	प्रधान आरक्षक जीडी	24	24	00	00
14	प्रधान आरक्षक आरमोरर	01	01	00	00
15	प्रधान आरक्षक ट्रेडमेन	06	04	02	00
16	प्रधान आरक्षक दूरसंचार	01	01	00	00

17	प्रधान आरक्षक एमटी	01	01	00	00
18	आरक्षक जीडी	51	42	09	00
19	आरक्षक आरमोरर	01	01	00	00
20	आरक्षक ट्रेडमेन	45	42	03	00
21	आरक्षक एमटी	06	03	03	00
22	बाल आरक्षक	04	03	01	00
23	सहायक ग्रंथपाल	01	00	01	00
24	मेडिकल आफिसर	01	01	00	00
25	मेलनर्स	01	00	01	00
26	कम्पाउण्डर	01	01	00	00
27	ड्रेसर	01	00	01	00
28	नर्सिग अर्दली	00	01	00	01
29	वाटर कैरियर	00	01	00	01
30	सूबेदार (अ) /मुख्य लिपिक	01	01	00	00
31	सूबेदार (अ) /आंकिक	01	00	01	00
32	सूबेदार (अ) /स्टेनों	01	00	01	00
33	उप निरीक्षक (अ)	05	05	00	00
34	सहा.उप निरीक्षक(अ)	05	04	01	00
35	आरक्षक (अ)	01	01	00	00
36	मिनियल्स (आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले	05	03	02	00

संवर्गीय स्थिति, कार्यकलाप, समस्यायें एवं उपलब्धियां-

उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में 59 वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र जिला पुलिस बल का दिनांक 10.04.2006 से संचालित है। जिसमें 504 नव आरक्षक प्रशिक्षणरत हैं। इन सर्विस कोर्स के अंतर्गत वर्ष 2006 में पुलिस वर्किंग/मानव व्यवहार कोर्स(नव पदोन्नत प्र0आर0,नव पदोन्नत सउनि0, नव पदोन्नत उनि0, नव पदोन्नत निरी0), पी0पी0 कोर्स दूर संचार(उनि0 से निरी0), पी0पी0 कोर्स (आरक्षक से प्रधान आरक्षक), पी0पी0 कोर्स दूर संचार आपरेटर (प्रधान आरक्षक से सउनि), पी0पी0 कोर्स (आरक्षक से प्रधान आरक्षक), पी0पी0 कोर्स (आरक्षक से प्रधान आरक्षक अनुत्तीर्ण), डी0आई0 एवं पी0टी0आई0 कोर्स(प्रधान आरक्षक, आरक्षक), मार्सल कोर्स(सहायक मार्सल), पी0पी0 कोर्स (प्रधान आरक्षक से सउनि), अनुसचिवीय बल कोर्स(सउनि''अ'' उनि''अ''), भीड़ नियंत्रण कोर्स (आरक्षक से निरी), व्ही0आई0पी0 सूरक्षा कोर्स(सउनि,उनि), अन्वेषण कोर्स(प्रधान आरक्षक से निरी0), मानव अधिकार कोर्स(आरक्षक से निरी), रिफ्रेशर कोर्स(आरक्षक), दूर संचार बुनियादी कोर्स (नव नियुक्त प्रधान आरक्षक ,आरक्षक), संचालित किये गये,

विभागीय जांच-

निरंक

निलंबन-

निरंक

<u>प्रशिक्षण विद्यालय ,राजनांदगांव की मुख्य समस्या एवं आवश्यकतायें :-</u>

(1) पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, राजनांदगांव हेतु,01 लाईट वाहन की आवश्यकता है ।

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,राजनांदगांव शहर से 03 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव का सम्पूर्ण कार्य राजनांदगांव शहर पर आश्रित है। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में 01 पुलिस अधीक्षक, 02 उप पुलिस अधीक्षक,01 मेडीकल आफीसर एवं 02 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद स्वीकृत है प्रशासनिक दृष्टि से 01 जीप या कार की नितांत आवश्यकता है ।

(2) <u>मेडीकल स्टाफ की आवश्यकता :-</u>

प्रशिक्षण विद्यालय में नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र के साथ-साथ इन सर्विस कोर्स भी संचालित किये जाते है इसके अतिरिक्त पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिवार भी इसी परिसर में निवास करते हैं, इकाई में मेडीकल स्टाफ के अन्तर्गत शासन द्वारा -01 मेडीकल आफीसर, 01-कम्पाउण्डर, 01 ड्रेसर एवं मेलनर्स का एक पद स्वीकृत है, चिकित्सालय में ड्रेसर एवं मेलनर्स का पद रिक्त हैं, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव चिकित्सालय में पैथालॉजी संबंधी परीक्षण की व्यवस्था न होने के कारण शहर में परीक्षण कराने जाना पड़ता है जिसकसे कारण समय व धन की आर्थिक हानि प्रशिक्षणार्थियों एवं स्टाफ को उठानी पड़ती है । अतः निवेदन है कि चिकित्सालय में रिक्त पदों की पूर्ति एवं एक पैथालॉजी टेक्नीशियन की पदस्थापना करने का अनुरोध है ।

(3) <u>एक्सप्लोसिव प्रशिक्षक की पदस्थापना बाबत :-</u>

प्रशिक्षण विद्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित अन्य पुलिस जिलों से जो नक्सली क्षेत्र के अन्तर्गत से नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण हेतु आते हैं उन्हे एक्सप्लोसिवस से संबंधित बुनियादी ज्ञान होना आवश्यक है,

एक्सप्लोसिव प्रशिक्षक की पदस्थापना न होने से एक्सप्लोसिवस संबंधी प्रशिक्षण देने में कठिनाई उत्पन्न होती है, अतः एक एक्सप्लोसिव संबंधी प्रशिक्षक की पदस्थापना किए जाने का अनुरोध है ।

(4) बाह्य <u>प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक की समस्या :-</u>

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय ,राजनांदगांव में काफी समय से रक्षित निरीक्षक एवं सूबेदार का पद रिक्त है जिससे बाह्य प्रशिक्षण हेतु समस्या उत्पन्न होती है अतः उक्त पद पर पदस्थापना आदेश किए जाने का अनुरोध है ।

(5) <u>पेयजल की मुख्य समस्या :-</u>

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,राजनांदगांव में गर्मी के दिनों में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है,अतः एक ओव्हर हेड टैंक के निर्माण हो जाने से पानी को स्टोर किया जाकर उसका उपयोग किया जाकर पानी की समस्या से निजात पाया जा सकता है । अतः एक ओव्हर हेड टैंक निर्माण (40 हजार लीटर क्षमता) का प्रस्ताव राशि 4.40 हजार रूपये तैयार किया जाकर सहायक पुलिस महानिरीक्षक (योजना प्रबंध)पुलिस मुख्यालय, रायपुर को प्रेषित किया गया है,स्वीकृति आदेश अपेक्षित है ।

<u>उपलब्धिया</u> :

विद्यालय में प्रशिक्षणार्थियों एवं स्टाफ के कर्मचारियों एवंउनके बच्चों के लिए जिम की व्यवस्था है ।

1. एसटीडी/पीसीओ की व्यवस्था है।
2. प्रशिक्षणार्थियों के चाय नाश्ता के लिए परिसर में टी-केंटीन की व्यवस्था है ।
3. परिसर में आटा चक्की की व्यवस्था है ।
4. परिसर में पोस्ट आफीस की पैडल शाखा उपलब्ध है । प्रशिक्षणार्थियों एवं कर्मचारियों को बाजार से कम दर पर आवश्यक सामान उपलब्ध कराने हेतु पु0प्र0वि0सहकारी उपभोक्ता भण्डार की सुविधा है।

———::———

dk;kly; funs'kd NRrhx< ifyl vdkneh] pn[kjh] i0e0 jk;ij
foHkkxh; okf"kd i'kklfud ifronu o"k 2007

1. **<u>प्रमुख दायित्व</u>** :- छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी चंदखुरी की स्थापना छ0ग0 शासन गृह पुलिस विभाग रायपुर के आदेश क्र. एफ- 3 -180/दो /गृह /2003,दिनांक 6.3.04 के आदेश के द्वारा दिनांक 29.11.05 के द्वारा पुलिस अकादमी चंदखुरी प्रारंभ किया गया है इसके पूर्व कृषि संबंधी प्रशिक्षण वर्ष 1915 में ब्रिटिश शासनकाल में राबर्टसन एग्रीकल्चर स्कूल की स्थापना हुई । वर्ष 1947 में कृषि विभाग के अंतर्गत ग्रामसेवक प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ हुआ । 43 वर्षों तक अनवरत सेवा के बाद सन 1990 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आबंटित हुआ, जिसके तहत यहां कृषि विस्तार अधिकारी एवं ग्राम सचिव प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ किया गया । वर्ष 2006 में उक्त संस्थान के जिला धमतरी अंतर्गत कुरूद में स्थानांतरित हो जाने के बाद राज्य शासन द्वारा इस संस्थान को राज्य पुलिस अकादमी के लिए आबंटित किया गया है ।

छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी चंदखुरी के प्रमुख दायित्व के अंतर्गत पुलिस विभाग में नव नियुक्त सूबेदार/ उप निरीक्षक / प्लाटून कमांडर संवर्ग का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जावेगा । एवं वर्तमान में नव नियुक्त परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों का एक वर्ष का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जा रहा है । प्रशिक्षण के माध्यम से अकादमी में प्रशिक्षुओं की शारीरिक क्षमता और दक्षता बढ़ाने के साथ साथ बाह्याभ्यांतर शुचिता और मेधा को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण दिये जायेंगें । इनमें से प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार है :- विधि तथा पुलिस प्रक्रिया का ज्ञान, शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण, अपराधों की रोकथाम एवं अन्वेषण, अधुनातन वैज्ञानिक संसाधनों का अनुप्रयोग, मानवाधिकार तथा मानवीय संबंध, शारीरिक शिक्षा, योग और निःशस्त्र युद्धकला, तैराकी, घुड़सवारी और वाहन चालन, खेलकुद तथा मानसिक अभ्यास ।

2. **<u>विभागीय संरचना</u>** :- छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्र.एफ 4-172,सात-1/27/05 दिनांक 22/9/05 के द्वारा पुलिस अकादमी चंदखुरी को लगभग 17.109 हेक्टेयर (42.259एकड़) भूमि को वर्ष 2006 में इस संस्थान के लिए आबंटित किया गया है ।

3. **<u>संवर्गीय स्थिति</u>** :- छत्तीसगढ़ शासन पुलिस अकादमी चंदखुरी को विभन्न संवर्गों में प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशासनिक कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार अधिकारी एवं कर्मचारियों का बल स्वीकृत किया गया है :-

<u>उपलब्धियां :-</u>

बुनियादी प्रशिक्षण एवं इन सर्विस कोर्स :-

नव स्थापित पुलिस अकादमी चंदखुरी में निम्नांकित कोर्स संचालित किया जा रहा है :-

1. वर्तमान में 10(परि.) उप पुलिस अधीक्षकों को दिनांक 29-8-06 से पुलिस अकादमी चंदखुरी में शिफ्ट किया जाकर विधिवत प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।
2. दिनांक 31-12-05 से 21-1-06 तक 05 भा0पु0से0 अधिकारियों को प्रेक्टिकल प्रशिक्षण दिये जाने के पश्चात इन्हें जिलों में पदस्थ किया गया है । वर्तमान में दिनांक 1-1-07 से 27-1-07 तक 04 भा0पु0से0 अधिकारियों को प्रेक्टिकल प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।
3. दिनांक 9-10-06 से 11-10-06 तक 10 निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों को 3 दिवसीय इंडक्शन कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया ।
4. छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी चंदखुरी द्वारा दिनांक 12-1-07 से संचालित नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र जिसमें जिला बल के 200 नव आरक्षक वर्तमान में प्रशिक्षणाधीन है ।
5. पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र बोरगांव के प्रशिक्षित 226 नव आरक्षकों का गरिमामय दीक्षान्त समारोह सम्पादित किया गया ।

---::---

अपराध अनुसंधान विभाग

करीब 1.38 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय प्रदेश है। शासन राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिये कटिबद्ध है। राज्य में 16 राजस्व जिले हैं एवं बलरामपुर, सूरजपुर, बीजापुर एवं नारायणपुर क्रमशः सरगुजा, दंतेवाड़ा एवं कांकेर राजस्व जिले के पुलिस जिले हैं। इस प्रकार रेल्वे जिला सहित कुल 21 जिले राज्य में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये अस्तित्व में होकर 04 रेंज क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा में विभाजित है, जिनमें पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी तैनात हैं।

प्रदेश में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि व अन्य संसाधनों के वृद्धि के चलते अपराधों के तरीके एवं संख्या में उतार-चढ़ाव लगातार जारी है। वर्ष 2006 में विगत वर्ष 2005 की तुलना में अपराध में वृद्धि 3.53 परिलक्षित हुई है। वर्ष 2006 में भादवि के कुल 45,164 अपराध दर्ज किये गये। पुलिस द्वारा कई गंभीर अपराधों को खोज निकालने में सम्मानजनक सफलता प्राप्त की है। अच्छे अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप आम जनता का पुलिस में विश्वास बढ़ा है।

पुलिस द्वारा अपनी व्यवसायिक क्षमता को सुदृढ़ करने में सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य किये गये हैं। फिंगरप्रिंट ब्यूरो का ऑटोमेशन किया गया है। सभी प्रयोगशालाओं को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराकर उन्नत किया गया है।

विभाग में सायबर विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये गये। एस0सी0आर0बी0 द्वारा पुलिस कर्मियों के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। भारत सरकार, गृह मंत्रालय की सीपा योजना के तहत थानों को कम्प्यूटराईज किया जा रहा है। इस योजना के प्रथम चरण में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 10 प्रतिशत थानों (35) का चयन कर कम्प्यूटर प्रदाय किये गये हैं। द्वितीय चरण में 35 प्रतिशत थानो (105) का चयन कर शीघ्र ही कम्प्यूटर प्रदाय किये जाने की योजना है। सीपा योजना के अन्तर्गत भी थानों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

सीआईडी के प्रमुख श्री संत कुमार पासवान, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, श्री संजय पिल्ले, उप पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी श्री ए0डी0 गौतम एवं सहायक पुलिस महानिरीक्षक श्री राजकुमार देवांगन, पदस्थ हैं। सीआईडी का प्रशासकीय सेटअप एवं वर्तमान पदस्थापना विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र0	शाखा का नाम	स्वीकृत पद	उपलब्ध बल	रिक्त पद
1	सीआईडी	**99**	**65**	**34**
2	बाल अपराध	**29**	**17**	**12**
3	क्यू डी शाखा	**11**	**8** **2 पद अतिरिक्त**	**5**
4	फोटो शाखा	**14**	**11**	**3**
5	अंगुली चिन्ह शाखा	**20**	**13** **2 पद सांख्योत्तर** **(5 मैदानी पद सहित)**	**7**
6	राज्य अप.अभिलेख ब्यूरो	**61**	**8**	**53**
7	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला	**68**	**27**	**41**
योग		**297**	**149**	**155**

भारतीय दण्ड विधान अपराध विश्लेषणः–भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 2006 में कुल 45164 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। जिलेवार एवं शीर्षवार अपराध विवरण निम्नानुसार हैः–

भादवि अपराध (शीर्ष अनुसार) वर्ष 2006

क्र0	अपराध शीर्ष	संख्या
1	हत्या	1079
2	हत्या का प्रयास	830
3	अपराधिक मानव वध	16
4	बलात्कार	987
5	अपहरण/ व्यपहरण	246
6	डकैती	145
7	डकैती की तैयारी एवं जमाव	24
8	लूट	450
9	नकबजनी	3504
10	चोरी (समस्त प्रकार की)	5267
11	बल्वा	901
12	खयानत	134
13	धोकाधड़ी	509
14	जालीनोट	33
15	आगजनी	221
16	चोट	6714
17	दहेज मृत्यु	107
18	शीलभंग	1597
19	यौन उत्पीड़न/ छेड़छाड	143
20	पति/रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ना	707
21	लड़कियों का आयात	0
22	उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु	2179
23	अन्य भादवि	19371
योग		**45164**

भादवि अपराध (जिले अनुसार) वर्ष 2006

क्र0	जिला	कुल अपराध
01	रायपुर	7932
02	महासमुंद	1515
03	धमतरी	1463
04	दुर्ग	6938

05	राजनांदगांव	2569
06	कबीरधाम	1170
07	बिलासपुर	5301
08	रायगढ़	2369
09	जांजगीर-चांपा	2854
10	कोरबा	2311
11	सरगुजा	1566
12	सूरजपुर	1182
13	जशपुर	973
14	कोरिया	1368
15	बलरामपुर	584
16	जगदलपुर	2200
17	दंतेवाड़ा	786
18	कांकेर	1018
19	बीजापुर	515
20	नारायणपुर	164
21	रेल्वे	386
योग		**45164**

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही :-

अपराधों के नियंत्रण हेतु पुलिस द्वारा पर्याप्त एवं प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपराधियों एवं संदेहियों के विरूद्ध वर्ष 2006 में निम्नानुसार कार्यवाही की गई, जो विगत वर्ष की तुलना में कुल करीब 2 प्रतिशत अधिक है।

क्र0	अपराध शीर्ष	वर्ष 2006
1	109 दण्ड प्रक्रिया संहिता	17457
2	110 दण्ड प्रक्रिया संहिता	5799
3	151 दण्ड प्रक्रिया संहिता	26256
4	107-116(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता	83593
5	145 दण्ड प्रक्रिया संहिता	448
6	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980	6
7	छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990	132
योग		**1,33,691**

विशेष व स्थानीय अधिनियम :-

वर्ष 2006 में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा विशेष व स्थानीय अधिनियम के अंतर्गत अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की गई । आर्म्स एक्ट में करीब 5 प्रतिशत, विस्फोटक अधि. में करीब 23 प्रतिशत तथा अत्यावश्यक वस्तु अधि. में करीब 20 प्रतिशत अधिक कार्यवाही की गई है। मुख्य अधिनियमों में की गई कार्यवाही का संक्षेप विवरण निम्नानुसार है-

क्र0	विशेष/स्थानीय अधिनियम		अपराधों की संख्या
1	आयुध अधिनियम		1128
2	सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867	सट्टा	4198
		जुआ	6627
3	आबकारी अधिनियम 1915		11653
4	विस्फोटक अधिनियम 1884		194
5	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908		96
6	रेल सम्पत्ति (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम 1966		5
7	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955		168
8	कॉपी राईट अधिनियम 1957		36
9	पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960		81
10	भारतीय विद्युत अधिनियम 1910		57

अनुसंधान शाखा में पंजीबद्ध एवं स्थानांतरित प्रदेश के महत्वपूर्ण अपराधिक प्रकरणों का अनुसंधान सी0आई0डी0 के उप पुलिस अधीक्षक एवं निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों द्वारा किया जाता है। सन् 2006 में कुल 04 प्रकरण प्राप्त हुये जिसमें 01 प्रकरण का निराकरण किया गया एवं 03 प्रकरण विचाराधीन है। अनुसंधान शाखा द्वारा राज्य शासन एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देशित शिकायतों की जांच संपादित की जाती है।
राज्य में लागू सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सीआईडी के उपयुक्त अधिकारियों को सहायक सूचना अधिकारी, सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी घोषित किया गया है।

सी0आई0डी के अन्तर्गत निम्न अतिरिक्त प्रयोगशालायें/ब्यूरो कार्यरत् हैं-

1. विवादग्रस्त दस्तावेज प्रयोगशाला/शाखाः-

विवादग्रस्त दस्तावेज परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में राज्य के विभिन्न थानों से प्राप्त आपराधिक प्रकरण, न्यायालयों, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं शासन के विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गये प्रकरणों के दस्तावेजों का परीक्षण कर विशेषज्ञ अभिमत दिया जाता है, जो न्यायालय में ग्राह्य होता है।

विगत समय में पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत वीडियो स्प्रेक्टरल कम्परेटर (VSC-4), इलेक्ट्रो स्टेटिकल डिटेक्सन ऐपरेटर (ESDA) Docubox- 500 S, ट्रायनाकुलर रिसर्च माइक्रोस्कोप, फोटो कॉपीयर मशीन, डाकु बाक्स आदि का क्रय प्रयोगशाला हेतु किया गया, जिससे प्रकरणों के परीक्षण में सुविधा हुई है। आधुनिक उपकरणों से विशेषज्ञ अभिमत देने की गुणवत्ता में लगातार सुधार परिलक्षित हुआ है।

प्रयोगशाला में पदस्थ समस्त विशेषज्ञ गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के ''राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान'' द्वारा डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण हैं। एक उप निरीक्षक को उपरोक्त डिप्लोमा कोर्स हेतु शेष है। श्री स्वंयम्भू कमठान को शासन द्वारा एडीशनल स्टेट एक्जामिनर ऑफ क्वश्चन्ड डाकूमेंट घोषित किया गया है।

प्रयोगशाला में वर्ष 2006 में 243 प्रकरण जांच के लिये प्राप्त हुये। दिनांक 31/12/05 की स्थिति में 48 प्रकरण पूर्व के लंबित थे। वर्ष 2006 में कुल 291 प्रकरणों में से 192 प्रकरणों में विशेषज्ञ अभिमत दिया गया तथा 31/12/06 की स्थिति में 34 प्रकरण जांच हेतु लम्बित है। शेष प्रकरणों में थानों से अतिरिक्त जानकारी चाही गई है एवं वे तदानुसार लंबित है।

सायबर फोरेंसिक लैब की स्थापना उपरोक्त प्रयोगशाला के अन्तर्गत करने का निर्णय लिया गया है। एफ0एस0एल0, फिंगरप्रिंट ब्यूरो एवं क्यू0डी0 के 5 अधिकारियों की टीम गठित कर उन्हें चण्डीगढ़ एवं हैदराबाद स्थित

सायबर लैब से प्रशिक्षित कराया गया है। सायबर लैब प्रारंभ करने के लिये आवश्यक उपकरणों की क्रय प्रक्रिया जारी है।

2. फिंगर प्रिंट ब्यूरोः-

फिंगर प्रिंट ब्यूरो छत्तीसगढ़ गठन के प्रारंभ से ही मुख्यालय में कार्यरत् है। इसका मुख्य उद्वेश्य जिलों से प्राप्त सजायाबों एवं संदेहियों के अंगुल चिन्हों का संधारण, वर्गीकरण एवं मिलान करना है। श्री मोहम्मद शरीफ खान, प्रभारी संचालक/उप पुलिस अधीक्षक ब्यूरो के प्रमुख हैं। ब्यूरो में प्रभारी के अतिरिक्त कुल 08 निरीक्षक एवं 04 उपनिरीक्षक हैं।

दस्तावेज/वस्तु प्रकरणः-

फिंगर प्रिंट ब्यूरो पु.मु. रायपुर में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, लोकायुक्त संगठन, न्यायालयों तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों में लगे विवादग्रस्त अंगुष्ठ चिन्हों की जांच कर विशेषज्ञ मत दिया जाता है जो न्यायालय में ग्राह्य होता है। वर्ष 2006 में कुल 12 दस्तावेज एवं सभी की जांच पूर्ण कर संबंधित इकाईयों को रिपोर्ट भेजी गई है।

इसी प्रकार जिलों में घटित अपराधों के घटनास्थलों से प्राप्त चांस प्रिंट की जांच कर विशेषज्ञ मत संबंधित पुलिस अधीक्षकों को प्रेषित किया जाता है। वर्ष 2006 में कुल 76 वस्तु प्रकरण प्राप्त हुए एवं सभी की जांच कर रिपोर्ट भेजी गई।

अभिलेख पर्णियांः-

प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों से दण्डित व्यक्तियों की अंगुल चिन्ह अभिलेख पर्णियां तैयार की जाती है जो ब्यूरो में अपराधियों की पहचान हेतु संग्रहित की जाती है। वर्ष 2006 में ब्यूरो में कुल 1448 अभिलेख पर्णियां प्राप्त हुई, जिनमें से 168 अभिलेख पर्णियां अनुपयुक्त (Unfit) घोषित हुई तथा शेष सभी 1280 अभिलेख पर्णियों का वर्गीकरण कर ब्यूरो के रिकार्ड में समावेश किया गया।

वर्तमान में कुल 19251 अभिलेख पर्णियां फिंगर प्रिंट ब्यूरो के अभिलेख में है। वर्ष 2006 में ब्यूरो द्वारा 1031 अभिलेख पर्णियों को एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली टेन डिजिट रिकार्ड हेतु भेजा गया है।

वर्ष 2006 में ब्यूरो से 218 अभिलेख पर्णियां एन.सी.आर.बी.नई दिल्ली, सिंगल डिजिट रिकार्ड हेतु भेजी गई है।

सर्च पर्णियांः-

शाखा में प्रदेश के थानों एवं अन्य राज्यों से 3028 सर्च पर्णियां संदेहियों, आरोपियों, निगरानी बदमाशों एवं अज्ञात मृतकों की वर्ष 2006 में सर्च हेतु ब्यूरो में प्राप्त हुई, जिनमें से 2887 अन्ट्रेस तथा 58 पर्णियां ट्रेस घोषित की गई एवं 83 सर्च पर्णियां त्रुटिपूर्ण होने के कारण जिलों को वापस की गई। वर्ष 2006 में 09 अज्ञात मृतक के प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 01 ट्रेस घोषित किया गया तथा 124 निगरानी बदमाशों के अंगुल चिन्ह वर्गीकरण प्रेषित किये गये।

पुलिस आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत फिंगर प्रिंट ब्यूरो में Computerised Finger Print Identification System (CFIS) स्थापित कर फिंगरप्रिंट रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण किया गया। रायपुर, बिलासपुर तथा सरगुजा में रिमोट क्वेरी स्टेशन स्थापित कर ब्यूरो के मुख्यालय से सीधा जोड़ा गया है। भविष्य में राज्य के अन्य जिलों में भी रिमोट क्वेरी स्टेशन स्थापित किये जाने की योजना है।

3. पुलिस फोटो शाखा :-

पुलिस फोटो शाखा द्वारा फिंगर प्रिंट ब्यूरो, विवादित दस्तावेज एवं एफएसएल की आवश्यकता अनुसार फोटो ग्राफ्स लिये जाते हैं तथा आवश्यकतानुसार प्रकरणों के प्रिन्टस बनाये जाते हैं। वर्ष 2006 में फिंगरप्रिन्टस ब्यूरो द्वारा वांछित 40 प्रकरणों में फोटो तैयार कर प्रदाय किये गये इसी प्रकार विवादित दस्तावेजों के 181 प्रकरणों का निगेटिव्स

तैयार कर सम्बंधित शाखा को दिया गया तथा न्यायालय हेतु प्रकरणों के विस्तारित छायाचित्र तैयार किये गये। फिंगरप्रिंटस के 24 प्रकरणों की विवादित दस्तावेजों के 21 प्रकरण तथा जी0आर0पी0 के 8 प्रकरणों के प्रिन्टस तैयार किये गये। फोटो शाखा में पदस्थ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर शासकीय अर्द्धशासकीय कार्यक्रमों, व्ही0आई0पी0 ड्यूटी एवं पु0मु0 में होने वाले कार्यक्रमों इत्यादि की फोटो ग्राफी तथा विडियोग्राफी की गई।

मुख्यालय एवं जिलों के आरक्षकों एवं ड्राइवरों को समय-समय पर पर फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी का प्रशिक्षण दिया गया है। ऑल इण्डिया पुलिस ड्यूटी मीट हेतु फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी में भाग लेने वाली टीम तैयार कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया तथा अन्य प्रतियोगियों को फोटो/वीडियो का प्रशिक्षण भी फोटो अधिकारियों द्वारा दिया गया है।

4. राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (State Crime Records Bureau)

ब्यूरो का मुख्य कार्य एन0सी0आर0बी0 की सी0सी0आई0एस0 (क्राईम क्रिमिनल इन्फारमेंशन सिस्टम) योजना का समस्त जिलों में क्रियान्वयन कराना है। एन0सी0आर0बी0 द्वारा सी0सी0आई0एस0 योजना के अंतर्गत समस्त जिलों को विन्डोज वेस्ड कम्प्यूटर प्रदाय किये गये हैं, जिन पर जिला मुख्यालयों में इन्टीग्रेटेड इनपुट फार्मस् (IIF) के द्वारा समस्त थानों के अपराध/अपराधियों की जानकारी फार्मो में भरी जाती है। वर्तमान में ब्यूरो द्वारा मासिक अपराधिक विश्लेषण, पे रोल सिस्टम, पोर्टेट बिल्डिंग सिस्टम, विधानसभा सिस्टम, क्राईम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एवं प्रापर्टी कोआर्डिनेशन सिस्टम का कार्य संपादित किया जा रहा है। इस शाखा के अंतर्गत एम0ओ0बी0 एवं सांख्यिकी खण्ड कार्यरत है।

पोर्टेट बिल्डिंग सिस्टमः-

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा विन्डो बेस्ड, श्याम/श्वेत पोट्रेट बिल्डिंग साफ्टवेयर प्रदाय किया गया है। वर्ष 2006 में इस साफ्टवेयर के माध्यम से कुल 14 पोट्रेट तैयार किये गये। जिनमें 3 प्रकरणों में तैयार किये गये संदिग्ध अपराधियों के छायाचित्र के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।

01. अप0क्र0-58/06 धारा 365, 420 भादवि, थाना गोलबाजार, जिला रायपुर।
02. अप0क्र0-547/06 धारा 391 भादवि, थाना खमतराई, जिला रायपुर।
03. अप0क्र0-294/06 धारा 394, 34 भादवि थाना अभनपुर, जिला रायपुर।

मोटर व्हीकल को-आर्डिनेशन सिस्टमः-

एन0सी0आर0बी0 नई दिल्ली द्वारा मोटर व्हीकल कोऑर्डीनेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रदाय किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में चोरी/जप्त वाहनों की जानकारी संकलित कर एनसीआरबी, नई दिल्ली को भेजी जाती है। जहां राष्ट्रीय स्तर के सर्वर पर यह जानकारी संकलित की जाती है एवं इसके आधार पर चोरी एवं जप्त वाहनों की जानकारी का मिलान किया जाता है।

राज्य में दिनांक 19/09/06 को सिविल लाईन थाना परिसर में मोटर व्हीकल कोऑर्डीनेशन समन्वय प्रणाली प्रारंभ की गई है। जिलों से प्राप्त चोरी एवं जप्त वाहनों का अब तक 4083 डाटा फीड किया जा चुका है तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को नाम/पता परिवर्तन तथा पास आउट होने से पूर्व सभी वाहनों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदनों के आधार पर प्रदाय किये जा रहे हैं। शीघ्र ही आम जनता की सुविधा के लिये एक काउन्टर प्रारंभ किया जा रहा है। जिसके माध्यम से वाहन खरीदने से पूर्व, चोरी वाहनों की पतासाजी एवं क्लेम सेटलमेंट हेतु सीधे जानकारी प्राप्त कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वाहन पर 20 रूपये का शुल्क देय होगा, जिसमें 50 प्रतिशत अर्थात 10 रूपये केन्द्र शासन के कोष में एवं 10 रूपये राज्य शासन के कोष में जमा होगा।

सीपा (Common Integrated Police Application):-

पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त थानों को चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटर प्रदाय किये जा रहे हैं जिन पर सीधे थाना स्तर पर अपराध व अपराधियों की जानकारी को इस सॉफ्टवेयर की सहायता से फीड किया जावेगा । इस योजना के प्रथम चरण में 10 प्रतिशत (35 थानों में) एवं द्वितीय चरण में 35 प्रतिशत (105

थानों) में यह योजना लागू की जावेगी। प्रथम चरण में चयनित 10 प्रतिशत थानों को भारत सरकार द्वारा कम्प्यूटर प्रदाय किये जा चुके हैं एवं इन थानों में शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण :-

SCRB द्वारा वर्ष 2006 में कुल 9 कम्प्यूटर प्रशिक्षण आयोजित किये गये जिसमें उपुअ 11, निरीक्षक 07, उप निरीक्षक 06, सउनि 02, पीसी 01, प्रआर. 33 एवं आरक्षक 116 प्रशिक्षित किये गये। इस प्रकार पुलिस मुख्यालय एवं जिला पुलिस बल के कुल 176 अधि0/कर्मचारियों को कम्प्यूटर का बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया।

6. विधि विज्ञान प्रयोगशाला (Forensic Science Laboratory) :-

न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में पुलिस विभाग, आबकारी विभाग एवं वन विभाग के द्वारा अपराधिक प्रकरणों में प्राप्त भौतिक साक्ष्यों का परीक्षण किया जाता है। प्रयोगशाला को मुख्यतः तीन खण्डों में बांटा गया है जो निम्नानुसार हैः-

रसायन खण्ड (सामान्य रसायन, आबकारी, नारकोटिक्स)
विष विज्ञान खण्ड
भौतिकी खण्ड (भौतिकी)
बायोलाजी खण्ड (बायोलाजी)

प्रयोगशाला की विभिन्न शाखाओं में प्राप्त, परीक्षित तथा लंबित प्रकरणों की जानकारी निम्न तालिका में वर्णित हैः-
वार्षिक आंकड़े - वर्ष 2006

खण्ड	पिछला पेंडिंग	प्राप्त प्रकरण	परीक्षित प्रकरण	पेंडिंग
विष विज्ञान	1956	1121	618	2459
रसायन विज्ञान	497	624	442	679
बायोलॉजी	1069	1930	1162	1837
फिजिक्स	34	53	65	22
बैलिस्टिक्स	01	16	13	04
योग	3557	3744	2300	5001

राज्य के 07 जिलों में सीन ऑफ क्राइम यूनिट कार्यरत हैं जिनका कार्य विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

अपराध घटनास्थल निरीक्षण संख्या- वर्ष 2006

जिला सीन ऑफ क्राइम यूनिट	संख्या
1. रायपुर	232
2. दुर्ग	238
3. सरगुजा	165
4. राजनांदगांव	118
5. रायगढ़	61
6. जगदलपुर	140
7. बिलासपुर	133

सीन ऑफ क्राइम यूनिट (जिला इकाईयां) में पदस्थ कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार हैः-

जिला	पदों की स्थिति	व0वै0 अधि0	वै0 अधि0	प्रयो0 तकनीशियन	प्रयोगशाला सहायक	सउनि (एम)	आर (चालक)	आर0 (एम)
रायपुर	स्वीकृत पद	1	2	1	–	1	1	1
	भरे पद	–	1	–	–	1	1	1
	रिक्त पद	1	1	1	–	–	–	–
जगदलपुर	स्वीकृत पद	1	2	–	1	1	1	1
	भरे पद	1	–	–	–	1	1	1
	रिक्त पद	–	2	–	1	–	–	–
दुर्ग	स्वीकृत पद	1	2	–	1	1	1	1
	भरे पद	1	–	–	–	1	1	1
	रिक्त पद	–	2	–	1	–	–	–
राजनांदगांव	स्वीकृत पद	1	2	–	1	1	1	1
	भरे पद	–	2	–	–	1	1	1
	रिक्त पद	1	–	–	1	–	–	–
बिलासपुर	स्वीकृत पद	1	1	1	–	1	1	1
	भरे पद	1	1	–	–	1	1	1
	रिक्त पद	–	1	1	–	–	–	–
रायगढ़	स्वीकृत पद	1	2	–	1	1	1	1
	भरे पद	–	2	–	–	1	1	1
	रिक्त पद	1	–	–	1	–	–	–
सरगुजा	स्वीकृत पद	1	2	–	1	1	1	1
	भरे पद	1	2	–	–	1	1	1
	रिक्त पद	–	–	–	1	–	–	–
योग	**स्वीकृत पद**	**7**	**14**	**2**	**5**	**7**	**7**	**7**
	भरे पद	**4**	**7**	**–**	**–**	**7**	**7**	**7**
	रिक्त पद	**3**	**7**	**2**	**5**	**–**	**–**	**–**

पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्राप्त उपकरणों जेसे ट्यून वीडियो कम्परेटर, डन्सिटी ग्रेडियंट एपरेटस, रिसर्च, स्टीरियो तथा कम्परेरिशन मइक्रोस्कोप को प्रयोगशाला में स्थापित कर उनका उपयोग परीक्षण कार्य में प्रारंभ किया गया है। गैस क्रोमेटोग्राफ तथा एपीटएलसी को क्रय पश्चात प्रयोगशाला में स्थापित किया गया है तथा इन पर प्रारंभिक परीक्षण कार्य कर स्टन्डराइजेशन किया जा रहा है। इस वर्ष अवधि में आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत बोरोस्कोप, एटामिक एब्सोप्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सीटेन डीजल एनालाइजर, वाटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम तथा एक्स0आर0डी0 उपकरण क्रय किये गये।

11 वे वितत आयोग के अन्तर्गत राज्य के जिलों में कार्यरत सीन ऑफ क्राईम यूनिटों हेतु नये वाहन प्रदाय किये गये थे तत्पश्चात पिछले वर्ष विभिन्न प्रकार की अन्वेषण किटस जो आधुनिकतम तकनीक पर आधारित है वाहन में उपलब्ध कराई गई है। जिससे अपराध घटनास्थलों पर प्राप्त सूक्ष्म सूक्ष्म भौतिक साक्ष्यों को खोज पाना संभव हो गया है। इसके अतिरिक्त रक्त, वीर्य तथा नशीले पदार्थों की घटनास्थल पर ही प्रारंभिक पहचान हेतु फील्ड टेस्ट किट भी प्रदाय किये गये।

प्रयोगशाला की लायब्रेरी बिल्डिंग हेतु पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्राप्त 5 लाख रूपये धनराशि का उपयोग किया गया तथा भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। आधुनिकीकरण योजना में प्राप्त धनराशि से सरगुजा में क्षेत्रीय प्रयोगशाला का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा जगदलपुर में क्षेत्रीय प्रयोगशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 1375000.00 धनराशि से अराजपत्रित कर्मचारियों के आवास भवन के निर्माण कार्य प्रगति पर है।

फोरेंसिक परीक्षण में विषय विशेषज्ञता एवं नवीनतम विधियों की जानकारी हेतु प्रयोगशाला के दो वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों तथा एक वैज्ञानिक अधिकारी को प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में भेजा गया।

प्रयोगशाला के प्रभारी संचालक डॉ0 एम0पी0 गौतम द्वारा उच्च न्यायालय छ0ग0 में ज्यूडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग इन्सटीटयूट बिलासपुर में फोरेंसिक साइंस के महत्व विषय पर व्याख्यान दिये। गृह मंत्रालय भारत सरकार की सेंट्रल फोरेंसिक साईंस लेबोरटरी, हैदराबाद में फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स तथा रिलेटेउ लीगल आस्पेक्टस विषय पर राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग कोर्स में अतिथति व्याख्यान दिये गये। राज्य प्रशासनिक अकादमी छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के आबकारी अधिकारी तथा आबकारी निरीक्षकों के प्रशिक्षणार्थियों को शराबों तथा नशीले पदार्थों के सैद्धांतिक एवं प्रयोगिक परीक्षण संबंधी प्रशिक्षण सत्र में भी व्याख्यान दिये। प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा पुलिस अकादमी छत्तीसगढ़ तथा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना में प्रशिक्षणार्थियों को फोरेंसिक विश्लेषण संबंधी सैद्धांतिक तथा प्रयोगिक प्रशिक्षण दिया गया।

प्रयोगशाला में अपराधिक प्रकरणों के परीक्षण के अतिरिक्त वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्य भी किया जाता है। फोरेंसिक विषय पर वैज्ञानिकों द्वारा तीन शोध पत्र तैयार किये गये। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एफएसएल रायपुर में वैज्ञानिकों के शोध कार्य की रूचि के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर शोध प्रोजक्ट प्रदाय किया गया है जिसके अन्तर्गत दो रिसर्च स्कालर विषाक्त पौधों पर शोध कार्य कर रहे हैं।

---::---